लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 60, बुधवार, 14 मई, 1969/24 वैशाख, 1891 (शक)
No.—60, Wednesday, May 14, 1969/Vaisakha 24, 1891 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — Member Sworn

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1682.	हांगकांग के मार्ग से चीन को भारतीय अभ्रक का पुनर्निर्यात / Re-export of India Mica to China via Hong Kong	1—3
1683.	समवाय कार्य विभाग के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन / ARC's Report on department of compay Affairs	5
1684.	युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को पेंशन / Pensions to widows of soldiers killed in war	5—9
1686.	परमाणु क्षेत्र में अनुभवी भारतीय इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की उपलब्धता / Availability of experienced Indian Scientists and Engineers Atomic Field	9—14
1687.	चलचित्रों का आयात निर्यात / Export/Import of Films	14—17

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या

26.	गुडहर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर तिजोरी का लूटा जाना / Looting of safe at Guldhar Railway Station (Northern Railway)	17—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1681. काश्मीर के बारे में रूस का दृष्टिकोण	USSR stand on Kashmir	21
1685. चैकोस्लोवाकिया के मामले पर भारत का दृष्टिकोण	Indian stand on Czechoslovakia Issue	21
1688. विमानों का निर्माण	Manufacture of Aircraft	21—22
1689. विजयन्त टैंकों का उत्पादन	Production of Vijayanta Tanks	22
1690. टेलीवीजन सैटों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण	Manufacture of T.V. in public Sector	22
1691. भारत संयुक्त अरब गण-राज्य और यूगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीत करार	Tripartite Agreement between India UAR and Yugoslavia	23
1692. अमेरिकन पास कोर (अमरीकी शान्ति सेना)	American peace corps	23
1693. राजकीय व्यापार निगमे संबंधी पुनरीक्षण समिति	Review committee on State Trading Corporation	24
1694. जेनेवा में व्यापार तथा विकास बोर्ड की बैठक	Meeting of Trade and Development Board at Geneva	24
1695. कलकत्ता में जनवरी, 1969 में स्टेट्समैन हाउस के सामने हुई दुर्घटनायें	Happenings in front of Stateman House, Calcutta in January. 1969	24—25
1696. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को भारतीय सांख्यिकी संस्था से पृथक करना	Separation of National Sample Survey from Indian Statistical Institute	25
1697. नागाओं द्वारा मुक्ति सेना का गठन	Raising of Liberation Army by Nagas	25—26
1698. 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पति छुड़ाना	Return of Indian properties seized by Pakistan during 1965 Indo-Pak conflict	26
1699. पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच यात्रा	Travel between East Pakistan and India	26

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1700. लोहे और मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Iron Manganese ores	27
1701. रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई संबंधी सौदे पर इजवेस्तिया की टिप्पणी	Comments by Izvestia on Soviet Pak arms deal	28
1702. भारत ईरान संयुक्त उपक्रमों के बारे में निर्णय करने में विलम्ब	Delays in taking decision on Indo-Iranian Joint Venture	28—29
1703. मशीनरी के आयात के लिए टेलीविजन निर्माताओं को सहायता	Assistance to T.V. Manufactures for importing machinery	29
1704. संयुक्त मोर्चा सरकार बनने के अवसर पर चीन के राजनयिक की कलकत्ता यात्रा	Chinese Diplomats' visit to Calcutta on the Eve of formation of U.F. Government	29
1705. विदेशों में भारतीय मिशनों की असफलता	Failure of Indian Missions aborad	30
1706. मलेशिया में हुए इस्लाम धर्म सम्मेलन में भारत का भाग लेना	Indian participation in Islamic meet held in Malaysia	30
1707. भारत द्वारा ब्रिटेन से आयात	India's Imports from U.K.	30—31
1708. कुआला लूमपुर में इस्लाम धर्म सम्मेलन	Islamic Conference at Kuala Lumpur	31
1709. भारत के विरुद्ध पेकिंग रेडियो से प्रचार	Peking Radio propaganda against India	31
1710. पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India propaganda by Pakistan	32

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

9549. पटसन के माल का निर्यात	Export of Jute Goods	32
9550. भारत का निर्यात तथा आयात और भुगतान संतुलन	India's Exports and Imports and Balance of Payment	33—35

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9551. दालों का निर्यात	Export of Pulses	35
9552. अरब इसरायल विवाद हल करने हेतु जोर्डन के शाह का प्रस्ताव	King of Jordan's proposal to solve Arab Israel Conflict	35—36
9553. रुपये में भुगतान वाले देशों को माल का निर्यात करने वाले निर्यातकों को प्रतिकर दिया जाना	Payment of compensation to Exporters Explorting goods to Rupee payment Countries	36
9554. रूस को माल का निर्यात करने के लिए आढ़तिये	Commission Agents for Export of Goods to USSR	37
9555. सोना दुकानें	Sona shops	37
9556. विदेशों में गये व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade delegation gone abroad	37—38
9557. भारतीय विदेश सेवा संबंधी पिल्ले समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति	Implementation of Pilai Committee's Recommendation on Indian Foreign Service	38
9558. वैदेशिक कार्य मंत्रालय में संगठनात्मक परिवर्तन	Organisational changes in External Affairs Ministry	38—39
9559. भारतीय विदेश सेवा में भर्ती	Recruitment to Indian Foreign Service	39
9560. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पर व्यय तथा भारत में स्थित विदेशों मिशनों से भारत को आय	Expenditure on Indian Missions Abroad and Earning from Foreign Missions in India	39—40
9561. वाघा मार्ग को खोलना	Opening of Wagha Route	40
9562. कपास का मूल्य	Price of Cotton	40—41
9563. भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films	41
9664. विदेशों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Indian Films Abroad	42
9565. नागपुरी संतरों का निर्यात	Export of Nagpuri Oranges	42
9566. केलों का निर्यात	Export of Bananas	43

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9567. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officers of Director General of supplies and disposals	43
9568. बीड़ी का निर्यात	Export of Beedi	43—44
9569. पटसन की वस्तुओं कपड़े तथा चाय का निर्यात	Export of Jute goods, cloth and tea	44
9570. एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड (निर्यात उधार एवं प्रत्याभूति निगम)	Export credit and Guarantee corporation Ltd.	44—45
9571. रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of Silk Fabrics	45
9572. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd.	45
9573. यूरेनियम अक्साइड ईंधन	Uramium Oxide Fuel	46
9574. संसद सदस्यों द्वारा मंत्रालयों को भेजे गये पत्रों के उत्तर	Replies to letters written by M.Ps. to Ministries	46
9575. विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रैस विभाग	Press departments of Indian Missions Abroad	46—47
9576. इसराइल और ताइवान के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with Israel and Taiwan	47
9577. अलीगढ़ के निकट नरोरा में परमाणु बिजलीघर	Atomic power Station at Narora near Aligarh	47
9578. कच्छ संबंधी संकल्प	Resolution on Kutch	47—48
9579. हज यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Haj Pilgrims	48
9580. बीकानेर वूलन मिल्स	Bikaner Woollen Mills	48
9581. जनवरी 1969 में गाजियाबाद में पाया गया एक सैनिक का शव	Dead Body of a Military man found at Ghaziabad in January, 1969	49
9582. वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के कर्मचारी	Staff of Ministry of Foreign Trade and supply	49
9583. पटसन उद्योग में संकट	Crisis in jute industry	49—50
9584. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास	International Economic Developments	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9585.	उद्योग तथा कृषि के लिये परमाणु उर्जा	Nuclear Energy for Industry and Agriculture	50—51
9586.	विमानों के लिये अपेक्षित अल्यूमिनियम मिश्रित चादरों का निर्माण	Manufacture of Aluminimum Alloy Sheets for Aircraft	51—52
9587.	उत्तर प्रदेश में रेडियम-धर्मिता वाले खनिज	Radio Active Minerals in U.P.	52
9588.	नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत	Meeting with the Foreign Ministers of Nepal	52—53
9589.	सुपारी के आयात लाइसेंस	Import licences for Betelnuts	53
9590.	चाय का निर्यात	Export of Tea	53
9591.	मध्य प्रदेश से हज यात्री	Haj Pilgrims from Madhya Pradesh	54
9592.	जबलपुर स्थित आयुद्ध कारखाने में अस्वीकृत गोला बारूद	Rejected ammunition at Ordnance Factory Jabalpur	54
9593.	मध्य प्रदेश में बागानों का विकास	Development of Plantations in Madhya Pradesh	54
9594.	आयात लाइसेंसों के लिए उत्तर प्रदेश से आवेदन-पत्र	Applications for Import licences from U.P.	54—55
9595.	विदेशों में भारतीय संयुक्त उपक्रमों का अध्ययन	Study on India's joint ventures abroad	55
9596.	परमाणु शस्त्रास्त्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव का प्रतिवेदन	UNO Secretary General's Report on Nuclear War Heads	55—56
9597.	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारी	Staff belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes in Foreign Trade and Supply Ministry	56
9598.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Promotion of Scheduled caste employees in External Affairs Ministry	56
9599.	प्रतिरक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees in promoted in the Ministry of Defence	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9600.	प्रधान मंत्री के अधीन विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ	Promotion of Scheduled Caste/Scheduled Tribes Employees in the Departments under Prime Minister	57
9601.	दानापुर छावनी में मकान कर का निर्धारण	Assessment of House Tax in Danapur Cantonment	57—58
9602.	असैनिक और सैनिक अधिकारियों द्वारा टेलीफोनों का दुरुपयोग	Misuse of Telephones by Civillian and Military Officials	58
9603.	उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में सीमा सड़क विकास कार्यक्रम	Border roads development programme in U.P., Bihar and Assam	58
9604.	तमिलनाडु के सेलम जिले में यूरेनियम के भंडार	Uranium Deposits in Salem District of Tamil Nadu	58—59
9605.	परमाणु उर्जा विभाग में सहायक कर्मचारी अधिकारियों के पद भरना	Filling up posts of Assistant personal officers in Atomic Energy Department	59
9606.	भारत अमरीका संबंध	Indo-US Relations	59
9607.	आई० जी० एस० आनन्द पर्वत, नई दिल्ली के बारे में समाचार	News about IGS Anand Parbat, New Delhi	59—60
9608.	विदेशी अतिथियों का भारत का दौरा	Visit by Foreign Official Guests to India	60
9609.	आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल का वितरण	Distribution of Raw Material for Manufacture of Plastic Goods in A.P.	60
9610.	प्रतिरक्षा संस्थापनों गैर-औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा वेतन न लेना	Pay strike by non-industrial workers in Defence Establishments	60—61
9611.	दलाई लामा को राजनीतिक दर्जा	Recognition of political status fos Dalai Lama	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9612.	ब्रिटेन के परिवहन कम्पनियों में सिख कर्मचारियों के साथ भेदभाव	Discrimination against Sikh Employees in British Transport Companies	61—62
9613.	राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में काम करने वाले अधिकारी	Officers in STC and MMTC	62
9614.	परमाणु बिजली का विकास	Development of Nuclear Power	63
9615.	कोटा में उर्वरक कारखाना	Fertiliser plant at Kota	63
9616.	सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति	Soviet Land Nehru Award Committee	63—64
9617.	इलायची की खेती	Cardamom Cultivation	64
9618.	विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं का सर्वेक्षण	Survey of problems of Indians living abroad	64—65
9619.	भारत नेपाल व्यापार	Indo-Nepal Trade	65
9620.	इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के लिए काम की व्यवस्था	Provision of a job for an ICS Officer	66
9621.	चीन के कब्जे से भारतीय क्षेत्र छुड़ाने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to recover Indian territory from Chinese occupation	66
9622.	बर्मा में रहने वाले भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करना	Removing difficulties of Indian living in Burma	66
9623.	बिहार में सीप के बटन बनाने वाले उद्योग में संकट	Crisis in seep Button Manufacturing Industry in Bihar	67
9624.	शुष्क बन्दरगाह के रूप में दिल्ली	Delhi as Dry Port	67
9626.	भारतीय सेना के पास टैंक तोड़ने वाली 'मिसाइल'	Anti Tank Missiles with Indian Army	68
9627.	भारत नेपाल सीमा वार्ता	Indo-Nepal Boundary Talks	68
9628.	पाकिस्तान का वार्ता के लिये प्रस्ताव	Pakististan's offer for Talks	68—69

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9629. संयुक्त अरब गणराज्य में भारत की सहायता से औद्योगिक बस्तियों की स्थापना	Setting up of Industrial Estates in UAR with India's Help	69
9630. पाकिस्तान द्वारा भारतीय नौकाओं की बिक्री	Sale of Indian Boats by Pakistan	70
9631. श्री लंका से भारत आ रहे राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति	Stateless persons from Cylon coming to India	70—71
9632. प्रधान मंत्री के विरुद्ध अपमानजनक बातें	Insulting Remarks against Prime Minister	71
9633. कुर्तों का निर्यात	Export of Kurtas	71
9634. वैदेशिक कार्य मंत्रालय के होस्टल के किराये	Rent charges in the Ministry of External Affairs Hostel	71—72
9635. दिल्ली में चाय बोर्ड के कर्मचारी	Staff of Tea Board in Delhi	72
9636. कलकत्ता में आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय में पदोन्नतियां	Promotion in office of Director General Ordanance Factories Calcutta	73
9637. आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय में ग्रेड दो के आशुलिपिक	Grade II Stenographers in Office of Director General of Ordnance Factories	73
9638. आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय में पदोन्नतियां	Promotions in office of Director General of Ordnance Factories	73—74
9639. फिलीपीन से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegations from Philippines	74
9640. सूडान से रूई का आयात	Import of cotton from Sudan	74—75
9641. राष्ट्रीय शान्ति सभा (नेशनल असेम्बली फार पीस)	National Assembly for peace	75
9642. भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सेना का जमाव	Chinese build up on Indo Tibetan Border	75
9643. मैसूर में परमाणु खनिजों के लिए सर्वेक्षण	Survey made for Atomic Minerals in Mysore	75—76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9644.	सिक्किम की यात्रा के लिए जाली परमिट जारी किया जाना	Issue of Forged Permits for visit to Sikkim	76
9645.	कुर्ग में कुशलनगर में सैनिक स्कूल	Sainik School at Khushalnagar in Coorg	76
9646.	भारतीय सूचना सेवाओं में अधिकारियों की संख्या	Number of officers in Information Services of India	77
9647.	शरद नहर के नियंत्रण के बारे में नेपाल का दावा	Nepal's claim on control of sharad canal	77
9648.	पारेषण उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Transmission Equipment	77—78
9649.	वितरण के आधार पर फिल्मों का निर्यात	Export of Films on Distribution Basis	78
9650.	मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे के लिए अर्जित भूमि के लिए मुआवजा	Compensation for land acquired for Tulihal aerodrome in Manipur	78—79
9651.	मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Tulihai Aerodrome in Manipur	79
9652.	चीन की परमाणु टैक्नालोजी में प्रगति	Chinese Advancement in Nuclear Technology	79
9653.	ताजे फलों तथा मेवों के लिए आयात लाइसेंस	Import licences for Fresh and Dry Fruits	79—80
9654.	विद्रोही नागा	Hostiles Nagas	80
9655.	भारतीय चलचित्रों का विदेशों में प्रदर्शन	Exhibition of Indian Films Aborad	80
9656.	पटसन मिलों के अंशों का मूल्य	Value of shares of jute Mills	81
9657.	खनिज तथा धातु निगम के माध्यम से मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Managanese Ore through MMTC	81—82
9658.	रंगीन साड़ियां बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on production of coloured sarees	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9659.	सिक्किम में सड़क मरम्मत कार्यों के बारे में स्थानीय लोगों में असंतोष	Local discontentment over road repair work in Sikkim	82—83
9660.	गोआ, दमन और दाव तथा काश्मीर को भारत के अंग के रूप में मान्यता न दिया जाना	Non-recognition of Goa, Daman and Diu and Kashmir as Integral part of India	83—84
9661.	इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	84—85
9662.	औषधि उद्योग	Pharmaceutical Industry	85
9663.	खोपरा का आयात	Import of Copra	85—86
9664.	कृषि मजदूरों के बारे में अनुसंधान करने हेतु अध्ययन दल	Study Team to conduct Research in regard to Agricultural Labourers	86
9665.	दिल्ली छावनी में सर्वेक्षण संख्या 66 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि	Land allotted to ex-servicemen under survey No. 66 Delhi Cantonment	86—87
9666.	भारत में बागान उद्योगों का आधुनिकीकरण	Modernisation of plantation Industrial in India	87—88
9667.	चीते की खाल का निर्यात	Export of leopard skin	88
9668.	भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का लातीनी अमरीकी देशों का दौरा	Visit by Delegation of Indian Industrialists to Latin American Countries	88—89
9669.	स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना	Voluntary price regulation schemes	89—90
9670.	बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	Birla jute manufacturing company	90
9671.	विदेशों में भारतीय नेताओं तथा देशभक्तों की मूर्तियां	Statues of Indian Leaders and Patriots in Foreign Countries	90—91
9672.	सहकारी कताई तथा बुनाई मिलों को ऋण	Loans to cooperative spinning and weaving Mills	91
9673.	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	Indian Motion pictures export corporation Ltd., Bombay	91

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9674. कनिष्ठ सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में पदोन्नति	Promotion as JCO	91—92
9675. रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत की चिन्ता	India's concern over Soviet Arms Supply to Pakistan	92
9676. जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore to Japan	93
9677. चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	93—94
9678. फिल्मों का निर्यात	Export of Films	94
9679. ब्रिटेन, सिंगापुर और ईरान को फिल्मों का निर्यात	Export of Films to UK Singapore and Iran	94—95
9680. फिल्मों का निर्यात	Export of Films	95—96
9681. फिल्मों का निर्यात	Export of Films	96
9682. कच्ची फिल्मों के कोटे का प्रयोग	Use of quota of Raw Films	96
9683. कच्ची फिल्मों के कोटे का उपयोग	Use of quata of Raw Films	97
9684. सिंगापुर में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना	Establishment of Joint Ventures at Singapore	97—98
9685. कजाकस्तान और केरल के बीच सीधे सांस्कृतिक संबंध	Direct cultural Relations between Kazakhastan and Kerala	98
9687. भारत की क्षेत्रीय अखंडता	Territorial integrity of India	98
9688. कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही की असफलता	Failure of UN operations in Congo	99
9689. प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों को लाभ	Benefits for Territorial army personnel	99
9690. प्रादेशिक सेना अधिनियम में प्रशिक्षण अवधि के संबंध में संशोधन	Amendment in Territorial Army Act in respect of Training period	99—100
9691. चिकित्सा के लिए विदेशों में जाने वाले व्यक्ति	Persons going abroad for Medical Treatment	100—101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9692. मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद के लिये विभागीय पदोन्नतियां पर सीधी भर्ती	Departmental promotions/direct recruitment to the rank of Assistant Executive Engineers in MES	101
9693. मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सहायक कार्यकारी इंजीनियरिंग के पद पर पदोन्नति	Promotion to the post of Assistant Executive Engineer in MES	101—102
9694. मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सहायक इंजीनियरिंग का पद बनाया जाना	Introduction of post of Assistant Engineer in Military Engineering Service	102
अतारांकित प्रश्न संख्या 4442 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to unstarred Question No. 4442	102—103
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	103—105
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	105—106
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on absence of Members from sittings of the House	106
कार्यवाही सारांश	Minutes	106
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	106—107
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of absence of Members from sittings of the House	107—108
गत सामान्य निर्वाचनों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्त सूचना विभाग के प्रतिवेदन के विषय में वक्तव्य	Statement re. report of Intelligence Bureau on use of foreign money in the last General elections and for other purposes	108
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	108
फर्टेलाइजर्स एंड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के बारे में आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिये गये उत्तरों को स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य	Statement clarifying replies to Half and Hour Discussion re. FACT Ltd.	108

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
श्री द० रा० चव्हाण	Shri D. R. Chavan	108
उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक	Enlargement of Appelate (Criminal) Jurisdiction of the Suppreme Court Bill	109
सदस्य का प्रवर समिति के लिए निर्वाचन	Election of Member to Select Committee	109
राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक—पुरःस्थापित	President (Discharge of Functions) Bills Introduced	109—110
संविधान (संशोधन) विधेयक—वाद-विवाद स्थगित	Constitution (Amendment) Bill-Discussion postponed	110—115
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	115—133
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	115—116
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	116—117
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	117—118
श्री हिम्मत सिंहका	Shri Himatsingka	118—119
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	119—120
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	120—127
खंड 2 से 6 तथा 1	Clauses 2 to 6 and 1	127—134
पारित करने के लिए प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	134
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion	134
रेल दुर्घटनाएं	Rail accidents	134
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	134—136
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	136—139

लोक-सभा

LOK SABHA

बुद्धवार, 14 मई, 1969/24 वैशाख, 1891 (शक)

Wednesday, May 14, 1969/Vaisakha 24, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Re-export of Indian Mica to China via Hong Kong

\+

*1682. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Kashi Nath Pandey :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of Indian mica reaches China through Hong Kong ;

(b) if so, the quantity thereof ; and

(c) the preventive steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). Hong Kong imports mica from India and other countries. A portion of these imports is re-exported in original and processed from to third countries. Government have no means of estimating the quantity of Indian Mica which may find its way to China. It is not possible for exporting countries to seek to regulate re-exports of products imported by entrepot centres such as Hong Kong.

Shri Brij Bhushan Lal : The hon. Minister has stated that Government has no information in regard to the estimates of export of mica made in an unauthorised manner. I want to draw his attention to the Hindustan Standard of 22nd December, 1968.

The 12th Annual General Meeting of the Mica Export Promotion Committee was held in November 1968. The Vice Chairman of that council in his address had strongly emphasised the need of checking this unauthorised flow of mica to Nepal. He added that

although Nepal was not in a possition to export Mica, it expanded about 2 lakh tonnes of Mica in the first quarter of 1968. The hon. Minister has stated that he has no any source to estimate the flow of Mica in an unauthorised manner.

So far as the Indian Mica is concerned it is considered the best in the world. What steps the Government intends to take to stop such unauthorised export.

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : Mica is exported from India to Hong Kong also and in 1967-68, 13 tonnes of Mica was exported to that country. Mica is exported to Hong Kong from other countries as well. It is difficult to state as to how much quantity of Mica imported from India was sent to China, as Mica is exported to Hong Kong from many other countries also.

We have received a complaint regarding export of Mica to Nepal through smuggling. We are investigating in the matter and shall take appropriate steps.

Shri Brij Bhushan Lal : Indian Mica industry is at present facing a great difficulty because people are thinking to make it a synthetic product. It is, therefore, wrong to presume that it is the monopaly of India. Mica is note found in countries other than India and Medgaskar. What efforts Government is making to present its becoming a synthetic product and also to prevent its unauthorised export through Nepal.

Shri B. R. Bhagat : We are trying to check smuggling of Mica.

Shri Ranjit Singh : The hon. Minister has just non-states that smuggling of goods takes place between India and Nepal. Probabally he knows that India produces 80% of Mica produced in the world. It is but natural that 80% Mica exported by Hong Kong to the various countries of the world is Indian Mica. Hong Kong is a free port. Not only Mica but various other commodities which are exported to that country are purchased from it by China. We know that many minerals which are purchased from India by Hong Kong are sold to China. Will the Government depute a study team to find out whether our commodities are purchesed by China from Hong Kong ? Why should we not stop that kind of trade which can be helpful to China ?

Shri B. R. Bhagat : It is a fact that Hong Kong is a free port of the world and the equipments purchased by that country are re-exported to other countries. This position held good for Mica and other products mentioned by the hon. Member. Thirteen tonnes of Mica was exported to Hong Kong. Eighty per cent of Mica is found in our country and it is exported to various countries of the world. We cannot prevent that country to re-export Mica to other countries. We cannot even stop our entire trade with Hong Kong as we have large scale dealings with that country and it is not in our national interest to stop trade between the two countries.

Shri Ranjit Singh : How is it in our national interest to send Mica to China ?

Shri Ram Gopal Salwale : Does the hon. Minister know that an Insurance company has been established under ground in India and Pakistan and certain Pakistani Paltian are in it. This company undertakes to insure the smuggled goods. How is it that the Government is not aware of such an important event ? This matter is being discussed in the Bazars of Bombay. Will the Government try to find out the facts of the matter and arrange to take suitable steps ?

Shri B. R. Bhagat : I do not have any information. The matter comes under the purview of Finance Ministry, who should be addressed in the matter.

Shri Ram Gopal Shalwale : Will you appoint a commission to enquire into the matter.

Shri Bibhuti Mishra : I belong to the Nepal Border area. The people who recover Mica have their relations in border and in Nepal proper as well. Mica is smuggled to Nepal

through these people. It is said that from Nepal Mica is exported to China via Tibet. Indian's Mica is popular in the whole world. I have come to know that the customs officials who help smuggling of Mica and other products to Nepal make about 5 to 10 thousand rupees a day. It is stated by the Government that they are taking action in the matter. But as we try to check smuggling, it keeps on growing.

Are the Government making efforts to stop smuggling to Nepal altogether ? In case it is not done, the entire Indian trade will be ruined.

Shri B. R. Bhagat : We have been taking such action all the time. But there is no remedy to stop this evil for even. We have established new customs posts to keep a gaurd on smuggling. We are taking all administrative steps. There is no other remedy.

श्री प० गोपालन : पिछले कुछ वर्षों से अभ्रक के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रर्याप्त कमी आई है, क्योंकि इसके कई प्रतिव्यापक पदार्थ उपलब्ध होने लगे हैं। अभ्रक का हमारा निर्यात 1960-61 में 2.8 करोड़ किलो था जबकि 1967 में वह 2.3 करोड़ किलो ही रह गया। तब अभ्रक के हांगकांग के माध्यम से चीन जाने में क्या हानि है ? यदि उसका सामरिक महत्व है तो उसे सीधे पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है ? जब जापान एवं पश्चिमी जर्मनी, जिनके साथ चीन के राजनयिक सम्बन्ध नहीं है, उसके साथ व्यापार सम्बन्ध रखते हैं तब भला हम उसे क्यों ऐसे सम्बन्ध नहीं रख सकते ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न नही समझा।

अध्यक्ष महोदय : जापान और जर्मनी के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध हैं। उन देशों का चीन के साथ भी सम्बन्ध है। इस बात की काफी सम्भावना है कि जो वस्तु जैसे अभ्रक, हम इन देशों को भेजते हैं वे वहां से चीन चली जाती हैं। इसे रोका नहीं जा सकता।

श्री प० गोपालन : अभ्रक का यदि सामरिक महत्व है तो उसे सीधे पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है। यदि अभ्रक हांगकांग से चीन चला जाता हैं तो इसमें क्या हानि है। जब चीन में हमारे माल के लिए अच्छा बाजार हैं तब हम उसके साथ अपने व्यापार सम्बन्ध क्यों स्थापित नहीं करते ?

श्री पीलु मोदी : क्योंकि वह हमारा शत्रु है।

श्री ब० रा० भगत : भारतीय अभ्रक का पाकिस्तान को सीधे निर्यात नहीं होता। यदि कुछ अभ्रक हांगकांग के रास्ते चीन चला जाता है तो कोई कारण नहीं कि हम चीन से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करें। इसका सम्बन्ध अन्य राजनीतिक मामलों से है।

श्री प० ला० गोपालन : मन्त्री महोदय का कथत सत्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : भले ही यह सत्य हो परन्तु हम अब चर्चा नहीं कर रहे हैं।

A.R.C's Report on Department of Company Affairs

+

***1683. Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Kumari Kamala Kumari : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 818 on the 18th December 1968 and state :

(a) whether the recommendations of the Administrative Reforms Commission on the Department of Company Affairs have since been examined ;

(b) if so, the decision taken thereon ;

(c) if not, the time by which the decisions are likely to be taken ; and

(d) the reasons for delay in this regard ?

The Deputy Minister (Shrimati Nandini Satapathy) : (a) to (d). The recommendation relating to the location of Department of Company Affairs is one of several recommendations made by the Administrative Reforms Commission in its Report on the Machinery of Government and its Procedures of Work. The Report deals with a variety important matters such as the size and functioning of the Council of Ministers, the organisation of the Ministries, grouping of Departments, their internal working and certain other matters.

The recommendations, in their very nature, require careful and detailed consideration and it will take some more time before final decisions are taken.

Shri Om Prakash Tyagi : A similar question was asked on December 18, 1968 and it was stated in its reply that it requires more consideration and that Government will look into it. Whether Minister are not in a position to reply to a question properly, a reply in these terms is givdn. By what time would the Government decide to amend the company laws ? If so what are the changes ?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : When it has been stated that no decision has been arrived at, how can we tell as to what would be the position of that Department. We hope that a decision would be taken soon.

Shri Om Prakash Tyagi : The replies given by the Government say that, work would be completed shortly. This question was put on December 18, 1968. Has this 'very soon' any time limit ?

The ARC has recommended to limit the number of cabinet Ministers. It has also been recommended not to give holiday for Independence day and continue clearing offices on Republic day. That would earn 11 crores of rupees for the Government. What is the reaction of the Government towards these two suggestions ?

Shrimati Indira Gandhi : A very rigid view point cannot be taken on the number of members of the cabinet. Their suggestion is being considered carefully. The commission has made various recommendations on a number of subjects. We think that it would be better to reply when a decision is taken in all these matters.

So far as holidays are concerned we have a number of holidays and many of them can and should be abolished. But a decision in the matter can only be taken if every body cooperates. Everyone has same special day and it is necessary to close offices on those days. So far as national holidays are concerned, I do not think it justified to abolish a national holiday and retain others, holidays. The National days provide opportunity to the people of various communities and of various view points to meet together and it has got its non-importance.

Shri D. N. Tiwary : We hoped that ARC would give it's final report in about a year. Four years have passed but the work has not yet been finalized. May I know

how much time will it take to finalise the work ? Will it remain as standing body ? If the members cannot perform the task, will they be substituted by others ?

Shrimati Indira Gandhi : They have finalised a very big part of their job. They have told that certain items prove are being done and certain others are still to be taken in hand.

Pensions to Widows of Soldiers Killed in War

*1684. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the opinion of the Comptroller and Auditor General of India has been received for giving pension and other facilities to the widows of the soldiers killed in war ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action taken in this regard ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग) . सदस्य महोदय का इशारा शायद 20 नवम्बर, 1964 को उत्तर दिये गये ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के उत्तर की ओर है । मामले की जाँच करने के पश्चात् भारत के मुख्य कम्ट्रोलर तथा ग्राडिटर ने सलाह दी है कि नियंत्रक रक्षा लेखा (पेन्शन) द्वारा संबंधित ग्रादेशों की व्याख्या, जिसके फलस्वरूप युद्ध विधवाग्रों के बच्चों को दी गई छात्रवृत्तियों के कारण उनकी पेन्शनों में कटोतियों की गई थी, ठीक ग्रौर उचित थी । तदपि, संबंधित ग्रादेशों को स्पष्ट करते हुए ग्रौर उन्हें निर्देश होते हुए कि सम्बन्धित-युद्ध-विधवाग्रों की कुटुम्ब पेन्शनें पूर्णतः बहाल कर दी जाएं, ग्रौर पहले कर ली गई कटोतियां लौटा दी जाएं सी० डी० ए० (पेन्शन) को सरकार ने पहले से निर्देश जारी कर दिये हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : The families of those Jawans who risk their lives in difending the country and loose their lives in battle field are not being paid the attention they deserve. When the Jawans declare their successers, why so much time is taken in verification of these declarations after the death of a Jawans. This procedure adds to the difficulties of the widow of the Jawan. Will the hon. Minister see that this difficulty is removed, and provide them housing facility, as has been done in states of Gujarat, Maharashtra and certain union territories, and educational facilties for their children as has been done in Panjab, without making any discrimination among the children of officers and of Jawans ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सेनाग्रों के प्रति सरकार का रवैया बहुत उदार रहा है । जवानों एवं ग्रधिकारियों के बच्चे जब सैनिक स्कूलों में भर्ती किए जाते हैं, तब उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । सैनिक स्कूलों की क्षमता 60% तक स्थान उन्हें उपलब्ध होते हैं हम हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को ग्रौर ग्रधिक सुविधाएं देना चाहते हैं । एसे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 50 छात्र-वृत्तियां प्रारम्भ की गई थी जिन्हें बढ़ाकर ग्रब 100 कर दिया गया है । उनकी शिक्षा सुविधाग्रों का ध्यान रखा जाता है ग्रौर यदि उन्हें उन संस्थाग्रों में भर्ती किया जाता है तो निशुल्क शिक्षा दी जाती है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : My first question has not yet been replied. The central Sainik Schools are not available in every state.

श्री मं० रं० कृष्ण : जम्मू काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में सैनिक स्कूल विद्यमान हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : It is not possible for people living in small villages to go to sainik schools. The reservation of 60% is not enough. The Children of Jawans, whether they are in villages on elsewhere should be accorded proper educational facilities. I had also asked for the provision of housing facility for them.

Secondly, the pension scheme in respect of Jawans who lost their lives in war with China in 1962 is not applicable to the Jawans who last their lives in Nagaland operations. There is great resentment against this. Will the Government consider the matter and try to implement it for them ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जो भी व्यक्ति नागरिक प्रशासन की सहायता करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन सबके लिये ये सुविधायें लागू होती हैं । पैंशन सुविधाओं पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है तथा उन्हें 1963 से उदार बनाया गया है तथा अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ।

Shri Tulsidas Yadev : This arrangement covers the widows. But what about the old parents of the deceased Jawans ?

Secondly, in resfect of those Jawans, who fell ill while in active service, facilities should be provided for their parents. Will you make some arrangements for that ?

श्री मं० रं० कृष्ण । पहले विधवाओं, आश्रित माताओं तथा भ्राताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी । अब उन व्यक्तियों के लिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध की गई है यदि उनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक न हो । उनकी भलाई की ओर ध्यान देने के लिए जिला जवान बोर्ड स्थापित किये गये हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सेवा निवृत्त सैनिकों अथवा सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चे को किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है । अन्यथा वे जिला बोंर्डों के अपनी सिफारिश भेजते हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minisrer has told that Jawans and the families of the deceased Jawans are given all sorts of benefits. The Government has declared repeatedly that the Jawans, who do not passess agricultural land, be allotted land. This work was left on the State Governments, which do not want to give land to those people.

श्री मं० रं० कृष्ण : जमीन का बंटवारा राज्यों सरकारों द्वारा किया जाता है और वे प्रभावी रूप से उनकी सहायता करता है । हमने जिला बोर्डो एवं राज्य बोर्डों की स्थापना की है जिनका कार्य सेवा मुक्त व्यक्तियों की सहायता करना है यदि वे वास्तव में पात्र समझे जाते हैं तो उन्हें जमीन दी जाती हैं ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has just how stated that educational facilities are provided to the children of Jawans. But when these childran come out after finishing their education they have to stand in queue along with others. Does the Government propose to reserve certain posts for them so that they could be employed immediately after completion of their education.

श्री मं० रं० कृष्ण : अब प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने राज्य तथा जिला बोर्डों को सेवा मुक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने हेतु कुछ सेवा मुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया हैं ।

Shri Gunanand Thakur : The Jawans who are killed in action of retire largely belong to poor families. I know certain newly married Jawans who were killed a few months after their marrage. I also know certain families who do not have land to settle. Will the Government allot Government land and follow land to these landless families of Jawans to enable them to settle there. Will the Government arrange for free education for their children ?

श्री मं० रं० कृष्ण । अधिकतर केन्द्रीय तथा अन्य स्कूलों में जो सुविधाएं दी जा सकती है, वे दी जा रही हैं । यदि उन्हें छात्रवृति पाने अथवा दाखिले में कोई असुविधाएं हो तो वे सैनिक बोर्ड को मामला दे सकते हैं ।

श्रीमती शारदा मुखर्जी : इन छात्रावासों को 1914-18 के युद्ध के पुनर्निर्माण निधि से चलाया जा रहा है पता चला है कि उक्त निधि समाप्त होने जा रही है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे उसके लिए धन की व्यवस्था करें ।

सेवा करते हुए मृत्यु तथा अन्यथा मृत्यु में जो भारी भेद बरता जाता है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड होने के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को 5 रु० पैंशन दी जाती है । मुद्रा विस्तार के इस युग में 5 रु० पैंशन से क्या बन सकता हैं ?

क्या मन्त्री महोदय जवानों की विधवाओं को पैंशन देने के प्रश्न पर विचार लेने के लिये एक समिति नियुक्त करेंगे तथा उस समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री मं० रं० कृष्ण : निधि के बारे में माननीय सदस्य को किसी प्रकार की धारणाएं रखने की आवश्यकता नहीं है विभिन्न निधियां एकत्रित की जाती हैं तथा विभिन्न एजेंसियों में उन्हें वितरित किया जाता है । उन्हें माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई चिंता नहीं करना चाहिए कि इन स्कूलों को धन के अभाव में कठिनाई उठानी पड़ेगी । केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही इनके लिए धन की व्यवस्था करेंगे । जहां तक इन स्थलों के दौरे करने का प्रश्न है हम कभी-कभी इनका दौरा करते रहे हैं । यदि कोई निश्चित कमी पाई जायेगी तो हम उनको पूरा करेंगे । हम उन्हें धन भी देंगे । फिर भी यदि कोई विशेष घटना हो तो हम उसकी जाँच करना चाहेंगे ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : विधवाओं को मिलने वाली पैंशन में अन्तर क्यों है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जिनके पतियों ने रणक्षेत्र में प्राण त्यागे हैं उनको मिलने वाली पैंशन तथा जिनके पतियों ने ऐसे स्थानों पर प्राण त्यागे हैं जहाँ युद्ध नहीं हो रहा था उनको मिलने वाली पैंशन में कुछ अन्तर रखने की सम्भावना हैं । पैंशन सहित हाल ही में बनी तथा उसको कार्यान्वित किया जाएगा ।

श्री समर गुह : माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री ने इस सभा में कई बार यह आश्वासन दिया था कि भूतपूर्व आई० एन० ए० के सैनिकों को उन युद्धबन्दियों के समान ही जो नियमित ब्रिटिश सेना में थे पूरा वेतन, पैन्शन तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे । किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो उनके लिये कुछ भी नहीं किया गया तथा उन आश्वासनों के राजनीति के फेर में आकार समाप्त

हीं हो जाने की आशंका है। मैं एक भूतपूर्व आई०एन०ए० के सैनिक को जानता हूं। उसको पहले सूचित किया गया था कि उसके हिसाब में 15,000 रुपयों की राशि बनती है किन्तु बाद में उसे एक पत्र में बताया गया कि वह किसी भी राशि का हकदार नहीं है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं मैं गिना सकता हूँ। सरकार ने 10,000 या 20,000 रुपयों के स्थान पर आई० एन० ए० के सैनिकों को केवल 200 या 300 रुपयों की एक राशि मंजूर की हैं। बहुत से व्यक्तियों ने इस राशि को लेने से इंकार भी कर दिया है।

बजट पर बहस के अन्तर्गत सदन के एक दर्जन से अधिक माननीय सदस्यों ने प्रतिरक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इन बातों की ओर दिलाया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय ने सदन में भूतपूर्व आई० एन० ए० के सैनिकों को पूरा वेतन, पैंशन तथा अन्य भत्ते दिये जाने के बारे में आश्वासन देकर उसे पूरा क्यों नहीं किया। यह भी बताया जाता है कि इन सैनिकों का कार्यालय से रिकार्ड खो गया है। क्या सरकार भूतपूर्व आई० एन० ए० के सैनिकों तथा आई० एन० ० समितियों से सहायता लेकर इनके रिकार्ड की व्ययस्था करेगी तथा क्या उनके हक में निकलने वाली निधि को उन्हें समय पर देने का प्रयत्न करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आश्वासनों को पूरा किया जायगा। बहुत से मामलों में धन की अदायगी कर दी गई है तथा अन्य मामलों में भी आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उन्हें भी अदायगी कर दी जायेगी। जहाँ तक रिकार्ड बनाने का प्रश्न है हमें रिकार्ड बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे है तथा अन्य सूत्रों से आवश्यक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में यदि हमें भूतपूर्व आई० एन० ए० सैनिकों तथा उनकी समितियों से कोई सहायता मिले तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम उनके सहयोग को स्वीकार करेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बहुत से सैनिकों की पत्नियां बहुत छोटी आयु में विधवा हो जाती हैं तथा इससे उनका जीवन अत्यन्त दुःखद हो जाता है। पैंशन तथा अन्य मदों से उन्हें जितनी राशि प्राप्त होती है वह अपर्याप्त होती है। इस स्थिति में मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या वह उनके लिये कोई ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जिससे इन महिलाओं को किसी व्यावसायिक संस्थान में स्थान मिल सके। जहां से उन्हें कुछ प्राप्ति भी हो तथा वे स्वयं को लाभदायक कार्य में व्यस्त भी रख सकें ?

श्री स्वर्णसिंह : सुझाव उत्तम है। हमने इस दृष्टि से कुछ कार्य किये भी हैं। फिर भी इस बारे में राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को भी बहुत कुछ करना शेष है।

श्री रणजीत सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अभी कितने जवानों के पैंशन के मामले तय नहीं हो पाए हैं ? जहां तक नागालैंड का सम्बन्ध है उन्होंने इस बारे में दो श्रेणियां बनाई हैं। पहली श्रेणी के अन्तर्गत वे आते हैं जो 20 अक्तूबर, 1962 से पहले नागालैंड में युद्ध के दौरान मरे तथा दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जो 20 अक्तूबर, 1962 के बाद मरे। जो सैनिक 20 अक्तूबर 1962 के बाद मारे गये उनके आश्रितों को अधिक पैंशन मिलती है। जो सैनिक इस तिथि से पहले मारे गए थे उनको 'युद्ध में मारे गये' की श्रेणी में नहीं रखा गया। क्या सरकार इस भेद को समाप्त करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के पहले अंश के बारे में मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि अभी कितने मामले तय नहीं हो पाए हैं। यदि अलग से प्रश्न रखा जाता तो मैं इसकी सूचना एकत्रित कर सकता हूँ। फिर भी हो सकता है सूचना तुरन्त उपलब्ध न हो सके।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस मामले को सभा में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। बढ़ी हुई पैंशन का लाभ देने के लिए कोई न कोई तिथि तो निश्चित करनी ी थी तथा इसके लिए वर्ष 1962 को निश्चित किया गया था क्योंकि इसी वर्ष चीन का आक्रमण मुख्य रूप से हुआ था तथा उसी समय देश पर भारी संकट दिखाई दिया था। पहले नागाओं के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के अंतर्गत प्राण त्यागने वालों को इस लाभ में सम्मिलित करने की इच्छा नहीं थी किंतु बाद में समान समय सीमा में आने से या प्रारम्भिक क्षेत्र की दृष्टि से यह निश्चित किया गया जो नागालैंड में मारे गए हैं उनको भी इन बढ़ोत्तरी से लाभान्वित किया जाय। अतः कोई तिथि निश्चित करनी थी और वह वर्ष 1962 की गई हैं।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir, our mtilitary personnel guard the secutity and generaticn of our country even standing in the incongenial climate of the higher mountains. May I know, if they are not showing their compassion toward the ex-I.N.A. perionnel. When the Government will be sympathetic as this force was organised by the late Shri Subash Chandra Bose ? May I know the reasons for not meeting the demands of them without any further delay ?

Shri Swaran Singh : We have full sympathy to them and we mal ing attempts to pay them the remaining amounts which are due to them.

श्री स० मो० बनर्जी : हम युग की युद्ध पद्धति को देखते हुए सैनिकों के साथ अन्य असैनिक कर्मचारी, जैसे कि एम० ई० एस० तथा अन्य विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी, भी कभी-कभी युद्ध में मारे जाते हैं। हाजी पीर की सैनिक कार्यवाही में एम० ई० एस० के लगभग 5 या 6 कर्मचारी मारे गए थे। उन व्यक्तियों के परिवारों के लिये यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें अन्य युद्ध में मरने वाले सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली पैंशन के बराबर पैंशन नहीं दी गई। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना हूँ कि क्या कोई ऐसे आदेश जारी किये गये हैं अथवा किये जाने की संभावना है जिसके अन्तर्गत युद्ध में मारे जाने वाले सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के परिवारों को समान रूप से पैंशन दी जायगी।

श्री स्वर्ण सिंह : दो प्रकार की पैंशन योजना हैं, एक सैनिकों के लिये है तथा दूसरी असैनिक कर्मचारियों के लिये है। इन दोनों योजनाओं में अन्तर रखने के बारे में विभिन्न कारण हैं जिनकी समय-समय पर व्याख्या की गई हैं। जिस विशिष्ट मामले का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उससे संबंधित तथ्यों को मैं तुन्रत बताने में असमर्थ हूँ।

Availability of experienced Indian Scientists and Engineers in Atomic Field

*1686. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether India has sufficient number of efficient, trained and experienced scientists and engineers who can take an independent charge of the work connected with plant designing, construction and proper functioning with a view to expand the programme relating to atomic reactors ; and

(b) if not, the efforts being made to remove the deficiency ?

The Deputy Minister (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) and (b). We have a sizeable number of trained and experienced scientists and engineers for the design and construction work of atomic reactors. However, for a growing programme, more will be required and from last year, the Atomic Energy Commission has increased recruitment at its Training School at the Bhabha Atomic Research Centre.

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, the development of Atomic Energy is being undertaken in an accelarating manner. In this context may I know whether the latest techniques, such as seperation of Uranium 233 from the thorium with the help of molten salt by way of heating the thorium in the atomic reactor, have also been included in the training which is under gone by the scientists and engineers of our country ? A plant has been established in Europe with the collaboration of Germany, Britain, etc. wherein such work is being carried on. May I know whether the latest technique carried on in that plant is also made available to our scientists and engineers ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हम अपने वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को पूर्ण प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास का रहे हैं। माल्टन साल्ट रिएक्टर के संचालन के बारे में यह प्रस्ताव है कि अपने कुछ वैज्ञानिकों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी लेने के लिये वहाँ भेजा जाय। जो नवीन प्रणाली अमरीका में अपनाई जा रही है उसकी जानकारी लेने के लिये भी अपने कुछ वैज्ञानिकों को भेजने का प्रस्ताव है।

सरकार इस संबंध में अन्य विकसित तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण लेने के लिये भी विभिन्न देशों में अपने वैज्ञानिक भेज रही है।

श्री समर गुह : जब सरकार परिमाणु विभाजन की अनुमति नहीं दे रही है तो वह यह कार्य कैसे कर सकती है।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know the reasons for not embarking upon an atomic energy plant in its longer form in spite of this availability of highly trained scientists and good engineers who are capable of undertaking the work of plant fabrication and who are also capable of operating the plant itself and the availability of raw material in our country ? Is it a fact that the Government are not undertaking this work because of the exhanstion of the value of the Indian currency ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सम्भवतः माननीय सदस्य ने यही प्रश्न कुछ समय पहले भी रखा था...

श्री महाराज सिंह भारती : किन्तु तब भी इसका उत्तर नहीं दिया गया था।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह प्रश्न कृषि-उद्योग संश्लिष्ट के लिये उच्च शक्ति के रिएक्टर के बारे में था। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, देश चलाए जाने वाले रिएक्टरों के लिये इस समय हमारे देश में पर्याप्त वैज्ञानिक हैं। फिर भी सरकार इस विज्ञान से संबंधित दिन प्रति दिन विकसित तकनीकों का अध्ययन करने के लिये अपने देश के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को अन्य देशों में भेज रही है। किन्तु माननीय सदस्य के मन में जिन बड़े रिएक्टरों तथा संयंत्रों की बात है, उनके के बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि न केवल साधनों के ही दृष्टिकोण से अपितु अन्य अनेक कारणों से भी अभी इतने बड़े रिएक्टरों की स्थापना करना हमारे लिये कठिन है। यदि

माननीय सदस्य इस संबंध में कार्यकारी दल प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि दल ने कच्छ-सौराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का अध्ययन किया है तथा उन्हें इन कारणों का भी ज्ञान हो जाएगा जिनके कारण इन कार्यों में देरी हो रही है। यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है।

Shri Maharaj Singh Bharati : I want your protection, Sir. I never argued for the establishment of the plant paticularly in Aligarh or some where else. The hon. lady Minister has replied in reference to the earlier question. I actually want to know that due to what other reasons the Government are not embarking upon the atomic energy plant in a longer scale when every thing required for this plant is available in our country. For this purpose no big amount of foreign exchange is required and thus should we appreha nd that this plant is not being undertaken as the Government have also suffering from the pancity of their own currency ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस प्रश्न का संबंध केवल विज्ञान या साधनों तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध रेलों तथा यातायात की सुविधाओं आदि से भी है। जब तक इन सभी सुविधाओं का विकास नहीं होता इस कार्य को हाथ में लेना कठिन है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : आत्म निर्भरता के संदर्भ में क्या में क्या मैं जान सकता हूं कि परिमाणु ऊर्जा आयोग में विदेशी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की संख्या कितनी है तथा जिन संयत्रों को खड़ा किया जा रहा है उनके लिये मंगाए जाने वाले विदेशी संयंत्रों की प्रतिशतता क्या है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यदि माननीय सदस्य एक स्वतंत्र प्रश्न रखें तो मैं उनका उत्तर दे सकती हूं।

श्री बलराज मधोक : यह प्रसन्नता की बात है कि भारत में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रतिभा है तथा कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में है। क्या यह सच है कि कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु शक्ति के ज्ञान के क्षेत्र में अमरीका तक अन्य दूसरे देशों में अपना अच्छा नाम कमाया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें से किसी ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रमों से सेवा करने की इच्छा व्यक्त की है, और यदि हाँ तो भारत सरकार की उनकी इच्छा के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल विद्यमान है तथा वैज्ञानिक भी हैं तो यह देखते हुए कि हमारा देश शत्रु देशों से घिरा हुआ है तथा इसरायल जैसे छोटे देश भी परमाणु निवारकों का उत्पादन कर रहे हैं क्या भारत सरकार भी परमाणु अस्त्रों शीघ्राति शीघ्र निर्माण करेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्य को दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दूँगी। यह नीति का मामला है। सदन में इस विषय पर वाद-विवाद कई अवसरों पर हो चुका है उस वाद-विवाद में माननीय सदस्य ने भाग लिया था। मैंने भी उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। इस समय भी उनके प्रश्न का वही उत्तर है।

श्री बलराज मधोक : क्या आपमें इस कार्य को करने की क्षमता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह कहना कठिन है क्योंकि परिवर्तन की गति तेजी से बढ़ रही है। प्रश्न का पहला भाग क्या था ?

श्री बलराज मधोक : हमारी प्रधान मंत्री जी भुलक्कड़ हैं। विदेशों में बहुत से भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम भारतीय वैज्ञानिकों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है उनमें से कोई भी अपने पदों को त्याग कर भारत में आना नहीं चाहता। मैं व्यक्तिगत रूप से कई एक वैज्ञानिकों से सम्पर्क बनाए हुए हूँ। यदि उनमें से कोई भारत आना चाहेगा तो उनका स्वागत किया जाएगा।

श्री कार्तिक उरांव : हमारे देश में रंग भेद संबंधी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसमें भी प्रतिस्पर्धा होती है। एक विदेशी विशेषज्ञ, चाहे वह अपने देश में विशेषज्ञ है या नहीं, को हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और हम ऐसे लोगों को 4,000 रुपये से कम नहीं देते हैं और हम वही वेतन उसके बराबर वाले, अगर अधिक नहीं तो, सक्षम भारतीय विशेषज्ञ को देने को अनिच्छुक हैं। मैं सरकार को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि हमारा देश तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी में दिवालिया नहीं है क्या सरकार के पास ऐसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सूची है जो हमारे देश में डिजाइन बनाने, निर्माण, प्रतिष्ठापन और निर्माण संबंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालने में समर्थ हैं ? क्या हमारी सरकार असाधारण इंजीनियरों को विदेशी विशेषज्ञों के समान समझेगी ?

श्री नन्दिनी सत्पथी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि हमारे देश में काफी संख्या में अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं और वास्तव में हमारे परमाणु संथमो में कार्य करने वाले युवा इंजीनियर और वैज्ञानिकों की तुलना किसी भी विकसित देश के किसी भी वैज्ञानिक और इंजीनियर से की जा सकती है। वस्तुतः वेतन मानों में ऐसा अन्तर नहीं है। विभिन्न कारखानों में बहुत कम विदेशी विशेषज्ञ हैं। मद्रास में बनने वाले कलपकभ परियोजना पूर्णतः भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनायी जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : श्री मधोक द्वारा पूछे गए प्रश्न को मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि विदेशों में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं जिन्होंने कि विशिष्टता प्राप्त कर ली है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियरों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया हुआ है ? क्या सरकार को मालूम है कि वहां कितने लोग हैं ? वे कहाँ कार्य कर रहे हैं और वे कहाँ उपलब्ध हैं, और यदि हाँ तो रजिस्टर में उल्लिखित संरका कितनी है।

श्रीमति नन्दिनी सत्पथी : इस समय हमारे पास ठीक-ठीक सूचना नहीं है परन्तु हम बाद में यह दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर रखा जाता है या नहीं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय यह बताया कि वैज्ञानिकों को विदेशों में आगे प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि गत पांच वर्षों में उनमें से कितनों को बाहर भेजा गया और कितनों को वापिस लौटने के बाद रोजगार देकर खपाया गया ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस समय मेरे पास संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु उन वैज्ञानिकों को, जिनको हमने बाहर भेजा था, यहां काम में खपा लिया गया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि कनाडा की सरकार ने, जिसने ट्राम्बे, अप्सरा में प्रयोग के लिए परमाणु रिएक्टर दिया है हमारी सरकार से विशेष रूप से कहा है कि परमाणु युद्ध अस्त्र न बनाएं जाये परन्तु परमाणु उर्जा का प्रयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाये और यदि हां, तो क्या परमाणु अस्त्र के न बनाने की नीति को प्रतिपादित करने का यह एक कारण नहीं है क्योंकि कनाडा की सरकार यह नहीं चाहती है कि हम इसको बनायें ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों में करने की नीति पर निर्णय कुछ समय पूर्व लिया गया था । परन्तु यह सच है कि कुछ देश, जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यह चाहते हैं कि हम भी हस्ताक्षर करें परन्तु ऐसा कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया ।

श्री हेम बरुआ : यह मेरा प्रश्न नहीं था । उनका तात्पर्य आंशिक परीक्षण निषेध संधि से है । मेरा प्रश्न विशिष्ट है कि क्या कनाडा की सरकार ने जिसने परमाणु रिएक्टर, अप्सरा ट्राम्बे में प्रयोग के लिए हमें दिया है, हम से साफ-साफ कहा है कि परमाणु अस्त्र न बनाकर शान्तिपूर्ण कार्य के लिए परमाणु शक्ति उत्पन्न की जाये क्या आपकी नीति को प्रभावित करने वाला यह एक कारण है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनके साथ संधि का यह एक भाग है परन्तु जो हम अन्य रिएक्टरों में तथा जो हम अपने देश में बनाते हैं, उसके सम्बन्ध में हमारी नीति पर इसका असर नहीं पड़ता है ।

Shri Jageshwar Yadav : The scientists of India manufactured cartridges containing atoms with great skill and the Indian Jawans got considerable success by using them in the War. Great success was achieved in piercing the steel sheets which were eight inch thick. It is clear that Indian Soldiers got success in the war against Pakistan and we got considerable land. But our leaders lost that victory at Tashkent under Compulsion. I want to know whether our leaders lost self-respect as to allow such thing in the achievment of Scientists.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मुझे अफसोस है कि मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ सकी हूँ ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं इस पहलू में नहीं जाना चाहता कि हम परमाणु बम नहीं बनाना चाहते हैं, परन्तु अचानक कोई ऐसी बात उठ सकती है जब सरकार को अपना निश्चय

बदलना पड़े और परमाणु बम बनाये । इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि अकस्मात कोई बात उठने पर क्या हम बम बनाने में सक्षम हैं ? क्या उन्होंने इसका लागत मूल्य लगाया है कि हमारी स्थितियों में इसको बनाने में कितनी लागत आयेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पिछले वाद-विवाद में इन सब मामलो पर वाद-विवाद लिया गया था । जहां तक लागत का सम्बन्ध है, यह किसी एक विशेष बम की लागत नहीं है । यह इसके भंडार और इससे संबंधित अन्य बातों, जिसमें औद्योगिक पट्टा भी शामिल है, पर आधारित है ।

श्री समर गुह : यह एक नहीं है । आप एक दर्जन से अधिक परमाणु बम बना सकते हैं । ट्राम्बे में प्लूटोनियम का जो भंडार जमा है उससे आप 1 दर्जन और इससे अधिक बना सकते है । यह नीति सम्बन्धी बात हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । दुर्भाग्यवश इस सभा में हमारे पास बहुत से परमाणु विशेषज्ञ हैं । यह हमारी कठिनाई है । हर कोई समझता है कि वह विशेषज्ञ हैं । अतएव श्री समर गुह, मैं समझता हूँ कि यह सभा जानती है कि आप एक बड़े विशेषज्ञ हैं, यह केवल अप्सरा नहीं है । अगला प्रश्न ।

चलचित्रों का निर्यात/आयात

*1687. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, भारतीय चलचित्रों के विदेशों में प्रदर्शन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) इसी अवधि के दौरान विदेशी फिल्मों के भारत में प्रदर्शन से कितनी राशि अर्जित की गई और विदेशों को भेजी गई;

(ग) विदेशी फिल्मों से अर्जित राशि विदेशों को कैसी भेजी जाती है; और

(घ) किन-किन देशों को ये राशियां भेजी जाती हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). एक बिवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 (अप्रैल, 68 से जनवरी' 69 तक) की अवधि में निर्यातित भारतीय चलचित्रों का कुल मूल्य निम्नलिखित है :

मूल्य लाख रु० में

वर्ष	मूल्य
1966-67	142.5
1967-68	389.0
1968-69 (अप्रैल 68 से जनवरी 69)	235.4

(ख) से (घ). मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका इंक और सोवेक्स-पोर्ट फिल्म के साथ द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत इस समय रूपक चित्रों का आयात केवल सं० रा० अमरीका तथा सोवियत संघ से ही क्रमशः करने दिया जाता है। विदेशी रूपक फिल्मों के प्रदर्शन से अर्जित राशि का पता लगाया जा रहा हैं और उसके आंकड़े यथा समय सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

सं० रा० अमरीका से आयातित फिल्मों से प्राप्त आय को भारत में निरुद्ध खातों में रखा जाता है, परन्तु उन्हें कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों, जैसे भारत में फिल्मों के निर्माण तथा सह-निर्माण भारतीय फिल्मों की खरीद अथवा उन्हें किराये पर देना, आदि, के लिए निकाला जा सकता है। मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका की सदस्य कम्पनियों के लिए यह अनुमेय है कि वे अपनी ऐसी निवल आय, जिसे बाहर भेजा जा सकता है, में से सभी सदस्यों की ओर से कुल मिलाकर 25 लाख रु० प्रतिवर्ष सं० रा० अमरीका को भेज सकती हैं।

रूसी फिल्मों से अर्जित आय में से भारत में इन फिल्मों के आयात तथा उपयोग के संबंध में होने वाला व्यय किया जाता है। शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे भारत में सोवियत संघ के अपरिवर्तनीय रुपये लेखे में जमा किया जाता है।

वर्ष 1965-66 से 1967-68 तक की अवधि में मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका इंक की सभी सदस्य कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी गयी राशियां निम्नलिखित थी :

वर्ष	(रु० में)	
1965-66	19,90,315	*इस आंकड़े में वह राशि शामिल है जो
1966-67	19,95,716	कुछ सदस्य कम्पनियों द्वारा सितम्बर,
1967-68	23,06,238*	1968 तक बाहर भेजी गई।

Shri George Fernandes : I will read out two sentences from the statement placed on the Table of the House.

"संयुक्त राज्य अमरीका से आयातित फिल्मों से प्राप्त आय को भारत में निरुद्ध खाते में रखा जाता है और उनको निकाला जा सकता है।"

It further says.

रूसी फिल्मों से अर्जित आय में से भारत में इन फिल्मों के आयात तथा उपयोग के संबंध में होने वाला व्यय किया जाता है। शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे भारत में सोवियत संघ के अपरिवर्तनीय रुपये लेखे में जमा किया जाता है।"

Then it is also added. That

"विदेशी रूपक फिल्मों के प्रदर्शन से अर्जित राशि का पता लगाया जा रहा है और उसके आंकड़े सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।"

I want to know that when you have formulated two rules i.e. our rule is for American and another rule for Russians then how much money of their deposited under the rule in Blocked account or Non-Convertible rupee account ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जहां तक अमेरिका के मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य कम्पनियों के विरुद्ध खाते का संबंध है, उसमें उनके 3.8 करोड़ रुपये है। जहां तक रूस के सोवक्सपोर्ट फिल्म का संबंध है, उनके अपने खाते में लगभग 1 करोड़ रुपया है।

Shri George Fernandes : Just now the Hon. Minister, has stated that the earnings of imported Films from U.S.A. is about rupees 3.83 crores which they have deposited in the Blocked account and they decide how to spend the money. As far as the Russian Films are concerned, it is of the order of rupees 1 crore. May I know whether it is not a fact that the Americans refuse Indian made films to be shown there. When the film producers in India made attempt to take Indian films to America then American film association and their Government discouraged this. With the result it has become impossible for Americans to purchase Indian Films whreras Americans are earning foreign exchange worth crores of rupees and taking it to their homes. I want to know whether talk will be held with the American on Government level so that our Indian made films may go there and if it proves not possible then whether he will take any step to ban American Films which are coming here ?

Shri B. R Bhagat : It is a fact that there has been no export of Indian films to America and what the hon. member has said is truth. We are trying for the export of Indian films to America.

Shri George Fernandes : The hon. Minister has not given full reply to my question. I also wanted to know will the Government consider to ban the import of American films which are being imported from that country in a large number, until these aspects are fulfilled.

Shri B. R. Bhagat : Long as the period of agreement reached with that country is not other, there would be no use of banning import of films.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वक्तव्य में वर्ष 1966-67 से 1968-69 के अन्तर्गत भारतीय फिल्मों के निर्यात से प्राप्त राशि का उल्लेख किया गया है तथा उससे ज्ञात होता है कि वर्ष 1968-69 के अन्तर्गत इस राशि में लगभग 1 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है। हमारी फिल्मों का निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों, जैसे श्री लंका आदि को होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार को श्रीलंका की सरकार के रवैये के बारे में क्या सूचना मिली है। समाचार पत्रों में छपी सूचनाओं के अनुसार श्रीलंका के गृह-मंत्री ने कहा है कि वहां की सरकार भारतीय फिल्मों और विशेषकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है। क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि भारतीय फिल्मों पर वहां की सरकार प्रतिबन्ध न लगाये। क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार ने यह दृष्टिकोण इसलिए अपनाया है, क्योंकि हमारे आकाशवाणी केन्द्रों से व्यापारिक प्रसारण का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है ?

श्री ब० रा० भगत . समाचार पत्रों में छपी हुई सूचना हमने भी पढ़ी है किन्तु हमारे पास अभी सरकारी तौर पर कोई सूचना नही आई है। हमने अपने उच्चायुक्त को कहा है कि वह इस मामले में हमें सूचित करें।

श्री एस० कण्डप्पन : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को ऐसे गम्भीर तथा वहाँ पर भारतीय और सिंहल जनता के पारस्परिक संबंधों को आयात पहुंचाने वाले मामलों का भी ज्ञान नहीं है। श्रीलंका की सरकार अपने फिल्म उद्योग को विकसित करने में बहुत उत्सुक दिखाई देती है।

भारत तथा श्रीलंका के पारस्परिक सम्बन्धों के बढ़ने की बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार श्रीलंका की सरकार को भारतीय फिल्मों के आयात करने के बारे में प्रेरित करने में असमर्थ है और क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि भारतीय फिल्म निर्माता और श्रीलंका के फिल्म निर्माता पारस्परिक सहयोग से उस देश में फिल्मों का निर्माण करें ? क्या सरकार इस प्रकार की सम्भावना उत्पन्न करेगी जिससे उनके साथ हमारे सम्बन्ध बिगाड़ने की बजाय और भी दृढ़ हो सकें ?

श्री ब० रा० भगत : साधारणतया जब कोई सरकार किसी वस्तु के आयात का प्रतिबन्ध लगाती है तो वह हम को उसकी सूचना देती है अतः कोई सूचना न मिलने का आशय यह था कि हमें श्रीलंका की सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है । फिर भी हम इस बात का पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं । जहाँ तक दूसरी बात का संबंध है, यह आगे की बात है तथा जैसे ही उचित अवसर आयेगा हम उस मामले को भी उठायेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

गुलडहर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर तिजोरी का लूटा जाना

+

अ० सू० प्र०. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 मई, 1969 को गाजियाबाद से पूर्व की ओर 9 किलोमीटर दूर स्थित गुलडहर रेलवे स्टेशन पर डाकुओं के एक गिरोह ने एक तिजोरी को लूट लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकुओं ने ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर की पिस्तौल से हत्या कर दी थी; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । डाकुओं ने तिजोरी लूटने की कोशिश की थी लेकिन उनकी कोशिश मुख्यतः ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा वीरतापूर्ण प्रतिरोध किये जाने और शोर मचाने पर पास के गाँवों वालों के आ जाने से विफल हो गई ।

(ख) ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर पर गोली चलाई गई थी जिसके परिणाम स्वरूप वह सख्त घायल हो गये ।

(ग) (1) रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र टुकड़ी गुलडहर स्टेशन पर तैनात कर दी गई है ।

(2) उस क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए सशस्त्र पुलिस गश्त तैनात कर दी गई है ।

(3) अपराधियों को पकड़ने के लिए डाके के मामले की छान-बीन तेजी से की जा रही है।

(4) उस क्षेत्र में राज्य की पुलिस द्वारा और रेलवे परिसीमा में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा दिन रात चौकसी रखी जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is not the first time that such an incident of plunder and murder has taken place on the railways. Despite, heavy amount being spent aroundly the Railway protection Force, such nafarious and anti-social activities are going on. I am unable to understand the utility of keeping this force, which did not from useful in checking such crimes on Railways. May I know the number of such cases involving plunder, murder and assassination and the extent loss caused during the last year ?

May I also know the specific steps proposed to be taken by the Government for checking such incidents ?

Dr. Ram Subhag Singh : So far as the Railway Protection Force is concerned there was only one guard of this force on duty at that station. It is not practicable to port R.P.F. personnel at each and every station and at each and every room of the stations indiscriminality on small and big Railway station. The R.P.F. guard called the people of the village nearly for help. Despite, eight or nine decoits who were equiped with arms and ammunition and who opened the fire and beat the Asssistant Station Master, Shri Sham Sunder, the later bravely held one of the decoits by his collar and siezed the live cartidges from him.

An armed wining of the G.R.P. is being created for the entire state of Uttar Pradesh which will be posted into fine big sections i.e. in Agra, Lucknow, Gorakhpur, Allahabad and Moradabad. The battaliers of this wing will be posted at 41 places and they will rush for help when needed. So far as cirmes are concerned even in Delhi the number of criminal incidents are going up. I would like to submit the figures in this regard for the period from 1966 to 1968. The number of cases of dacoities and robberies committed was 80 during 1966, 110 during 1967 and 109 during 1968 so far as the state of Uttar Pradesh is concerned.

There were cases of murder also and we are making efforts to check them.

Shri Kanwar Lal Gupta : Apart from the cases of plunder and decoities certain types of murders have also taken place. You might be knowing the most callous murder was that which took the life of the President of the Jan Sangh Party, Shri Din Dayal Upadhyaya. We apprehand that was a political murder. But the investigations in regard to that murder are being carried in a routine manner. At certain areas the incidents of dacoities and murders took place frequently. May I know whether Government will take certain specific steps to ensure protection of the V.I.Ps. the President of political parties and the distinguished personalities of the country during their travel by Rails ?

Dr. Ram Subhag Singh : Whenever any incident of murder, especially a murder of a political leader takes place it leaves a shudder of sorrow in the country. In the state of Uttar Pradesh 324 passengers trains are running and we are making efforts to have some personnel of Armed Police on duty in all those trains, small or big.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the Government are making efforts to ensure the protection of V.I.Ps. and other office bearers of political parties ? Are you trying to ensure that there would be no political number in future ?

Dr. Ram Subhag Singh : As I have mentioned, specific attempts are being made to protect the lives of all the passangers. The number of trains running in Uttar Pradesh is 324. The big personalities also travel in these trains and we will try to secure the likes of all the passangers.

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रत्येक स्टेशन में तथा देश के कोने-कोने में सुरक्षा प्रबन्ध करने में जैसा कि उन्होंने बताया है, मैं माननीय मंत्री जी की कठिनाई को समझता हूँ। परन्तु स्टेशनों पर बढ़ती हुई हिंसात्मक घटनाओं पर अभी दो दिन पूर्व सदन में जो चिन्ता व्यक्त की गई थी उसकी ओर वे ध्यान दें। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उपाय के रूप में क्या वे विभिन्न राज्यों के संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे और सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ाने के लिए उन राज्यों के सहयोग की सम्भाव्यताओं का पता लगायेंगे जो उन्हें वहां से प्राप्त हो सकता है और वे राज्य कौन-कौन से हैं जो सहयोग देना नहीं चाहते ? उन राज्यों को दृष्टि में रखते हुए वह अपने ही सुरक्षा दल की संख्या बढ़ाकर दृढ़ कर सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : शान्ती और व्यवस्था बनाये रखना राज्यों का उत्तरदायित्व है। हमने मुख्य मंत्रियों से बात-चीत की है और वे हमें हर सम्भव सहयोग दे रहे हैं। इन दो दुर्घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत करने के लिए हम उनसे पुन: बात कर रहे हैं। मैं अपने उन रेलवे कर्मचारियों के प्रति जिन्हें क्षति पहुंची है, सहानुभूति प्रकट करता हूँ क्योंकि वे बड़ा साहसपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : All those powers have not been given to Railway Protection Force as other police force enjoys. It is not a reason for the difficulty being faced by the R.P.F. ? Railway trains have to from through all states and union territories. Is it no. a fact that the R.P.F. cannot take such action as the local or state police can take ? You have appointed a higher Former Committee which submitted its report and suggested more powers should be given to the R.P.F. so that they may be able to protect the Railways passengers and the goods. I want to know when you are going to implement its recommendations ? On the railway line between Muzaffarpur and Motihari decoities are committed every now and then in running trains and once or twice Government treasury has also been robbed. Passengers are also looted in trains. Will you have some special provisions in order check all these things ?

Dr. Ram Subhag Singh : I shall make special arragements to check such things between Motihari and Muzaffarnager. So far as the question of giving Powers of investigation and prosecution to the R.P.F. is concerned...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के ब्यौरों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Parkashvir Shastri : One incident has taken place at Guldahar Station. A few days back Guldahar Village had been looted. The robbers had looted half the village on that night. You have not been able to arrest those decoits. Now the incident of robbing the coffer of Railway station has taken place. A few days back a similar incident took place.

A railway ticket checker was stabbed near Hapur and you had given him a prize of Rupees One thousand in the hospital. I want to know whether Government will have special arrangement of police force for at least five or six months to check such incidents which are increasing on the Delhi—Meerut ; Delhi—Moradabad and Delhi Aligarh sections so that normal conditions may become be restored on these railway lines ?

Dr. Ram Subhag Singh : As I have stated just now that an armed wing of G.R.P. is being created and this force will be deputed in 41 dacoit inferted places of U.P.

Shri Tulsidas Jadhav : Coal stored at stations is stolen because it is not matched properly and the employees are not in adequate number. Therefore, you cannot do anything in this regard. Same is the position of ticketless travel. The ticket checkers are not able to check properly and as such ticket less travelling continues. There are no adequate arrangements in this regard. Have you made special provisions in order to check all these

things ? More police contingent should be posted at these places and more railway station should be opened. In order to check all these things, has the railway department chalked out a programme of public relations and creating public openion againat such anti socia activities ? D.S., D.C.S. and other officers should write people, and try to establish public relations, and discuss all these things with them. They should seek cooperation of the public. Has railway department prepared any such programme ?

Dr. Ram Subhag Singh : We try to implement public relations programme. The hon. members are establishing such relations with people on our behalf. So far as the question of the theft of coal is concerned the R.P.F. looks into the security of the railway stores etc.

श्री रंगा : पिछले युद्ध के दौरान रेलवे कर्मचारियों को सैनिक प्रशिक्षण एवं शस्त्र दिये गए थे । क्या सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह स्टेशन मास्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को जो जिम्मेदारी के पद पर हैं, जैसे गार्ड, इंजन ड्राइवर आदि, शस्त्र दे जिससे कि वे समय पड़ने पर अपनी तथा अन्य मनुष्यों की रक्षा कर सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : हमने ऐसे सब कर्मचारियों को शस्त्र देने की सम्भाव्यता पर अभी विचार नहीं किया है । परन्तु इस सुझाव पर हम ध्यान देंगे ।

Shri M. A. Khan : As I have told earlier that incidents of murder, theft, chain-pulling etc. have become very frequent on the Kasganj—Fatehgarh section of the N.E. Railway. I want to know from the hon. Minister whether this section is included in the 41 places of U.P. as referred to by him. A few months before a railway employee Shri Chaturvedi was murdered on this section and he is survived by his widow and nine children. They have got no land and means of liklihood. One of his sons has applied for employment in the railway department. I want to know whether similar concessions will be given to them as are being provided to the children in case of those employees who have sacrifice their lines.

Dr. Ram Subhag Singh : This section is included in those places. Regarding the case of Shri Chaturvedi I shall look into this matter.

Shri Shiv Charan Lal : Similar incidents take place every now and then from Shakurabad to Mainpuri and Farrukhabad and in Etah. One and a half year back a guard of Tundla station was murdered at Panki station. I have given an application of that Guard's. Widow to Shri Punacha, but action has not been taken on that request so far. Will the hon. Minister be pleased to take necessary action in this connection ? If Government is not in a position to keep police force on each and every railway station, will it care to give licenses to the responsible railway employees for keeping infles etc. on the railway stations so that they may protect themselves as well as travellers ?

Dr. Ram Subhag Singh : The hon. member, Shri Ranga has asked the same question. We shall consider this suggestion.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काश्मीर के बारे में रूस का दृष्टिकोण

*1681. **श्री मधुलिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में हाल में हुई भारत-रूस वार्ता के दौरान काश्मीर प्रश्न के बारे में रूस सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन पाया है ; और

(ख) क्या रूस ने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि यदि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का प्रश्न उठाया, तो वह वीटो का प्रयोग करेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) रूस सरकार ने हमें बार-बार यह आश्वासन दिया है कि इस प्रश्न पर उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) आश्वासन लेने की स्थिति कभी सरकार के सामने नहीं आई है । सरकार को ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि जब इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाया जायेगा तो सोवियत रूस सार्वजनिक रूप से घोषित अपनी नीति से हट जायेगा ।

चैकोस्लोवाकिया के मामले पर भारत का दृष्टिकोण

*1685. **श्री मज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया में हाल में हुई घटनाओं का कोई मूल्यांकन यह जानने के लिए किया गया है कि चैकोस्लोवाकिया के आन्तरिक मामलों में रूस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के समय भारत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण युक्तिसंगत था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार विभिन्न मसलों पर अपने रवैये पर निरन्तर विचार करती रहती है । गत वर्ष चेकोस्लोवाकिया की घटनाओं के प्रति उसने जो रवैया अपनाया था वह भी इसमें शामिल है ।

(ख) सरकार को संतोष है वि उसकी नीति सही थी ।

विमानों का निर्माण

*1688. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसन्धान से पता चला है कि प्राचीन हिन्दू साहित्य में विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में बहुत जानकारी है ;

(ख) क्या नैट विमानों के निर्माण में उसका उपयोग किया गया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या अनुसन्धान किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). प्राचीन हिन्दू साहित्य में उड़ान करने वाली मशीनों या मोटर गाड़ियों के अनेकों उल्लेख हैं । तथापि आधुनिक विमान के निर्माण में

उनके वास्तविक प्रयोग के लिए उनके ब्यौरों का अर्थ निकालना बड़ा कठिन है। नैट विमान का निर्माण मैसर्स हाकर सिडले एविएशन लिमिटेड, ब्रिटेन किये गये एक लाइसेंस सम्बन्धी करार के अन्तर्गत आरम्भ किया गया है और इस प्रयोजन के लिये प्राचीन हिन्दू साहित्य का कोई प्रयोग नहीं किया गया है।

विजयन्त टैंकों का उत्पादन

*1689. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयन्त टैंकों का उत्पादन गत पांच वर्षों में काफी बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत की सेना की मध्यम प्रकार के टैंकों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी ;

(ग) क्या भारी टैंक बनाने हेतु अवाड़ी कारखाने का विस्तार करने अथवा एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये कोई योजनायें हैं ; और

(घ) क्या इस काम के लिये विदेशी फर्मों के साथ कोई नये सहयोग करार हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). विजयन्त टैंकों का उत्पादन प्रगतिशीलता पूर्वक बढ़ रहा है, और आशा है कि 1969-74 अवधि के दौरान विजयन्त टैंकों सहित कवच सहित पुनस्सज्जत कार्यक्रम की आवश्यकताएं पूर्णत: देशी यत: उत्पादन द्वारा पूरी हो जायेगी।

(ग) और (घ). जी नहीं।

टेलीविजन सैटों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण

*1690. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चौथी पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन सैटों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). 30,000 टेलीविजन सैटों का प्रति वर्ष निर्माण करने के लिये, संगठित क्षेत्र की दो फर्मों को (10,000 सैट प्रति वर्ष प्रति फर्म) और छोटे पैमाने की दो सार्थ संघों को (प्रत्येक को 5000 सैट प्रति वर्ष) लाइसेंस दिये गये हैं। दिल्ला में टेलीविजन प्रसारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह क्षमता पर्याप्त समझी जाती है। जब और टेलीविजन केन्द्र खोले जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन सैटों के निर्माण करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, यदि सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम टेलीविजन सैटों के निर्माण लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र देगा तो उसके प्रार्थनापत्र पर अन्य प्रार्थनापत्रों के साथ गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय करार

*1691. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच हाल में हुए त्रिपक्षीय व्यापार करार का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है और हाल के महीनों में इन देशों को भारत से अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात कम हो गया ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल से दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में इन वस्तुओं के वास्तविक निर्यात के आंकड़े क्या हैं और वे गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं । इसके विपरीत अप्रैल-दिसम्बर, 1967-1968 की उसी अवधि की तुलना में त्रिपक्षीय करार में शामिल की गयी अपरम्परागत मदों के संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया को होने वाले निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अमेरिकन पीस कोर (अमरीका शांति सेना)

*1692. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिकन मीस कोर (अमरीकी शांति सेना) जैसी सरकारी एजेंसियों के अलावा दिल्ली में विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा विदेशों के अनेक स्वयंसेवकों को काम पर लगाया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ स्वयंसेवक दिल्ली प्रशासन और अथवा केन्द्रीय सरकार की औपचारिक अनुमति के बिना काम कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार दिल्ली में निजी हैसियत से काम करने वाले कार्यकर्ताओं से अवगत नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Review Committee on State Trading Corporation

*1693. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether final report of the Review Committe on the State Trading Corporation has been received ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the decision taken by Government in regard to the re-organisation of the State Trading Corporation ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The recommendations in the Interim Report for expansion of the Board and other organisational matters have been agreed to by Government and most of them have been implemented by the Corporation. Suitable further action will be taken on receipt of the Final Report of the Committee.

जेनेवा में व्यापार तथा विकास बोर्ड की बैठक

*1694. **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू ।
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रबन्धक संगठन के व्यापार तथा विकास बोर्ड ने 21 से जनवरी, 7 फरवरी, 1969 तक जेनेवा में हुई अपनी बैठक में विकासशील देशों में व्यापार बढ़ाने तथा आर्थिक एकता के लिए एक अन्तः सरकारी समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में अन्य किन-किन विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां । इस बैठक में, विकासशील देशों के बीच व्यापार विस्तार, आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने तथा इस विषय पर अंकटाड-द्वित्तीय द्वारा स्वीकृत संगत संकल्प के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के मार्गों पर विचार तथा सिफारिश करने के लिए, यथाशीघ्र एक अन्तः सरकारी दल की बैठक बुलाने का विनिश्चय किया गया जिसमें दिलचस्पी करने वाले समस्त देश भाग लेंगे ।

(ख) से (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1145/69]

कलकत्ता में जनवरी 1969 में स्टेट्समन हाउस के सामने हुई घटनायें

*1695. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने कलकत्ता में 'स्टेट्समैन हाउस' के सामने गत जनवरी के अन्तिम सप्ताह में हुई घटनाओं के बारे में कोई टिप्पण भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ; और

(ग) सरकार ने पाकिस्तान सरकार को क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). नई दिल्ली स्थिति पाकिस्तानी हाई कमीशन से प्राप्त नोट और उसके उत्तर की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 1146/69]**

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को भारतीय सांख्यिकी संस्था से पृथक करना

*1696. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रधान मंत्री** मन्त्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को भारतीय सांख्यिकी संस्था से पृथक किया जायेगा ;

(ख) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को दूसरी स्वायत्तशासी संस्था बनाने का तथा उसमें संगणकों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किचाराधीन है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था के कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय नमून सर्वेक्षण को भारतीय सांख्यिकी संस्था से पृथक करने का कड़ा विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की गया प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के कर्मचारी संघ को यह आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में अन्तिम निर्णय करते समय उनके सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

नागाओं द्वारा मुक्ति सेना संगठन

*1697. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के सीमावर्ती क्षेत्र तथा आसाम राज्य के उत्तर कछार पहाड़ियों में स्वतन्त्रता के लिये फिजो के अनुयायी एक मुक्ति सेना बना रहे हैं ;

(ख) क्या इन अनुयाइयों को चीन और पाकिस्तान से हथियार मिल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) फिजो के अनुयायियों ने कुछ वर्षों से अपने को सशस्त्र गिरोह में संगठित कर लिया है । वे भारत से नागालैंड को अलग करने के मनसूबे को पूरा करने के लिए हिंसा और गैरकानूनी कार्यों का आश्रय ले रहे हैं ।

इन गिरोहों को पाकिस्तान और चीन से प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हुए हैं, जो उन्हें प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं तथा हथियार और साज सामान दे रहे हैं।

सरकार ने इस बात के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ समय-समय पर विरोध प्रकट किया है कि वे गैरकानूनी कार्य करने वाले नागाओं का समर्थन कर रहे हैं। स्थिति नागालैंड सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है और छिपे नागाओं को गैरकानूनी कार्य करने में कठिनाई हो रही है। हाल में चुनाव में नागा राष्ट्रवादी संगठन को जो सफलता मिली है हमारे सुरक्षा सैनिकों ने मोवू अगामी और उसके गिरोहों की जो गिरफ्तारी की है और छिपे नागाओं में जो फूट पड़ गई है, उनसे फिजो के छिपे समर्थक हतोत्साहित हो गए हैं।

1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति छुड़ाना

*1698. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति को वापिस लेने के सम्बन्ध में धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार का विचार यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का है ;

(ख) यह मामला कब तक ले जाये जाने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का अभी भी यह मत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सम्पूर्ण प्रश्न का हल निकाला जाए जैसी कि ताशकन्द घोषणा में व्यवस्था की गई है।

Travel Between East Pakistan and India

*1699. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Radio has announced that the residents of East Pakistan would not now require any permit to visit India ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) According to information received from our High Commission at Islamabad, the West Pakistan Government had issued a press note on 15th April 1969, abolishing the system of issuing exit permits to Pakistani nationals visiting India. Confirmation of whether similar instructions have been issued in respect of Pakistani nationals visiting India from East Pakistan is still awaited from our Mission at Dacca.

(b) Government of India welcome such moves on the part of the Government of Pakistan, which could lead to normalization of relations between the two countries.

लोहे और मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*1700. श्री गु० चं० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री महेन्द्र मांझी :
श्री द० रा० परमार :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में विभिन्न देशों को लौह और मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) उनका कुल मूल्य कितना था और किन-किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) उन विभिन्न गैरसरकारी सार्थों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, जिन्हें निर्यात लाइसेंस दिये गये थे ; और

(घ) सरकार ने निर्यातकों को कितना धन दिया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) लौह तथा मैंगनीज अयस्कों के निर्यात, खान तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किये जाते हैं। मे० मैंगनीज और इंडिया लि० ही एक अन्य पार्टी है जिसे अपने विदेशों में स्थित परम्परागत खरीदारों को विशेष ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। गोवा के स्वाधीनता के बाद इस क्षेत्र के कुछ निर्यातकों को गोवा उद्भव के लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(घ) सरकार द्वारा निर्यातकों को कोई पेशगी धन नहीं दिया जाता।

विवरण

मद	मात्रा दस लाख मैट्रिक टन में मूल्य करोड़ रुपये में				देश जिन्हें निर्यात किया जाता है
	1967-68		1968-69		
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
लौह अयस्क	14.5	79.33	15.90	89.60	जापान, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविला, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, बल्गारिया, यूनान, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जीयम, हालैंड, दक्षिण जर्मनी, स्विटजरलैंड, फारमोसा, कीनिया तथा ईरान।
मैंगनीज अयस्क	1.04	11.29	1.21	11.86	बेल्जीयम, फ्रांस, दक्षिण जर्मनी, इटली, लवसनवर्ग, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, जापान, उत्तरी कोरिया, चेकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया।

रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई सम्बन्धी सौदे पर इजवेस्तिया की टिप्पणी

*1701. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किए जाने के बारे में लोक सभा में हुई आधे घटे की चर्चा के तुरन्त बाद 'इजवेस्तिया' की टिप्पणी की ओर दिलाया गया है जिसमें इस सौदे के आलोचकों को प्रतिक्रियावादी कह कर उनकी आलोचना की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने रूस सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि भारतीय लोकतंत्र में आलोचना की अनुमति है ;

(ग) यदि हां, तो रूस सरकार से क्या उत्तर आया है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अनुमानत: माननीय सदस्य का संकेत दिनांक 15 अप्रैल के इजवेस्तिया में प्रकाशित "करवां गोज आन" लेख की ओर है। इस लेख में सोवियत पाकिस्तान के बीच हथियारों के सौदे का कोई जिक्र नहीं है ।

(ख) से (घ) यह तथ्य सर्वविदित है कि भारत में जिस प्रकार की सरकार है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। सोवियत सरकार इसे अच्छी तरह से जानती है ।

भारत ईरान संयुक्त उपक्रमों के बारे में निर्णय करने में विलम्ब

*1702. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1969 को "ब्लिट्ज" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत-ईरान संयुक्त उपक्रमों संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय करने में बिलम्ब के लिए भारत सरकार पर कुछ टीका टिप्पणी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) इस विषय पर 25 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में मेरे द्वारा दिए गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

जनवरी, 1969 में शहनशाह ईरान के भारत के दौरे में यूरोप के स्थानों में भारतीय वस्तुएं भेजने के लिए ईरान से होकर भूमि के मार्ग के भारत द्वारा उपयोग करने का उल्लेख किया गया था। सरकार भूमि के मार्ग के प्रयोग की सम्भावनाओं की जांच कर रही है तथा उसने ईरान सरकार से अग्रेतर ब्यौरा मांगा है ।

2. भारत सरकार को ईरान सरकार से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें इस बारे में भारत सरकार की किसी आलोचना का कोई संकेत भी दिया गया हो। परन्तु सरकार का

ध्यान इस बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर गया है। भारत तथा ईरान के आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान जनवरी, 1969 में हुआ था, जिनमें यह कहा गया था कि आयोग की पहली बैठक मार्च, 1969 में होगी। ईरान सरकार ने यह बैठक स्थगित करने का सुझाव दिया। मई 1969 के शुरू में अधिकारियों की एक बैठक तथा उसके बाद मंत्रियों की एक बैठक के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है। इस बैठक में विभिन्न आर्थिक, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के स्वरूप तथा सीमा के बारे में मूल निर्णय किये जाने की सम्भावना है। संयुक्त आयोग की इस बैठक से पहले किसी पक्ष के ऐसे मामले नहीं उठाये हैं, जिनके लिए किसी निर्णय की आवश्यकता हो। अतः बिलम्ब अथवा असंतोष के समाचार निराधार है।

मशीनरी के आयात के लिए टेलीविजन निर्माताओं को सहायता

*1703. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइडकोन कैमरा के नमूने के जैनरेटर आदि मशीनों के आयात के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन निर्माताओं को सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). छोटे पैमाने के क्षेत्र में सी० ई०ई० आर० आई० पिलानी के ज्ञान से टेलीविजन रिसीवर सैटों के लिए कान्जोटिया अनुमोदित किया गया है, उन में से हर एक को 477600 रुपये के मूल्य के निरीक्षण साजसामान की विभिन्न मदों का आयात अधिकृत किया गया है।

संयुक्त मोर्चा सरकार बनने के अवसर पर चीन के राजनयिक की कलकत्ता यात्रा

*1704. **श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार बनने पर दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के दो राजनयिकों ने कलकत्ता का दौरा किया था और वे उस नगर में पांच दिन तक रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कलकत्ता का दौरा करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मांगी थी ; और

(ग) उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कलकत्ता में कौंसली कार्य के उद्देश्य से यह यात्रा की गई थी।

विदेशों में भारतीय मिशनों की असफलता

*170 . **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने उनको पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उनको विदेशों में हमारे मिशनों की असफलता के बारे में विदेश से प्राप्त हुए एक पत्र के कुछ अंश उद्धरित किये हैं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). हमारे विदेश स्थित मिशनों के कार्यों के विशिष्ट पक्षों के सम्बन्ध में समय समय पर माननीय सदस्यों के पत्र मिलते रहते हैं। आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है और सामान्य रूप से सदस्यों को इसके परिणाम से अवगत करा दिया जाता है।

मलयेशिया में हुए इस्लाम धर्म सम्मेलन में भारत का भाग लेना

*1706. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल ही में मलयेशिया में हुए इस्लाम धर्म सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) उस सम्मेलन में दिये गये उद्घाटन भाषण का सारांश क्या है : और

(घ) उसमें क्या-क्या प्रस्ताव पारित किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ग) इस प्रकार के सम्मेलनों के विचार-विमर्श में भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

(ग) अपने उद्घाटन भाषण में मलयेशिया नरेश ने इस्लाम के उपदेशों पर विचार-विमर्श करने तथा मुसलमानों में पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार झूठी आस्थाओं पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बहु-जातीय और बहु-धर्मवादी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मलयेशिया के प्रयत्नों का भी उल्लेख किया।

(घ) इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1147/69**]

भारत द्वारा ब्रिटेन से आयात

*1707. **श्री तुलसी दास वासप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ब्रिटेन से भारत में आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप आयात की किन किन वस्तुओं पर अधिक प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों का ब्रिटेन से होने वाले हमारे आयात पर शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुआला लम्पुर में इस्लाम धर्म सम्मेलन

*1708. **श्री बलराज मधोक** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में कुआला लम्पुर में हुए अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम धर्म सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चयन किसने किया था ;

(ग) उन्होंने उस सम्मेलन में किस हैसियत से भाग लिया था ; और

(घ) उनका खर्चा किसने उठाया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). मलएशिया सरकार के निमंत्रण पर भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत सरकार द्वारा चुने गये भारतीय मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल, हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुआला लम्पुर गया ।

(घ) मलएशिया सरकार ने स्थानीय आवभगत के खर्च का भार वहन किया । अन्य खर्च भारत सरकार ने वहन किए ।

भारत के विरुद्ध पेकिंग रेडियो से प्रचार

*1709. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल 1969—को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पेकिंग रेडियो भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीन द्वारा इस प्रकार का प्रचार करना, कोई नई बात नहीं है । भारत सरकार ने इस प्रकार के प्रचार पर दुःख प्रकट किया है और समय समय पर चीन सरकार को इसे बन्द करने तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मार्ग अपनाने के लिए कहा है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*1710. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री वि० नरसिन्हाराव :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के समाचारपत्रों द्वारा कुछ समय से भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है जैसा कि 26 अप्रैल, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह ताशकंद समझौते का उल्लंघन नहीं है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, और यह मामला पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

पटसन के माल का निर्यात

9549. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, ब्रिटेन, बर्मा, संयुक्त अरब गणराज्य, ईरान, ईराक, सीरिया, तुर्की, सूडान और तंजानिया को प्रति वर्ष कितने मूल्य का पटसन के बोरे बनाने का सामान निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1965 से 1968 तक भारत से प्रति वर्ष कितने मूल्य का पटसन के बोरे बनाने का सामान निर्यात किया गया ;

(ग) इन देशों को इस माल के निर्यात में इतनी अधिक कमी होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि पटसन निर्माता विभिन्न प्रकार से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को चोरी-छिपे यह सामान भेजते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). दो विवरण संलग्न हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1148/69]

(ग) बोरे बनाने के टाट के निर्यात में पाकिस्तान से प्रतियोगिता, संश्लिष्ट संवेष्टन सामग्री के आविर्भाव तथा अन्य देशों में पटसन मिलों के खुल जाने के कारण गिरावट आ गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत का निर्यात तथा आयात और भुगतान सन्तुलन

9550. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51 तथा पिछले तीन वर्षों में वर्षवार आयात, निर्यात तथा वार्षिक भुगतान की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) रुपये के अवमूल्यन के बाद से निर्यात स्थिति में सुधार करन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन बीस वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका निर्यात वर्ष 1951-52 के स्तर से घट गया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जानकारी नीचे दी जाती है :—

मूल्य करोड़ रु० में अवमूल्यन उपरान्त

वर्ष	पुनर्निर्यात सहित निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1950-51	946.01	1024.08	(–) 78.07
1966-67	1156.53	2078.36	(–) 921.83
1967-68	1198.67	1974.28	(–) 775.61
1968-69 (फरवरी, 69 तक)	1134.73	1518.92	(–) 384.19

(ख) निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) विपरीत व्यापार सन्तुलन पर अंकुश में रखने के लिये विदेशी व्यापार के क्षेत्र में दोहरी कार्यवाही की जा रही है अर्थात निर्यात का संवर्धन और आयातित माल के बदल तैयार करना।

(2) ऐसे औद्योगिक एककों को, जिन्होंने अधिक निर्यात किया हो, अपने उत्पादन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और अपने माल की किस्म को सुधारने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में तरजीह दी जायेगी।

(3) कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त एककों के विषय में, जिनमें निर्यात की क्षमता है, कुछ अनिवार्यता लागू की गई है कि उन्हें कच्चे माल तथा पूंजीगत माल की अपनी आवश्कताओं का आयात करने की सुविधायें तभी मिलेंगी जब कि वे अपने उत्पादन के कुछ प्रतिशत अंश का निर्यात करें।

(4) कुछ शर्तों के अधीन, सरकार निर्यात उत्पादन के लिये मशीनों का आयात करने की सुविधा देने पर विचार करेगी।

(5) निर्यात व्यापार के विस्तार में विशेष अंशदान देने पर फर्मों, व्यक्तियों तथा संस्थाओं को पुरस्कार के रूप में चांदी की शील्ड दी जायेगी। सर्वोत्तम निर्यातकों को अपने निर्यात निष्पादन में सुधार करने पर योग्यता के प्रमाण-पत्र भी दिये जायेंगे।

(6) प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषद् में एक अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार है ताकि सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहयोग से निर्यात के लिये उत्पाद सम्बन्धी तकनीकी समस्याओं को कारगर ढंग से सुलझाया जा सके।

(7) निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जायेगा ताकि वे निर्यात संबंधी अपने वचनों को पूरा कर सकें।

(8) निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रतिबन्धों को समाप्त करने की दृष्टि से प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(9) भारत सरकार के वाणिज्यिक दूतावासों की विदेशों में स्थापना।

(10) व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान तथा व्यापार करारों/प्रबन्धों सम्बन्धी वार्ता करना।

(11) व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(12) अध्ययन तथा बिक्री दलों की प्रतिनियुक्ति।

(13) विदेशों में निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए बाजार ढूंढना।

(14) भारतीय उद्यमकर्ताओं द्वारा विदेशों में उद्योग स्थापित किये जाने को सुविधा-जनक बनाना।

(ग) 1951-52 की तुलना में 1967-68 में जिन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है वे निम्नलिखित हैं।

(1) पटसन के बोरे (1) पटसन का कपड़ा (3) रुई (4) सूती कपड़े (5) रद्दी रुई (6) मेंगनीज अयस्क (7) हड्डियां तथा खालें (8) निर्मित तम्बाकू (9) वनस्पति तेल गैर-आवश्यक (10) गूंद, लाख और रिसिन्स (11) मसाले (12) नारियल जटा का सूत तथा निर्मित वस्तुएं (13) कच्ची ऊन (14) आर्ट सिल्क के कपड़े, सिन्थैटिक फाइबर और स्पन गलास (15) अयर्क (16) कोयला और कोक (17) रसायनिक तत्व और मिश्रण (18) डाइनिंग टेनिंग और रंगदार सामान (19) चिकित्सा तथा फार्मयूटिकल्स उत्पाद और (20) सीमेंट।

1951-52 की तुलना में 1967-68 में निर्यात में कमी होने के लिये निम्न-लिखित कारण हैं।

1951-52 में कोरिया के युद्ध से निर्यात में वृद्धि हुई थी।

दूसरी ओर 1966 से 1968 में इनसे पहले दो वर्षों में पड़े सूखे का हमारे निर्यात पर अभी प्रतिकूल प्रभाव था ।

इन दो मुख्य बातों के अतिरिक्त प्राथमिक उत्पादों के लिए विश्व में मांग कम थी वस्तु-बाजारों में भी मन्दी थी और अन्य देशों से प्रतियोगिता तथा सिन्थैटिक के स्थानापन्न के विकास के कारण भी 1967-68 में निर्यात कम हुआ ।

दालों का निर्यात

9551. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार में पैदा होने वाली दालों की विदेशों में मांग है ;

(ख) क्या यह सच है कि विपणन सहकारी संस्था को दालों का निर्यात व्यापार करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) इससे गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई है ; और

(घ) अन्य व्यापारियों को दालों का निर्यात व्यापार करने की अनुमति न देने का क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दलहन के निर्यात से गत तीन वर्ष में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :

	मूल्य लाख रु० में
1966-67	400
1967-68	67
1968-69 (अप्रैल-जनवरी' 69)	321

(घ) सट्टे के कारण बाजार में मूल्यों में असाधारण उतार-चढ़ाव को रोकने की दृष्टि से गैर-सरकारी व्यापारियों को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती । राष्ट्रीय कृष्य सरकारी विपणन संघ लि० द्वारा निर्यात करने से यह अतिरिक्त लाभ है कि मात्र सरकारी समितियों के माध्यम से सीधे उत्पादकों से खरीदा जाता है ।

अरब-इसरायल विवाद हल करने हेतु जोर्डन के शाह का प्रस्ताव

9552. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोर्डन के शाह ने अरब-इसराइल विवाद के हल के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 10 अप्रैल 1968 को वाशिंगटन में नेशनल प्रैस क्लब के समक्ष अपने भाषण में शाह हुसैन ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे थे :

1. युद्धलिप्सा का अंत
2. इस क्षेत्र के सभी राज्यो की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की मान्यता का सम्मान ।
3. युद्ध की धमकियां अथवा कार्रवाइयों से मुक्त सुरक्षित और मान्य सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक रहने के सभी के अधिकार को मान्यता ।
4. अकाबा की खाड़ी और स्वेज़ नहर से होकर सभी को नौवहन की स्वतंत्रता की गारन्टी ।
5. इस क्षेत्र के सभी राज्यों की प्रादेशिक उलंघनीयता की गारन्टी, चाहे इसके लिए कुछ उपाय बरतना पड़े, जिसमें विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना भी शामिल है ।
6. शरणार्थी समस्या के न्यायोचित समाधान की स्वीकृति ।

(ग) भारत सरकार सुरक्षा परिषद् के उस प्रस्ताव का और उसे क्रियान्वित करने के सभी प्रयासों का अब भी समर्थन करती है जो 22 नवम्बर 1967 को सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ था।

रुपये में भुगतान वाले देशों को माल का निर्यात करने वाले निर्यातकों को प्रतिकर दिया जाना

9553. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों द्वारा रुपये का अवमूल्यन करने के परिणाम-स्वरूप जिन पार्टियों को प्रतिकर दिया गया उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक पार्टी को प्रतिकर की कितनी राशि दी गई ;

(ग) प्रतिकर किन किन तारीखों को दिया गया था ; और

(घ) इस प्रतिकर का आधार क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). जून, 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोप के अन्य देशों के साथ करार किये गये जिनके अनुसार उन संविदाओं पर, जो अवमूल्यन की तारीख को विद्यमान थीं पर जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ था अथवा ऐसी संविदाओं के अक्रियान्वित अंशों पर जो राशियाँ दोनों देश को परस्पर लेनी या देनी थी उन राशियों का पुनर्मूल्यन किया गया ।

इस आधार पर भारतीय पक्षों ने इन देशों के सम्बद्ध विदेशी उद्यमों के अवमूल्यन-दावों को तय किया और परस्पर स्वीकार की गयी राशियाँ प्राप्त की इस प्रकार के अनेक सौदे हुये और चूंकि निबटारा सीधे सम्बद्ध पक्षों के बीच ही किया गया था और भुगतान सामान्य बैंक माध्यमों द्वारा प्राप्त किये गये थे, अतः सबके पास इस प्रकार के सौदों के ब्यौरो के रिकार्ड नहीं है ।

रूस को माल का निर्यात करने के लिये आढ़तिये

9554. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आढ़तियों के नाम पते क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों में राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को माल निर्यात किया ;

(ख) प्रत्येक आढ़तिये द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना माल निर्यात किया गया और उन्होंने किन किन वस्तुओं का निर्यात किया ; और

(ग) इस दौरान में प्रत्येक आढ़तिये को इन देशों से आढ़त के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) ऐसे कोई आढ़ती नहीं हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को माल निर्यात किया हो । हां, कई सहयोगी संभरणकर्ता हैं जिन के माल का निर्यात राज्य व्यापार निगम करता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सोना दुकानें

9555. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 'सोना' नाम से 15 और खुदरा दुकानें खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ये दुकानें किन नगरों में खोली जायेंगी, प्रत्येक दुकान खोलने पर कितनी लागत आयगी और कितना वार्षिक आवर्ती व्यय होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). अधिक 'सोना' दुकानें खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । स्थिति, व्यय आदि के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने बाकी हैं ।

विदेशों में गये व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

9556. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1968 से मार्च 1969 तक की अवधि में कितने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजे गये और प्रत्येक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नाम क्या थे ;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का तथा किन-किन तिथियों को दौरा किया ;

(ग) विमान किराये तथा विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार को कुल कितना धन व्यय करना पड़ा ; और

(घ) इन व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के परिणामस्वरूप देश को वस्तुतः कितना लाभ हुआ ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1149/69]

(घ) प्रतिनिधिमंडलों को विदेशों के साथ व्यापार करारों/व्यवस्थाओं पर बातचीत करने/उन्हें सम्पन्न करने/उनकी अवधि बढ़ाने तथा/अथवा उनकी समीक्षा करने और बाजार सर्वेक्षण और व्यावसायिक सौदे करने के लिए विदेशों में भेजा जाता है। उन्होंने हमारे व्यापार के विविधीकरण तथा निर्यात संवर्धन में सहायता दी है। परन्तु विदेश भेजे गये किसी भी एकाकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्राप्त सफलता का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

भारतीय विदेश सेवा सम्बन्धी पिल्ले समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति

9557. **श्री जुल्फिकार अली खां** :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा सम्बन्धी पिल्ले समिति की किन किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई है परन्तु जिनको कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कौन सी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं और उनके बारे में निर्णय लेने में सरकार कितना समय लेगी ; और

(घ) कौन सी सिफ़ारिशें अस्वीकार की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1150/69]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में संगठनात्मक परिवर्तन

9558. **जुल्फिकार अली खां** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों की अवधि में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्यकरण में क्या-क्या संगठनात्मक परिवर्तन किये गये ; और

(ख) पिल्ले समिति की सिफारिशों के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन किये गये तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) गत तीन वर्ष में विदेश मन्त्रालय की कार्य-पद्धति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किये गये हैं :

(1) परिवर्तनीय विश्व स्थिति के संदर्भ में भारत सरकार की विदेश नीति के

आयोजन और पुनर्विचार के लिए 1966 में नीति आयोजन एवं पुनर्विचार प्रभाग के नाम से एक नया प्रभाग खोला गया था। भावी नीति का मार्गदर्शन करने के लिए एक नीति आयोजन एवं पुनर्विचार समिति की भी स्थापना की गई थी।

(2) सिर्फ प्रशासन के काम की देखभाल करने के लिए 1968 में अपर सचिव का एक पद बनाया गया था।

(3) तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास से सम्बद्ध कार्य 1968 में पुनर्वास विभाग को हस्तांतरिक कर दिया गया था।

(ख) पिल्ले समिति की सिफारिशों के विपरीत कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन समिति का प्रधान सचिव का पद फिर बनाने से सम्बद्ध सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।

भारतीय विदेश सेवा में भर्ती

9559. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से 1969 तक की अवधि में भारतीय विदेश सेवा में प्रति वर्ष कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ; और

(ख) इस प्रकार भर्ती किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा की संयुक्त परीक्षा में योग्यताक्रम में कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 30 (तीस)

1966—10
1967—15
1968 5
1969 अभी भर्ती होनी है।

(ख) इसके साथ एक विवरण संलग्न किया गया है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा की सम्मिलित परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त स्थान श्रेष्ठता क्रम से दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1151/69]

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पर व्यय तथा भारत में स्थित विदेशी मिशनों से भारत को आय

9560. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में भारतीय मिशनों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ; और

(ख) उसी अवधि में भारत में विदेशी मिशनों से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मिशनों के निर्वहण पर अनुमानत: 25.04 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी ।

(ख) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के दौरान दो वर्षों में भारत स्थित विदेशी मिशनों को, उनके निर्वहण खर्च के लिए 26.17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी । वर्ष 1968-69 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

वाघा मार्ग को खोलना

9561. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान ने इच्छा व्यक्त की है कि अफगानिस्तान के फलों को भारत में लाने के लिये वाघा मार्ग खोला जाना चाहिए ;

(ख) क्या अफगानिस्तान की सरकार से राजकीय स्तर पर कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अफगानिस्तान और भारत की सरकारें तो यही चाहती हैं कि दोनों देशों के बीच परम्परागत मार्ग खुला रहे ।

(ख) इस मार्ग को खुलवाना पाकिस्तान सरकार के हाथ में है । इसलिए भारत सरकार से कोई प्रार्थना करने का प्रश्न ही नहीं है ।

(ग) ऊपर (ख) में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए इसका प्रश्त नहीं उठता ।

कपास का मूल्य

9562. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई का मौसम आरम्भ होने से पहले अगले मौसम के लिये कपास के न्यूनतम मूल्यों की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि कपास उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिले ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मिल मालिकों की यह योजना है कि वे व्यापारियों के माध्यम से कपास उत्पादकों से न्यूनतम मूल्यों पर कपास खरीदेंगे और व्यापारियों से कपास की खरीद अधिक मूल्य पर दिखायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख)

कपास वर्ष 1969-70 के लिये उपयुक्त समय पर कपास मूल्य नीति बनाते समय सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

9563. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मित कोई चलचित्र प्रदर्शन के लिये नवम्बर, 1968 से अप्रैल 1969 तक की अवधि में विदेश भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन चलचित्र निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनके चलचित्र विदेशों में भेजे गये हैं और उन चलचित्रों के नाम क्या हैं ।

(ग) क्या ये चलचित्र इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से भेजे गये हैं या गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से ; और

(घ) यदि ये गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से भेजे गये हैं तो उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) यद्यपि नवम्बर, 1968 से अप्रैल, 1969 के दौरान बनाई गई तथा निजी अभिकरणों के माध्यम से निर्यात की गई फिल्मों के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती तथापि उपरोक्त अवधि में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा, देश में निर्मित निम्नलिखित फिल्में, जिनके निर्माताओं का नाम भी दिया गया है, निर्यात की गई :—

फिल्म का नाम	निर्माता का नाम
1. साथी	मै० वीनस पिक्चर्स, 9, नार्थ बाग रोड, मद्रास-17
2 लक्ष्मी कल्याणम्	श्री ए० एल० श्रीनिवासन, ए० एल० एस० प्रोडक्शन्स, 14, रत्ना चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-14.
3. ओयान्धी मनिथन	श्री ए० वी० मैयप्पन, ए० वी० एस० प्रोडक्शन्स, आकार रोड, मद्रास-26
4. सुभा दिनम्	मै० विनायगा फिल्म्स, 15, जी एन चेट्टी रोड, मद्रास-17

विदेशों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन

9564. **श्री जुगल मंडल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्माताओं द्वारा तैयार किये गये निम्न चलचित्र इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से विदेशों में भेजे गये है ; (1) निर्जन सैकते (2) महावत (3) चन्द्रोदयम (4) नान अनैइट्टल (5) इडयाकमलम (6) चेम्पीन (7) नान (8) मुहब्बत जिन्दगी है (9) तीसरी मंजिल (10) फिर वही दिल लाया हूँ (11) मेरे हमदम मेरे दोस्त (12) प्यार किये जा (13) तस्वीर (14) अप्रैल फून (15) दिल एक मन्दिर (16) उपकार तथा (17) तीन देवियां ;

(ख) यदि हां, तो ये चलचित्र अब तक किन-किन देशों में दिखाये गये हैं तथा उससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई है ;

(ग) जिन निर्माताओं के चलचित्र विदेशों को भेजे गये हैं उनके नाम और पते क्या हैं ; और

(घ) इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से ये चलचित्र किन शर्तों पर भेजे गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 1152/69]

नागपुरी संतरों का निर्यात

9565. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968- 69 में विदेशों को कितनी मात्रा नागपुरी संतरों का निर्यात किया गया ;

(ख) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ग) नागपुरी संतरों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख) किस्मवार निर्यात आँकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1968-69 में (जनवरी तक) 107 मैट्रिक टन के कुल निर्यात हुए और उनसे 1,46,000 रुपये की विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ।

(ग) अधिक परिमाण में निर्यात योग्य माल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संतरों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उत्पाद का उच्च आन्तरिक मूल्य एक ऐसी बाधा है जो इसके निर्यात को अलाभप्रद बनाती है। ऐसी आशा है कि उत्पादन बढ़ जाने पर आन्तरिक मूल्यों में गिरावट आ जायेगी और ये उत्पाद विश्व बाजार में प्रतियोगी हो जायेंगे।

Export of Bananas

9566. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether there has been any adverse effect on the production of bananas and also the target of its production during Fourth Five-Year Plan due to the dwindling exports of bananas as a result of closure of the Suez Canal ;

(b) whether any negotiations were held with the Shah of Iran on the possibility of export of bananas to U. S. S. R. via Iran ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir. Production of bananas has been steadily on the increase as well as its export, despite the ctosure of the Suez Canal.

(b) No, Sir.

(c) Does Not arise.

Complaints Against Officers of Director Ganeral of Supplies and Disposals

9567. **Shri Onkar Singh :** **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the details of the complaints received during the last 3 years against the officers of the rank of Deputy Secretary or above in the Directorate General of Supplies and Disposals ;

(b) the names of such Officers against whom complaints have been received and the names of these Officers among them against whom enquiries were made by the Police and the Vigilance authorities ;

(c) the details of the reports received on completion of the enquiries and the action taken against them ; and

(d) the number of such cases in which enquiries have been completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) (a) : No compalaints were received.

(b) to (d). Do not arise.

बीड़ी का निर्यात

9568. **श्री वेदव्रत वरुआ :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत से बीड़ी का विदेशों में निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ; और

(ग) बीड़ी के लिये निर्यात बाजार ढूंढने में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वर्षों में बीड़ियों का निर्यात निम्नलिखित रहा :—

मात्रा मै० टन में
मूल्य हजार रुपये में
(अवमूल्यन के बाद की दर)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1966-67	143	2149
1967-98	142	2004
1968-69 (जनवरी 1969 तक)	93	1527

(ग) (1) भारत से बीड़ी आयात करने पर श्रीलंका तथा ब्रिटेन द्वारा रोक ।

(2) वैसे ही मूल्यों पर सस्ती सिगरेटों का उपलब्ध होना ।

(3) नये बाजारों में उपभोक्ता द्वारा इसको अपनाये जाने के विषय में दिक्कत ।

(4) आयातक देशों द्वारा भारी आयात शुल्क का लगाना ।

Export of Jute Goods, Cloth and Tea

9569. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state the efforts being made by Government to increase the export of Jute, Cloth and tea which amount to 40 per cent of our total exports, since our export position is deteriorating owing to hard competition in the International Market ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Dhowdhary Ram Sewak) : Some of the important steps taken to increase the export of traditional items like Jute, Cloth and tea are as follows :—

(i) Reduction/Abolition of export duties.

(ii) Opening of Officers abroad.

(iii) Publicity through various media like Press, Magazines, etc.

(iv) Participation in fairs, Exhibitions, etc., abroad.

(v) Providing continuous supply of market intelligence to exporters.

(vi) Streamlining preshipment inspection procedure to ensure smoother and quicker flow of our exports.

(vii) In regard to tea, Tea Board have set up tea centres in important towns like London. Cario, Sydney, etc.

(viii) In order to speed up the pace of modernisation Jute Industry has been included in schedule V of Income Tax Act for the purpose of higher development rebate.

(ix) With a view to encouraging diversification of production in Jute Industry, Loan Assistance is being given to mills through Industrial Finance Corporation.

Export Credit and Guarantee Corporation Ltd.

9570. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the value of risk covered by and the amount of premium received by the Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. during 1968 ; and

(b) whether there is any gain or profit to the Corporation during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The value of risk covered by the Export Credit and Guarantee Corporation during the year 1968, was Rs. 180.25 crores. The premium received by the Corporation during the year 1968 amounted to Rs. 47.19 lakhs.

(b) During the year 1968, the surplus of income over out-go was of the order of Rs. 30.17 lakhs.

रेशमी कपड़े का निर्यात

9571. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष में भारतीय रेशम कपड़े का निर्यात बढ़ा है ; और

(ख) इस निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। 1968-69 में शुद्ध रेशमी माल का निर्यात 1967-68 के निर्यात की अपेक्षा 65 प्रतिशत अधिक हुआ।

(ख) निम्नोक्त उपाय किये गये हैं :

(1) कच्चे रेशम पर आयात शुल्क, 50 प्रतिशत यथामूल्य जमा 8.80 रु० प्रति किग्रा० से घटा कर 28-3-69 से 30 प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया गया।

(2) 10 लाख डालर वार्षिक तक के हथकरघा रेशमी कपड़े के निशुल्क प्रदेश के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ करार किया गया है।

(3) 1-4-1969 से प्रतिपूर्ति योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार का प्राकृतिक रेशम का माल आ जाता है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

9572. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कब स्थापित किया गया था, उस समय उसके निदेशक बोर्ड में कौन-कौन से सदस्य थे तथा यह बोर्ड कितने समय तक रहा था ;

(ख) इस समय निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस कम्पनी का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक कौन हैं ; और

(ग) उन्हें किन-किन तारीख को नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल कितना है तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना मिश्र) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना देने वाला एक वितरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 1153/69]

Uranium Oxide Fuel

9573. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 4960 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether the project reports in regard to the plants for producing enriched uranium oxide fuel have since been prepared ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the reports are likely to be submitted ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) A plant for producing enriched uranium oxide fuel for the Tarapur Atomic Power Station, starting with imported enriched uranium hexafluoride, is to be set up at Hyderabad. This is expected to go into production by 1971.

(c) Does not arise.

Replies to Letters Written by M. Ps. to Ministries

9574. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Kumari Kamala Kumari : **Shri Nihal Singh :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4985 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether fresh instructions have been issued to the Ministries to expedite the reply of the letters of the Members of Parliament ;

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of these instructions on the Table ; and

(c) the number of letters received from the Members of Parliament in various Ministries and the number of those which have been replied during the last three months and the number of those which have not been replied within one month ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). It was stated in reply to Unstarred Question No. 4985 that instructions already exist on this subject and that these will be brought to the notice of Ministries. This has been done. No fresh instructions are considered necessary.

(c) The Ministries concerned are being addressed with a view to eliciting whatever information might be available on the subject.

Press Departments of Indian Missions Abroad

9575. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of those persons in the Press Departments of the Indian Foreign Missions who do not know the languages of those countries, country-wise ;

(b) the effects thereof ; and

(c) the action taken to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) In the 49 overseas Missions where separate Information Sections have been set up, 17 officers do not know the local language. A statement giving their deployment is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1154/69].

(b) and (c). It is obligatory for Foreign Service Officers to learn at least one foreign language on entering service. Officers are expected to pick up the languages of the country they are posted in ; moreover Government offer incentives in the form of language awards and language allowance in order to encourage officers to learn languages.

In certain important missions, local interpreters and translators have been provided to assist the Information Officers in their publicity work.

इसराइल और ताइवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध

9576. **श्री ओंकार सिंह :** **श्री गोपाल साबू :**
श्री कंवरलाल गुप्त : **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री शारदा नन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इसराइल और ताइवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया है कि जिसकी वजह से इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो ।

Atomic Power Station at Narora Near Aligarh

9577. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Tulsidas Dasappa ;**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken on the proposal sent by the Uttar Pradesh Government in regard to the establishment of an Atomic Station at Narora near Aligarh ;

(b) if not, when it is likely to be taken ; and

(c) the reasons for which decision could not be taken so far ?

The Prime Minister, the Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). It has not been possible at this stage to provide resources in the Fourth Plan for the setting up of any new Atomic Power Stations.

कच्छ सम्बन्धी संकल्प

9578. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर 1968—में भुज में हुई कच्छ जन परिषद् की बैठक में पारित किये गये संकल्प सरकार को मिल गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों में की गई विभिन्न मांगों को पूरा करने तथा उनमें दिये गये सुझावों के अनुसार कार्य करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इन संकल्पों में सरकार से संबद्ध प्रस्तावों पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Exchange for Haj Pilgrims

9579. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2287 on 27th November, 1968 and state the minimum and maximum amount of foreign exchange granted to a Haj p ilgrim ?

The Deputy Minister in ihe Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

Minimum — Rs. 1250/- per adult Haj pilgrim.

Maximum — Rs. 1575/- per adult Haj pilgrim.

बिकानेर वूलन मिल्स

9580. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी स्वामित्वाधीन बिकानेर मिल्स के गोदामों में गालीचे बनाने वाली ऊन का भारी स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विक्रय मूल्य निर्धारित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) गालीचे बनाने की कितनी ऊन बेची या वितरित की जा चुकी हैं और इस समय कितनी ऐसी ऊन स्टाक में जमा पड़ी है ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है जिससे आवश्यक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है स्वदेशी ऊन पर कोई मूल्य, उत्पादन अथवा वितरण नियंत्रण नहीं है ।

Dead Body of a Military Man Found at Ghaziabad in January, 1969

9581. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead body of a military-man in uniform was found in Ghaziabad in the first fortnight of January, 1969 ;

(b) if so, the particulars of the deceased and whether Government have investigated the causes of his death ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Staff of Ministry of Foreign Trade and Supply

9582. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in his Ministry at present ;

(b) the number of Gazetted Officers out of them ; and

(c) the total expenditure incurred by Government on their pay, allowances and over-time allowance during the year 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) 1,013.

(b) 168.

(b) Rs. 72,93,000/- approximately.

पटसन उद्योग में संकट

9583. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री भगवान दास :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री बी० कु० मोडक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ओ० के० रमानी :
श्री ब० कृ० दास चौधरी :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन उद्योग 'हैसियन' निर्यात के मामले में पाकिस्तान से काफी पिछड़ गया है ;

(ख) यदि हां, पाकिस्तान ने किन-किन देशों के बाजारों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इससे भारत को विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ;

(घ) क्या इण्डियन जूट मिल्स ऐसोसियेशन ने इस सम्बन्ध में सरकार कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) हां यह सच है कि पाकिस्तान से हैसियन के क्षेत्र में भी प्रतियोगिता आरम्भ हो रही है ।

(ख) हैसियन बाजारों में से किसी भी एक बाजार को पाकिस्तान हम से पूर्णतया छीन नहीं पाया है । कच्चे पटसन की फसल विशेषतया कम होने के परिणामस्वरूप रेशे के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने से वर्ष 1968 में भारत के हैसियन निर्यात को धक्का लगा है ।

(ग) भारतीय हैसियन निर्यात का मूल्य अप्रैल-दिसम्बर, 1968 अवधि में, 1967 की तुलना में, 18.9 करोड़ रु० कम रहा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) देश में पटसन की उपज तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के अतिरिक्त पटसन के माल पर निर्यात शुल्कों में काफी राहत देने की घोषणा बजट प्रस्तावों में कर दी गई है । (1) पटसन उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करके, जोकि विकास छूट की ऊंची दरों के हकदार हैं और (2) औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता देकर, पटसन उद्योग में आधुनिकीकरण यथा विविधीकरण की गति को तेज किया जा रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास

9584. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तराष्ट्रीय आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करने के लिए तीन तटस्थ राष्ट्रों भारत, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के आर्थिक मन्त्रियों की हाल में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री : (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग तथा कृषि के लिये परमाणु ऊर्जा

9585. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु संस्थानों में संतोषजनक प्रगति हुई है तथा उद्योग और कृषि के लिये हाल में परमाणु बिजली तथा शक्ति उपलब्ध की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है तथा परमाणु बिजली कितनी मात्रा में पैदा की जायेगी तथा उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) इस दिशा में अनुमानित लक्ष्य क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) परमाणु बिजली के विकास के क्षेत्र में देश ने पर्याप्त प्रगति की हैं ।

(ख) तथा (ग). इस समय देश में तीन परमाणु बिजलीघर लगाये जा रहे हैं । इन बिजलीघरों के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :—

बिजली घर का नाम	बिजली की क्षमता	बनकर तैयार हो जाने की अनुमानित तिथि
1 तारापुर परमाणु विद्युत प्रायोजना (यूनिट 1 तथा 11)	380 मैगावाट (शुद्ध)	बिजलीघर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कभी बिजली सप्लाई करता है आशा है कि जून 1969 के अंत तक निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई करने लगेगा ।
2 राजस्थान परमाणु विद्युत प्रायोजना		
यूनिट—1	200 मैगावाट	1971
यूनिट—11	200 मैगावाट	1973
3 मद्रास परमाणु विद्युत प्रायोजना	200 मैगावाट	1973

विमानों के लिए अपेक्षित अल्यूमिनियम मिश्रित चादरों का निर्माण

9586. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों के लिए अपेक्षित सभी अल्यूमिनियम मिश्रित चादरों का आयात करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो देश में अकेले अथवा विदेशी कम्पनियों के सहयोग से उनका निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या विमान सम्बन्धी अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान कार्य का विकास करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). यह सच है कि विमानों के निर्माण के लिये आवश्यक अल्यूमिनियम मिश्रित धातु की समस्त चादरें आयात करना पड़ती हैं । अल्यूमिनियम आवृत्त-आल्यूमिनियम मिश्रित धातु चादरें जो अल्यूमिनियम मिश्रित धातु चादरों का सारयुक्त अंश होती हैं और विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं 1965-66 से इन्डियन अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा देश में ही उत्पादित की जाती हैं । अल्यूमिनियम मिश्रित धातु चादरों की अन्य किस्में भी विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं, परन्तु उनका देशीयतः निर्माण आर्थिक दृष्टि से लाभकर बात न होगी मिश्रित धातु चादरें जितनी किस्मों और आकार की आवश्यक होती हैं संख्या में बहुत होती हैं, और प्रत्येक किस्म-आकार की अलग-अलग आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं ।

(ग) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की मेटालर्जिकल प्रयोगशाला में कई अत्यूमिनियम मिश्रित धातुओं का विकास करने में कुछ प्रगति निष्पन्न कर ली गई है।

उत्तर प्रदेश में रेडियमधर्मिकता वाले खनिज

9587. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री उत्तर प्रदेश में रेडियमधर्मिता वाले खनिजों के बारे में 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सर्वेक्षण अभी जारी है।

नेपाल के विदेश मंत्री के साथ बातचीत

9588. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के विदेश मन्त्री ने हाल ही में राजधानी तथा देश के अन्य भागों का दौरा किया था और भारत तथा नेपाल के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन किन मामलों पर बातचीत की गई थी ;

(ग) क्या भारत-नेपाल व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विशेषकर उन भारतीय उद्यमियों की समस्याओं के बारे में जिन्होंने नेपाल में उद्योग स्थापित कर रखे हैं और अपने उत्पादों को चोरी छिपे भारत भेजते हैं तथा भारतीय व्यापारियों की अन्य गतिविधियों के बारे में जिनमें नेपाल से लाई गई वस्तुओं का तस्कर व्यापार और चोर बाजारी सम्मिलत है, उनके साथ बातचीत की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अन्य मामलों पर बातचीत के क्या परिणाम निकले।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दोनों देशों के पारस्परिक हित तथा साझे सहत्व के अनेक मामलों पर बातचीत हुई। विशेष रूप से नवम्बर, 1968 में हुए भारत-नेपाल करार के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याओं पर जिनमें भारतीय व्यापारियों की गतिविधि और भारत-नेपाल सीमा के आरपार अन्य देशों के माल की तस्करी शामिल है, चर्चा हुई।

(घ) यह बात स्वीकार कर ली गई कि विदेश मन्त्री के काठमांडू आने पर इन मामलों पर आगे बातचीत की जायेगी। अन्तः सरकारी समिति की शीघ्र ही बैठक बुलाई जायेगी और गत नवम्बर में हुए करार के क्रियान्वयन के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

सुपारी के लिए आयात लाइसेंस

9589. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आयातकों को सुपारी का आयात करने के लिये कितने आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये लाइसेंस मिले हैं ; और

(ग) उन्होंने वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सुपारी का आयात किया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). अप्रैल, 1965 से सुपारियों के आयात की अनुमति नहीं है।

चाय का निर्यात

9590. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1969 में जापान से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और क्या उसने चाय बागानों तथा अनुसंधान केन्द्रों का दौरा करके भारत के चाय उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि काली चाय जापान में लोकप्रिय हो रही है ;

(ग) 1968 में कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया ;

(घ) क्या चाय का निर्यात करने के लिए कुछ विशेष सुविधायें देने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1968 में भारत से जापान को 4973 हजार रु० मूल्य की चाय का निर्यात किया गया।

(घ) और (ङ). बजट प्रस्तावों में चाय के निर्यात के लिए राजस्व सम्बन्धी आवश्यक राहतों की घोषणा की गयी है। अभी कोई और उपाय विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश से हज यात्री

9591. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कितने हज यात्रियों को इस वर्ष हज यात्रा करने की अनुमति दी ;

(ख) इन में से कितने यात्री पूर्व निमाड़ जिले के थे ; और

(ग) हज यात्रा के लिए इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राज्य की मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के 397 यात्रियों को हज यात्रा की अनुमति दी गई ।

(ख) 19

(ग) 2,36,25,000 रुपये (विदेशी मुद्रा में)

जबलपुर स्थित आयुध कारखाने में अस्वीकृत गोलाबारूद

9592. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तह सच है कि जबलपुर स्थित आयुध कारखाने में बन्दूक आदि की लाखों अस्वीकृत गोलियां पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इसलिए अस्वीकार किया गया है क्योंकि उनकी बनावट में खराबी है जिसकी और अब प्रबन्धक ध्यान देंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Development of Plantations in Madhya Pradesh

9593. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether any assistance is being provided for the development of Plantation in Madhya Pradesh during 1969-70 ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir. There are no plantations (Tea, Coffee, Rubber and Cardamom) in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Applications for Import Licences from U. P.

9594. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government received 1573 applications from Uttar Pradesh duly recommended by the Director of Industries Uttar Pradesh, Kanpur in response

to their Notice No. 155 I. T. C. (P. N.) 66, dated the 17th December, 1966 for import licences for the Development of small scale industries ; and

(b) if so, the progress made in this connection so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विदेशों में भारतीय संयुक्त उपक्रमों का अध्ययन

9595. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था द्वारा कराये गये एक अध्ययन से पता चला है कि यद्यपि विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की भारी गुंजाइश है, तथापि भारतीय उपक्रमियों को विनियोजन के अवसरों के बारे में जानकारी न होने तथा अपने साधनों से सम्भाविकता का अध्ययन न कर सकने के कारण स्थिति का अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता;

(ख) क्या सरकार ने किसी ऐसी संस्था की स्थापना की वांछनीयता के बारे में विचार किया है जो निजी उद्योगों की ओर से ऐसे अध्ययन करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो संस्था के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारतीय विदेशी व्यापार संस्था द्वारा विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों के विषय में किए गए अध्ययन पर आधारित प्रतिवेदन सरकार को हाल ही में प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

परमाणु शास्त्रास्त्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का प्रतिवेदन

9596. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक परमाणु वैज्ञानिकों की सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा हाल ही में तैयार किये गये एक प्रतिवेदन के अनुसार विश्व के अनेक राष्ट्र मध्यम प्रकार के परन्तु महत्वपूर्ण परमाणु शस्त्र तथा पुरानी किस्म के प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने की व्यवस्था करने में समर्थ हो जायेंगे ;

(ख) क्या भारत भी उन देशों में बताया गया है, जिन के पास मध्यम प्रकार के परमाणु शस्त्र हो सकते हैं ;

(ग) क्या भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने भी यह प्रतिवेदन तैयार करने से परामर्शदाता के रूप में काम किया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत का विचार अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए सीमित परमाणु अस्त्र प्राप्त करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). "परमाणु शास्त्रों के सम्भावित प्रयोग से पड़ने वाले प्रभाव, तथा इन शास्त्रों को रखने वाले देशों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक समस्याएं एवं परमाणु शास्त्रों का आगे विकास" विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में बताया गया है कि "परमाणु शस्त्रों से सम्पन्न पांच राष्ट्रों के अतिरिक्त केवल लगभग सात राष्ट्र और हैं, जो अपने तकनीकी साधनों के बड़े भाग को अपने रचनात्मक कार्यों से हटाये बिना ही मध्यम प्रकार के परमाणु शस्त्रों के विकास पर प्रति वर्ष 17 करोड़ डालर का अतिरिक्त व्यय करने की क्षमता रखते हैं।" इस रिपोर्ट के अनुसार यह सात देश हैं ; जर्मन संघीय गणतन्त्र, भारत, कनाड़ा, इटली, पौलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

Staff Belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Foreign Trade and Supply Ministry

9597. **Shri Molahu Prashad** ; Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67-Establishment (c) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employess and the names of the Departments where they are working ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Promotion of Scheduled Caste Employees in External Affairs Ministry

9598. **Shri Molahu Prashad** : Will the Ministry of **External Affairs** be plased to state :

(a) the department-wise, section-wise and category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67-Establishment (G) dated the 11th July, 1968 ; and

(d) the names and designations of such employees and the Department where they are working ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). No promotions have been made in this Ministry during the period from 11th July 1968 to 15th March 1969 in the posts where reservation of vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been prescribed under the Ministry of Home Affairs Memorandum No. L/12/67-Establishment (C) dated the 11th July, 1968.

Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees Promoted in the Ministry of Defence

9599. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Department-wise, Section-wise and Category-wise who have been promoted against posts reserved for them up to the 15th, March, 1969 in and under his Ministry according to the provisions contained the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67-Establishment (G) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Information in respect of the Ministry of Defence Secretariat, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisation is given in the attached statement, Information in respect of the Organisations under thr Department of Defence Production and the Lower Formations of the Defence Services is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

STATEMENT

Ministry of Defence Secretariat	Armed Forces Headquarters and Inter Services Organisations
(a) Nil	One
(b) Does not arise.	Shri Amar Singh Ghazi, Senior Technical Assistant, Signal Directorate, promoted to the grade of Junior Research Officer (Class II Gazetted).

Promotions of Scheduled Caste/Scheduled Tribes Employees in the Departments Under Prime Minister

9600. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise nnmber of officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto the 15th March, 1969 in the Departments under her charge according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67-Establishment (G) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designation of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The requisite information in respect of the Department of Atomic Energy and the Planning Commission is being collected and will be laid on the Tabl of the House. The Prime Minister's Secretariat and the Cabinet Secretariat (which include the Department of Statistics) are part of a unified cadre which covers and is controlled by the Ministry of Home Affairs.

Assessment of House-Tax in Danapur Cantonment

9601. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers of the Danapur Cantonment Board have had the assessment of House-Tax conducted ;

(b) if so, the basis therefore and the period for which assessment has been made :

(c) whether it is also a fact that the House-Tax has been increased following the assessment ;

(d) if so, the percentage of increase made, the houses in respect of which the tax has been increased and the justification therefor ; and

(e) the amount of income likely to accrue therefrom ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (e). The information is being collected and a statement will be laid on the House.

असैनिक और सैनिक अधिकारियों द्वारा टेलीफोनों का दुरुपयोग

9602. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-नई दिल्ली में उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे असैनिक-सैनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर लगे हुए टेलीफोनों का दुरुपयोग करने की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) उनकी श्रेणी और सेवा के अनुसार उन्हें प्रत्येक तिमाही में निशुल्क, स्थानीय और ट्रंक टेलीफोन करने की कितनी बार अनुमति दी गई है ; और

(घ) इसके लिए वर्ष 1966, 1967 और 1968 में कुल कितना किराया दिया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में सीमा सड़क विकास कार्यक्रम

9603. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में सीमा सड़क विकास कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में राज्यवार कितना धन व्यय करने का विचार है ;

(ग) राज्यवार कितने मील लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी ; और

(घ) राज्यवार कितने मील लम्बी सडकें अब तक बन चुकी हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड का कार्य म योजना से बाहर है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

तमिल नाडु के सेलम जिले में यूरेनियम के भंडार

9604. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के सेलम जिले में यूरेनियम के भंडारों के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) इन संसोधनों को प्रयोग में लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग में लाने से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा को बचत होगी ?

प्रधान मन्त्री, अण शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमर्त इन्दिरा गांधी) (क) तथा (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा सेलम जिले में किये गये सर्वेक्षणों से कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम की विद्यमानता का पता लगा लेकिन उन क्षेत्रों में यूरेनियम की मात्रा बहुत कम थी, खनिज निम्न स्तर का था तथा उसका खनन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक कर्मचारी अधिकारियों के पद भरना

9605. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक कर्मचारी अधिकारियों के पद अनियमित रूप से भरे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-अमरीका सम्बन्ध

9606. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में राष्ट्रपति के बदल जाने से भारत और अमरीका के बीच सम्बंधों में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति में परिवर्तन हो जाने से भारत और अमरीका के बीच वर्तमान मैत्रीपूर्ण संबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। हमारी यह आशा है कि आगे आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और अच्छे होंगे।

आई० जी० एस० आनन्द पर्वत, नई दिल्ली के बारे में समाचार

9607. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1969 के सप्ताहिक पत्रिका "इन्डियन पोलिटिकल सस्पैन्स" नई दिल्ली में "मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स एक्सपोज़र्ज आफ करप्ट प्रेक्टिसिज

होल्ड" शीर्षक के अन्तर्गत आई० जी० एस० आनन्द पर्वत, नई दिल्ली के बारे में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समाचार नई दिल्ली के इन्स्पैक्टोरेट जनरल स्टोर्ज, उत्तरी भारत के 171 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरदत्त अभिवेदन का उल्लेख करता है कि जिसके निम्न कोटि के सामान स्वीकार करने, पदोन्नति, कुनवापरवरी भिन्न भेद इत्यादि मामलों में कई कर्मचारीगण का पक्ष लेने के बारे में उस संस्थान में कई कुरीतियों के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप, जो पहले भी लगाए गए थे, निराधार सिद्ध हुए हैं। इसलिए किसी प्रकार की अधिक जांच किए जाने या कार्यवाही की आवश्वकता का प्रश्न नहीं उठता।

Visit by Foreign Official Guests to India

9608. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign official guests who visited India during 1968 and 1969 ;

(b) their names and designations ; and

(c) the expenditure incurred by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) : The information is being colleted.

Disribution of Raw Material for Manufacture of Plastic Goods in A. P.

9609. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether the raw material required for manufacturing plastic goods is distributed in Andhra Pradesh by the State Trading Corporation ;

(b) whether it is a fact that Government have received complaints regarding irregularities by the Corporation in this connection ; and

(c) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The stock of Polyethylene imported by the State Trading Corporation, and required for manufacture of plastic goods, is disributed on 'free sale basis', which means the material could be released to any party approaching S. T. C.'s distributors, viz. M/s I. C. I. and Union Carbide for release of the goods, without imposing and restriction. In other words, the manufacturing units of Andhra Pradesh can lift the required quantity from the S. T. C.'s stock if they so desire.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

प्रतिरक्षा संस्थानों में गैर-औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा वेतन न लेना

9610. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1969 को मैटल एण्ड स्टील, राइफल फैक्टरी,

चीफ इन्सपक्टोरेट आफ स्माल आर्म्स, इच्छापुर, तथा इच्छापुर (24 परगना, पश्चिम बंगाल) के अन्य प्रतिरक्षा संस्थापनों के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों पर पड़े कुप्रभाव के विरोध में वेतन नहीं लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। इच्छापुर के अधिकतर रक्षा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों ने 1-4-1969 को अपना वेतन गृहण नहीं किया था।

(ख) हानिकर प्रभावों को दूर करने के उदेश्य से गैर-राजपत्रित, केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो इच्छापुर समेत उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका की सीमाओं में रहते हैं, प्रतिकर (नगर) भत्ता तथा मकान किराया भत्ता देने के लिए वेतन की सीमाएं संशोधित करने वाले आदेश 7-5-1969 को जारी किए गए थे।

दलाई लामा को राजनीतिक दर्जा

9611. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने मांग की है कि दलाई लामा को तिब्बत के वैध, आध्यात्मिक और जनशासक के रूप में, मान्यता दी जाये ;

(ख) ये मांग किन किन दलों ने की है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार विभिन्न दलों के संसद-सदस्यों के विचारों से तो अवगत है जिनमें से कुछेक ने दलाई लामा के राजनीतिक दर्जे को मान्यता देने का और तिब्बत के प्रति अपनी नीति को नया रूप देने का अनुरोध किया है, लेकिन इस बारे में भारत की विभिन्न सभी राजनीतिक दलों के रुख पर सरकार को विस्तृत जानकारी नहीं है।

(ग) तिब्बत के बारे में सरकार की नीति संसद में कई बार विस्तार से बताई जा चुकी है और इसमें कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

ब्रिटेन की परिवहन कम्पनियों में सिख कर्मचारियों के साथ भेदभाव

9612. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलवरहैम्पटन और वैस्ट मिडलैंड ट्रांस्पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा सिख कर्मचारियों के साथ किये गये भेद भाव के बारे में दिल्ली में सिख समुदाय ने ब्रिटिश सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार ने उक्त अपील का उत्तर दिया है ;

(ग) उक्त नीति के परिणामस्वरूप इन दो विदेशी परिवहन कम्पनियों में से कितने सिख कर्मचारियों को निकाला गया ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को हल करने के लिये कोई राजनयिक कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन को 6 अप्रैल, 1969 को अकाली दल और दिल्ली राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड किंगडम में सिक्खों को पगड़ी बांधने और दाढ़ी रखने पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया था।

(ख) पगड़ी बांधने और दाढ़ी रखने पर लगाया गया प्रतिबन्ध अब उठा लिया गया है।

(ग) बुलवर हेम्पटन में केवल एक सिक्ख कर्मचारी को बस चालक की नौकरी से हटाया गया था।

(घ) अब पगड़ी बांधने और दाढ़ी रखने पर से प्रतिबन्ध उठा दिया गया है, अतः इसकी जरूरत नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में काम करने वाले अधिकारी

9613. **श्री रामजी राम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को अन्य विभागों से बुलाया गया था या जिनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पद खाली हैं और कितने पद भरे हुए हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या क्रमशः 203 तथा 172 है ;

(ख) कोई नहीं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के मंजूर किये गये पदों की कुल संख्या क्रमशः 216 तथा 181 है। भरे गये पदों की कुल संख्या क्रमशः 203 तथा 172 है ।

परमाणु बिजली का विकास

9614. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उद्योगों में प्रयोग के लिए ताप बिजली की तुलना में परमाणु बिजली सस्ती है ; और

(ख) यदि हां, तो परमाणु रिएक्टरों द्वारा उत्पादित बिजली के विकास के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). बिजली का तुलनात्मक मूल्य विभिन्न कारणों, जैसे बिजलीघरों के निर्माणस्थल तथा उसके आकार पर निर्भर करता है।

उपलब्ध साधनों की सीमाओं तथा योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रखते हुए, परमाणु बिजली के विकास के लिये अधिकतम सम्भव साधन जुटाये जाते हैं।

कोटा में उर्वरक कारखाना

9615. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के नये प्रशासन ने हाल में इस देश का दौरा किया था और विभिन्न सहकार परियोजनाओं जैसे कोटा में उर्वरक कारखाने के बारे में और कई वस्तुओं जैसे तरल अमोनिया के आयात के सम्बन्ध में बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विशेष विषयों पर विचार किया गया और उसका क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इस महीने के आरम्भ में संयुक्त राज्यीय अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के प्रशासक श्री जान हन्नाह द्वारा भारत का दौरा गैर-सरकारी अमरीकी सहयोग वाली प्रायोजनाओं से सम्बन्धित नहीं था। अतः उनके सम्बन्ध में किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई।

सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति

9616. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति ने इस वर्ष साहित्य और पत्रकारिता के लिये 28 पुरस्कार देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :—

(क) साहित्यिक कार्यों के लिए आठ-आठ हजार रु० के चार पुरस्कार तथा प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो सप्ताह के लिए सोवियत रूस की मुफ्त यात्रा।

(ख) साहित्यिक कार्यों के लिए एक-एक हजार रु० के दस अतिरिक्त पुरस्कार।

(ग) पत्रकारिता से सम्बन्धित कार्यों (लेखों तथा फोटोचित्रों का संग्रह) और रूसी ग्रन्थों के अनुवाद तथा भारतीय भाषाओं में सोवियत रूस सम्बन्धी कृतियों के लिए, ढाई-ढाई हजार रु० के चार पुरस्कार तथा प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो सप्ताह के लिए सोवियत रूस की मुफ्त यात्रा।

(घ) पत्रकारिता तथा उपर्युक्त प्रकार के अनुवाद के लिये आठ-आठ सौ रु० के दस अतिरिक्त पुरस्कार।

Cardamom Cultivation

9617. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) wnether it is a fact that the production of Cardamom in the country has gone down from 43,000 tons in 1962-63 to 2,000 tons n 1968-69 and at the same time its exports are also continuously falling ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures being adopted by Government to boost the production and export of cardamom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The production of Elettaria cardamom in 1962-63 was 3,400 tonnes and not 43,000 tonnes. Its production during 1968-69 is estimated at 2,100 tonnes. There has been fall in exports.

(b) The fall in production is due to ravages of a virus disease in cardamom plantations coupled with adverse weather conditions.

(c) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1155/69].

विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं का सर्वेक्षण

9618. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रहने वाले भारत मूलक लोगों के जिन देशों में वे रह रहे हैं उनसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन समस्याओं का कभी सर्वेक्षण किया ; और

(ग) यदि हां, तो वे समस्याएं क्या हैं और सरकार का उनको हल करने के लिए कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कुछ देशों में उन्हें कतिपय कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) अलग-अलग देशों में अलग-अलग समस्याएं हैं। इनमें दूसरी समस्याओं के साथ-साथ उन देशों में निरंतर निवास और वर्तमान धन्धों में न रहने की असामर्थ भी सम्मिलित है जिनमें उन्होंने अपने निवास के देशों की नागरिकता नहीं ले ली है।

हर देश में अलग-अलग और समस्या विशेष की प्रकृति के अनुरूप कदम उठाए गए हैं; सहमत समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए हर सम्भव कदम उठाया गया है और उठाया जा रहा है। जब कभी आवश्यक होता है, संबद्ध व्यक्तियों को समुचित सलाह दी जाती है। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें ठोस सहायता भी प्रदान की गई है। सम्बद्ध देशों की सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर और राजनयिक सूत्रों के माध्यम से बातचीत की गई है।

भारत नेपाल व्यापार

9619. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 1969 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत में नवम्बर, 1968 में हुए भारत नेपाल व्यापार समझौते के बारे में भारत पर आक्षेप लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नेपाल स्थित अपने राजदूत से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है;

(ग) इन आरोपों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में नेपाल सरकार के विचारों का भी पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) से (ङ) नवम्बर, 1968 में काठमांडू में मन्त्री स्तर वार्ता में किए गए निर्णय के अनुसरण में नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात के उत्पादों के भारत में आयात पर प्रतिबन्ध तथा भारत-नेपाल व्यापार सम्बन्धों से सम्बन्धित अन्य मामले लोक सभा तथा राज्य सभा, दोनों ही में, विवाद के विषय रहे हैं, जैसे कि नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत में रहे हैं। भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखा है कि नवम्बर, 1968 में किए गए निर्णयों शीघ्रता से क्रियाचयन किए जाए। हाल ही में अन्य बातों के साथ साथ इस मामले पर नेपाल के विदेश मन्त्री के साथ उनकी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान बातचीत की गई थी। भारत-नेपाल व्यापार तथा व्यापार सम्बन्धों की दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच आगामी वार्ता में और समीक्षा की जायेगी।

इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी के लिए काम की व्यवस्था

9620. **श्री कंवर लाल गुप्ता :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन सिविल सर्विस का एक अधिकारी 1 सितम्बर, 1968 से वेतन ले रहा है परन्तु उसे तब से अभी तक कोई भी काम नहीं दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अधिकारी पहले निर्माण और आवास मंत्रालय का सचिव था और 'अंकटाड'सम्मेलन में उच्च अधिकारी था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसे कोई कार्य न सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) सम्बन्धित अधिकारी श्री प्रेम कृष्ण हैं । उन्हें तैनात करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Steps Taken to Recover Indian Territory from Chinese Occupation

9621. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state the steps being taken by Government to recover the Indian territory which is still under the Chinese occupation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): We do not recognise the illegal occupation of Indian territory by the Chinese and have been endeavouring to recover our territory through negotiations and other peaceful means consistent with our national honour and sovereignty.

Removing Difficulties of Indian Living in Burma

9622. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indian Nationals in Burma at present ;

(b) the number of Indian Nationals who have returned to India from Burma since 1st January, 1964 to-date on account of technical difficulties and for other reasons ; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to remove the difficulties of Indian Nationals living in Burma ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There are at present approximately 68,000 Indian national in Burma.

(b) The number of Indian repatriates who have rreturned to India from Burma upto 31-10-1968 is 1,68,000.

(c) The Government of India has been making every effort, through diplomatic channels, to alleviate the problems faced by Indian nationals and persons of Indian origin living in Burma. This question was also raised with the Burmese Government during the Prime Minister's recent visit to Burma, and the Burmese Govornment have assured as that they would endeavour their utmost to settle these outstanding matters sympathetically and expditiously.

Crisis in Seep Button Manufacturing Industry in Bihar

9623. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the seep button manufacturing industry located at Mehasi in Champaran is treated as a cottage industry of Bihar ;

(b) if so, whether Government have adopted any measures to develop this industry in Bihar ;

(c) if so, the result thereof ;

(d) whether it is also a fact that despite some measures adopted by Government, the industry is facing a crisis and its production has fallen from 110 units to 66 units ;

(e) if so, whether Government propose to institute an enquiry in this regard in which, besides Government officials, public representatives will also be included ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir, although a few units are factory type establishments.

(b) and (c). Yes, Sir. A common service organisation had been set up Mehasi. This organisation provides price support to the seep button industry and distributes equitably raw materials (mussel shells) among the different units.

(d) to (f). This industry is facing keen competition from nylon buttons which are cheaper and are at the same time more attractive and are available in different sizes, designs and colours. Further, Factory type establishments are subjected to labour and factory laws and they have to contribute to Employees' Provident fund. Therefore, such units are at a disadvantage as compared to smaller units which do not have to bear the obligations of factory type establishments.

An officer of the Bihar Government has already made a thorough enquiry into the problems of this industry and his report is under active consideration of the Bihar Government. The Deputy Director of Industries in charge of this scheme has held discussions about the ways and means of improving the industry with the local industrialists and M. L. As.

शुष्क बन्दरगाह के रूप में दिल्ली

9624. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में निर्यात संवर्धन अभियान को सहायता मिलेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). दिल्ली में एक शुष्क पत्तन की स्थापना का सुझाव सरकार को प्राप्त हो चुका है और इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय सेना के पास टैंक तोड़ने वाली "मिसाइल"

9626. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तानी सेना के पास "वालकोन-कोवरा" नामक टैंक तोड़ने वाली "मिसाइल" हैं, क्या भारतीय सेना में भी टैंक तोड़ने वाली "मिसाइल" की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय सेना में उक्त शस्त्र की कब तक व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) क्या उनको विदेशों से प्राप्त करने का प्रस्ताव है अथवा देश में ही उनका निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उनका देशीयत: निर्माण करने के लिए भी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

भारत नेपाल सीमा-वार्ता

9627. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराय नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों ने सुस्ता क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के बारे में अप्रैल, 1969 में बाल्मीकि नगर में विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अन्तिम समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समय मामला किस स्थिति में हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के दस्तावेजों और नक्शों की जांच की तथा बाल्मीकि नगर की बातचीत की समाप्ति पर इस बात पर सहमति हुई थी कि गंडक नदी पर भारत-नेपाल सीमा पुन: निर्धारित करने के उद्देश्य से सम्मिलित सर्वेक्षण के लिए सहमत आधार खोजने के वास्ते आगे भी कोशिश की जाती रहेगी ।

पाकिस्तान का वार्ता के लिए प्रस्ताव

9628. **देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत से अनिर्णीत मामलों को शान्तिपूर्ण ढ़ग से हल करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या भारत ने सरकारी तौर पर इस प्रस्ताव का स्वागत किया है ; और

(ग) पाकिस्तान सरकार से वार्ता करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 26 अप्रैल, 1969 को, भारत के राष्ट्रपति के संदेश के उत्तर में निम्नलिखित बातें कही :

"हमें ऐसे किसी भी प्रयास में, सहयोग देने में, प्रसन्नता ही होगी जिससे दोनों देशों के बीच, सम्मानीय और न्यायोचित आधार पर, प्रमुख विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा करके सम्बन्ध सामान्य होता हो।"

(ख) और (ग). याह्या खाँ ने 16 अप्रैल, 1969 को हमारे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये संदेश के उत्तर में, उपर्युक्त वक्तव्य दिया था। इसमें राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने कहा था: "मेरी यह आशा है कि हमारे दोनों देश शांतिपूर्ण द्विपक्षीय विचार-विमर्श से अपने सम्बन्ध को सामान्य बनाने में समर्थ होंगे। अपनी सरकारों और जनता के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिये, हम अपनी ओर से हर सम्भव प्रयास करते रहेंगे।"

जब याह्या खां का संदेश प्राप्त हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों को फिर से कहा कि हम भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सामान्य बनाने से सम्बन्धित कार्य का स्वागत करेंगे और हमें आशा है कि इससे दोनो देशों के बीच शांतिपूर्ण वार्ता से, आपसी मतभेद दूर होंगे।"

संयुक्त अरब गणराज्य में भारत की सहायता से औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

9629. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत संयुक्त अरब गणराज्य के अनुरोध पर 'फियेट कार' के पुर्जों का निर्माण करने के लिए एक सहायक एकक स्थापित कर रहा है ;

(ख) क्या भारत संयुक्त अरब गणराज्य के मानसुरा में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने में भी सहायता करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने काहिरा के निकट हेल्वान में अन्य सामान के साथ साथ फिएट मोटर कार पुर्जों का सामान बनाने के लिए एक आनुषंगिक उद्योग क्षेत्र और मंसौरा में भी एक सामान्य औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत की सहायता मांगी है। प्रस्तावों के ब्यौरा को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए कतिपय विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए भी अनुरोध किया गया है।

अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय नौकाओं की बिक्री

9930. श्री देवेन सैन :
श्री अविचल :
श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा अपने कब्जे में की गई 188 भारतीय नौकाओं को बेच दिया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार की यह कार्यवाही ताशकन्द समझौते का उल्लंघन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 28 अप्रैल 1969 को भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस कथित कार्रवाई के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था ।

श्रीलंका से भारत आ रहे राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति

9631. श्री जार्ज फरनेडीज : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-श्रीलंका करार, 1964 के अंतर्गत तीन वर्षों में राष्ट्रिकताहीन कुल कितने व्यक्तियों को श्रीलंका से भारत वापिस बुलाना पड़ेगा ;

(ख) उक्त करार के अंतर्गत श्रीलंका को कितने राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों को वापिस बुलाना पड़ेगा ;

(ग) भारत ने अब तक कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की थी ;

(घ) श्री लंका ने कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की है ;

(ङ) क्या यह सच है कि श्रीलंका द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदनों को विचाराधीन सूची में रखा गया है ; और

(च) क्या भारत-श्रीलंका करार 1964 को उचित रूप से क्रियान्विति के संबंध में अधीक्षण के लिए कोई संयुक्त व्यवस्था बनाई गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार 15 वर्षों की अवधि में 5 25,000 राज्यहीन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता और 3,00,000 को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाने वाली है । लेकिन दोनों देशों में किसी भी ओर से नागरिकता प्रदान करने का कोई वार्षिक कोटा नहीं निश्चित किया गया है ।

(ग) मार्च 1969 के अंत तक 37,425 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।

(घ) दिसम्बर 1968 के अंत तक करीब 225 व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है।

(ङ) जी हां। श्रीलंका सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ होगी।

(च) जी हां।

प्रधान मन्त्री के विरुद्ध अपमानजनक बातें

9632. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय संबन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान लोक सभा में लगाया गया यह आरोप, कि मन्त्रीमंडल के एक मन्त्री ने पोलैंड में प्रधान मन्त्री के विरुद्ध अपमानजनक बातें कही थी, सही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मन्त्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Kurtas

9633. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Bengali and Lucknow style Kurtas are very popular abroad ;

(b) if so, the value of Kurtas exported during the last three years ; and

(c) the names of foreign countries where their demand is comparatively more ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). Exports statistics in respect of Kurtas are not separately maintained. However, enquiries show that durihg the years 1967-68 1968-69 Kurtas. particularly of Lucknow style, worth about Rs. 2 lakhs were exported. The major part of exports were to U. S. A. and France. It cannot, however, be said with certainty that these Kurtas are very popular abroad.

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के होठल के किराये

9634. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के होस्टल में रहने वाले व्यक्तियों से एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत प्रामाणिक किराया या वेतन का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, के आधार पर किराया ले रहा है।

(ख) यदि हाँ, तो वेतन का दस प्रतिशत के आधार पर किराया लेने की रियायतें सरकार द्वारा चलाये जा रहे होस्टलों में भी दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के होस्टलों में पूरे प्रामाणिक किराये से कम किराया लेने के क्या कारण है ; और

(घ) इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सामान्य आवास निकाय नियमों के अनुसार होस्टल आवास का किराया ही लिया जाता है अर्थात अधिकारियों के वेतन का 10% भाग या एफ० आर० 45-ए के अधीन मानक किराया, इन दोनों में से जो भी कम हो, लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपस्कर, सेवा आदि के लिए, एक रूप आधार पर किराया लिया जाता है।

(ख) से (घ). सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में जो होस्टल है, वे एफ० आर० 45-ए के अधीन नियत किराए वसूल करते हैं, जिनमें उपस्कर किराया, सेवा-भार आदि शामिल है। अतः विदेश मन्त्रालय के होस्टल के मामले में किराया वसूल करने की प्रणाली भिन्न है। सम्पदा निदेशालय के अधीन जो होस्टल है, वे सरकारी अधिकारियों को निर्दिष्ट वेतन सीमा तक आवास की व्यवस्था करते हैं, किन्तु विदेश मंत्रालय के होस्टल, विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों को, उनके वेतनमान पर ध्यान दिए बिना, आवास की व्ययस्था करते हैं, क्योंकि विदेश सेवा से मुख्यालय लौटने पर, सब एक ही आवास समस्या का सामना करते हैं।

चूंकि विदेश मंत्रालय का होस्टल में स्पष्ट रूप से एक भिन्न आवश्यकता की पूर्ति करता है और विदेश मन्त्रालय के होस्टल में आवास-आबंटन में जो सिद्धांत अपनाया जाता है, वह उपर्युक्त अन्य होस्टलों की प्रणाली से भिन्न है, अतः किराए की संगणना करने की प्रणाली भी भिन्न है। परिणाम स्वरूप सरकार को घाटा या मुनाफा होने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में चाय बोर्ड के कर्मचारी

9635. **श्री ज्योतिर्मय बस** : क्या वैदेशिक-कार्य व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चाय बोर्ड के कर्मचारियों ने 9 अप्रैल, 1969 को 'मांग दिवस' रखा था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मुख्य मांगें हैं ; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) दिल्ली में चाय बोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने 9 अप्रैल, 1969 को मांग दिवस के रूप में रखा था।

(ख) और (ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1156/69]

कलकत्ता में आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय में पदोन्नति

9636. **श्री हेमराज :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय में ऐसे ग्रेड दो के आशुलिपिक कितने हैं जिनके पदनाम बदले गए थे और जिन्हें इस बीच सुपरिन्टेंडेन्ट के पदों पर पदोन्नत किया गया है ;

(ख) अभी तक कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रिक्त स्थानों को भरने में विलम्ब हुआ है ; और

(घ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना मिश्र) : (क) दो ।

(ख) एक ।

(ग) न्यायालय के व्योदेश के कारण जो फरवरी 968 में समाप्त हुआ, रिक्त स्थानो की पूर्ति में कुछ विलम्ब हो गया था ।

(घ) इससे पहले कि शेष रिक्त स्थानों को पूरा किया जाए संबंधित प्राधिकरणों को कहा गया है कि वह विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें शीघ्र भेजें ।

आयुध कारखाने के महानिदेशक के कार्यालय में ग्रेड दो के आशुलिपिक

9637. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री आयुध कारखानों के महानिदेशालय के ग्रेड दो आशुलिपिकों के पदनाम को बदलकर उन्हें सहायक बनाते समय उन्हें दिये गये ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और बतायेंगे 20 अप्रैल, 1969 तक दोनों पक्षों द्वारा इसका कहां तक पालन किया गया ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : स्मरण पत्र की एक प्रति संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1157/69] यह सूचना कि 20 अप्रैल, 1969 तक दोनों पक्षों ने इसका कहां तक पालन किया, इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आयुध कारखानों में महानिदेशक के कार्यालय में पदोन्नतियां

9638. **श्री हेम बरुआ** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के महानिदेशालय में सुपरिन्टेन्डेटों के चार पद ग्रेड दो के आशुलिपिकों द्वारा दो वर्षों तक सहायक के पद पर उनकी परिवीक्षा के बाद भरे जाने के लिए आरक्षित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आरक्षित पदों में ग्रेड एक के एक आशुलिपिक के सहायक के पद पर परवीक्षा के बिना पदोन्नति करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ग्रेड दो के आशुलिपिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं मुख्यनिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरीज़ कलकत्ता के कार्यालय में सुपरिन्टेन्डेन्टों के स्थान ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के आशुलिपिकों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, जो दो वर्षों के लिए सहायकों के तौर पर काम कर चुके हों ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

फिलीपीन से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

9639. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अप्रैल में फिलीपीन का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने किन-किन विषयों पर चर्चा की थी ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) और (ख). जी हां । ट्रेड मिशन क्लब आफ मनीला द्वारा प्रायोजित एक सदभावना तथा व्यापार प्रतिनिधि मिशन फिलीपीन से स्कैंडिनेविया तथा पश्चिम यूरोप के कुछ देशों को जाते हुए अप्रैल 1969 में तीन दिन के लिए नई दिल्ली में ठहरा था । उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के साथ पारस्परिक हित के मामलों पर बातचीत की । यह बातचीत घनिष्टतर व्यापार सम्पर्कों को विकसित करने तथा उन क्षेत्रों का पता लगाने, जिनमें संयुक्त उद्यमों सहित व्यापार के विस्तार के सुअवसर मिल सकें, पर केन्द्रित रही । नई दिल्ली तथा उसके निकट के उद्योगों को उनको दिखाने के लिए भी व्यवस्था की गई ताकि वे स्वयं हमारे निर्यात उत्पादों के गुण देख सकें ।

(ग) और (घ). उपर्युक्त मिशन की यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए । तथापि 26 मार्च, 1968 को भारत सरकार तथा फिलीपीन के बीच एक व्यापार करार हुआ था, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

सूडान से रुई का आयात

9640. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान के रूई सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल से भारत को रूई सप्लाई किये जाने

और सूडान द्वारा भारतीय कपड़ा खरीदे जाने के बारे में नई दिल्ली में बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). सूडानी रूई प्रतिनिधिमंडल न तो दिल्ली आया था और न दिल्ली में कोई बातचीत ही हुई थी ।

National Assembly for Peace

9641. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation met her and held talks with her on behalf of National Assembly for Peace on the 23rd April, 1969 ;

(b) if so, the details of the talks ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir, However a deputation on behalf of the All India Peace Council handed over a memorandum to the Prime Minister.

(b) and (c). The memorandum relates to the war in Vietnam and is being studied.

भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी सेना का जमाव

9642. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1969 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह समाचार दिया गया है कि चीन भारत-तिब्बत सीमा के साथ-साथ बड़ी संख्या में सैनिक प्रतिष्ठान बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). निर्देशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है । हमारी उत्तरीय सीमा के पार चीनी विविध सैनिक गति विधियों, जिनमें सड़कों का सुधार तथा सैनिक आवास भी सम्मिलित है, में लगे हुए हैं । उन गतिविधियों में अभी हाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अपनी क्षेत्रीय एकता के लिए सीमा के पार चौकसी रखी जा रही है ।

मैसूर में परमाणु खनिजों के लिये सर्वेक्षण

9643. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने परमाणु खनिजों के लिए मैसूर राज्य के रायचूर, बेलारी और धारवाड़ जिलों के विशेषकर धाड़वाड़ जिले के मुदाणी तालुकों का और रायचूर जिले के कोप्पल, गंगावती येलबुर्गी, कुश्तगी तथा सिन्धनूर और बेलारी, जिले के हेस्पेट और हाडगिल का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). धारवाड़ बेलारी और रायचूर जिलों के तालुकों के निर्देशित योग का सर्वेक्षण किया गया था परन्तु वहां परमाणु खनिजों का कोई उल्लेखनीय भण्डार नहीं मिला। इन जिलों के शेष भागों का सर्वेक्षण यथा समय किया जायेगा।

सिक्किम की यात्रा के लिये जाली परमिट जारी होना

9644. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम जाने के लिये विदेशियों को जाली परमिट जारी करने के आरोप में दार्जिलिंग में एक ब्रिटिश राष्ट्रजन को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ब्रिटिश राष्ट्रजन का नाम क्या है और क्या उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) यदि उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मामले में जांच-पड़ताल पूरी होने तक श्री आर्थर मैलोने दार्जिलिंग में अदालती हिरासत में हैं।

कुर्ग में कुशल नगर में सैनिक स्कूल

9645. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में कुर्ग के कुशलनगर स्थान पर दूसरे प्रस्तावित सैनिक स्कूल की रिहायशी स्कूल के रूप में चलाने का मैसूर सरकार को निदेश दिया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) इस स्कूल में कुल कितने स्थान (सीट) हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिक स्कूल राज्य सरकार की स्वतः प्रेरणा पर खोले जाते हैं। सैनिक स्कूलों की सोसाईटी के बोर्ड आफ गवर्नर्ज ने कुर्ग जिले के कुशलनगर में दूसरा सैनिक स्कूल खोलने के लिए मैसूर सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अन्य सैनिक स्कूलों की तरह यह स्कूल भी एक वास्य स्कूल होगा।

(ख) योजना के अनुसार प्रिन्सिपल, मुख्याध्यापक और पंजीयक की नियुक्तियों के पुर करने के लिये भी केन्द्रीय सरकार 3 सेवा अफसर निःशुल्क प्रदान करेगी।

(ग) अन्य सैनिक स्कूलों की तरह इस स्कूल में भी स्थानों की संख्या 525 होगी।

भारतीय सूचना सेवाओं में अधिकारियों की संख्या

9646. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को भारतीय सूचना सेवाओं में कितने अधिकारी थे ;

(ख) वर्ष 1968 में उनमें से कितने अधिकारी भारतीय विदेश सेवा में लिए गये हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पिल्लै समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों की जन सम्पर्क अधिकारियों के साथ उन्हें भारतीय विदेश सेवा में लेने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विदेश सेवा बोर्ड द्वारा जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सभी वर्गों में अड़तालीस अधिकारी ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). भारतीय सूचना सेवाओं के अधिकारियों की भारतीय विदेश सेवा (ए) में, विदेश सेवा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात पदोन्नति के लिये कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

शरद नहर के नियंत्रण के बारे में नेपाल का दावा

9647. **श्री र० कृ० सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के महापाली क्षेत्र में शरद नहर का नियंत्रण नेपाल को देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । नेपाल सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पारेषण उपकरणों का निर्माण

9648. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के स्टुडियो के तथा पारेषण उपकरणों के निर्माण के लिए योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). 1970-71 के पश्चात से भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने रेडियो के लिए प्रसारण तथा स्टुडियों साजसामान का निर्माण आयोजित कर रखा है। कम्पनी अब अखिल भारत रेडियो के लिए टेलिवीजन प्रसारण तथा स्टुडियो साजसामान के निर्माण की सम्भाव्यता का निरीक्षण कर रही है। चतुर्थ योजना अवधि के दौरान निर्माण किए जाने वाले साजसामान के विस्तारों की अन्तिम रूप रेखा अभी तैयार नहीं की गई।

वितरण के आधार पर फिल्मों का निर्यात

9649. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्मों के नाम क्या हैं जो इंडियन मोशन पिक्चर कार्पोरेशन ने वितरण के आधार पर विदेशों को भेजी हैं ;

(ख) किन-किन देशों में ये फिल्में दिखाई गई थीं ; और

(ग) उन निर्माताओं के नाम और पते क्या हैं जिनकी फिल्में इस कारपोरेशन ने वितरण के आधार पर भेजी हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया** देखिये संख्या एल० टी० 1158/69]

मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे के लिए अर्जित भूमि के लिये मुआवजा

9650. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के तुलीहाल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा सभी सम्बन्धित भूस्वमियों को दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक अदा किये गये मुआवजे की राशि क्या है और अर्जित भूमि के लिए प्रति एकड़ किस दर पर मुआवजा दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अवार्ड की सम्पूर्ण राशि कलेक्टर के पास जमा कर दी गई है जिससे पता चला है 3,76,740.29 रुपये दावेदारों को अदा कर दिए हैं और 1,43,398.14 रुपये भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 31 (2) के अन्तर्गत न्यायालय में जमा करा दिए हैं। 7490.81 राशि की एक और राशि कलेक्टर द्वारा अदा की जानी है। इस राशि की अदायगी में विलम्ब का कारण, दावेदारों द्वारा उत्तराधिकार के प्रमाणपत्रों का पेश न कर पाना और कई मामलों में दावेदारों की अप्राप्यता बताया गया है।

समक्ष प्राधिकरण द्वारा दिये गये मुआवजे की दर होस स्टेड क्षेत्र के संबंध में प्रति एकड़ 920 रुपये से 3360 रुपये तक और अन्य भूमियों के 810 रुपये से 1600 रुपये तक विभिन्न है।

मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे का निर्माण

9651. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक की क्या प्रगति है ; और

(ख) यह हवाई अड्डा कब पूरा हो जायेगा और कब से प्रयोग किया जाने लगेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). निर्माण कार्य प्रगतिशील है और दिसम्बर, 1969 तक सम्पूर्ण होना प्रत्याशित है।

चीन की परमाणु टैक्नालोजी में प्रगति

9652. **श्री जुगल मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति विभाग चीन द्वारा परमाणु टैक्नालोजी के क्षेत्र में की जा रही प्रगति के बारे में सतर्क रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय प्राद्योगिकी के क्षेत्र में चीन सहित संसार के विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति की पूरी जानकारी प्राप्त करने की हर कोशिश करता हैं।

ताजे फलों तथा मेवों के लिये आयात लाइसेंस

9653. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 20 सर्वोच्च फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं, जिनको (1) अफगानिस्तान (2) ईराक (3) ईरान से ताजे फल तथा मेवों के आयात के लिये 20,000 रुपये से अधिक के आयात लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या आयात करने वाली इन फर्मों ने अफगानिस्तान को निर्यात के अपने वचनों को पूरा किया है और जो फर्में अपने वचनों को पूरा नहीं कर सकी हैं, उनके नाम क्या है ; और

(ग) किन-किन फर्मों को कदाचारों के लिए काली सूची में डाल दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) फलों तथा मेवों सहित विभिन्न वस्तुओं के लिये दिये गये लाइसेंसों के ब्यौरे 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट-लाइसेंसिज एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज' में प्राप्य हैं और इसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). संभवतः माननीय सदस्य 31 जुलाई, 1969 को समाप्त होने वाली विद्यमान भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था की अवधि के अन्तर्गत आयात करने वालों का उल्लेख कर रहे हैं। चूंकि अभी अवधि पूरी नहीं हुई है अतः भारत-अफगान व्यापार में भाग लेने वाली फर्मों को अपंजीयित करने/काली सूची में रखने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

Hostile Nagas

9654. **Shri Jharkhande Rai :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the estimated number of hostile Nagas in Nagaland ;

(b) the total expenditure incurred since the commencement of hostility in Nagaland to-date ; and

(c) the total number of persons of the Indian Security Force and those of hostiles killed or injured ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Information about the Naga underground strength is classified and cannot be disclosed in the public interest.

(b) No separate account is being kept of the expenditure incurred by the Army authorities in respect of the aid rendered by them to the civil authorities in combating the activities of the underground Nagas.

(c) During the period from April 56 to 30th April 69,274 Army personnel were killed and 143 injured. During the same period, about 2,000 underground personnel were killed and about 1200 injured.

भारतीय चलचित्रों का विदेशों में प्रदर्शन

9655. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा निम्नलिखित चलचित्र विदेशों में भेजे गये हैं :

(1) आई मिलन की बेला (2) जानवर (3) चांद और सूरज (4) रिश्ते नाते (5) वेनजीर (6) दो दिल (7) दूर की आवाज (8) काश्मीर की कली (9) गौरी (10) ममता (11) दो कलियां (12) आरजू ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त चलचित्रों के निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं और इस कारपोरेशन ने किन शर्तों पर ये चलचित्र भेजे थे ; और

(ग) विदेशों से इन चलचित्रों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई और इन चलचित्रों को किन-किन देशों में प्रदर्शित किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी 1159/69]

पटसन मिलों के अंशों का मूल्य

9656. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों को भारी हानि हो रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप सट्टा बाजार में उनके अंशों का मूल्य अधिक गिरता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने हेतु सरकार का क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) इस वर्ष पटसन की फसल के असाधारण रूप से कम होने के परिणामस्वरूप पटसन उद्योग को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है । कच्चे पटसन के मूल्य असामान्य रूप से ऊंचे हो गये परन्तु पटसन के माल के मूल्य उसी अनुपात में नहीं बढ़े । कठिन व्यापारिक परिस्थितियों के कारण शायद कुछ मिलों को घाटा हुआ हो ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार अगले वर्ष की फसल अच्छी होने की सम्भावना है । एक बार कच्चे माल की पूर्ति सामान्य हो जाए तथा व्यापारिक स्थिति पहिले जैसी हो जाय तो पटसन उद्योग की स्थिति में सुधार होने की आशा की जा सकती है ।

खनिज तथा धातु निगम के माध्यम से मैंगनीज अयस्क का निर्यात

9657. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क की बिक्री हेतु खनिज तथा धातु व्यापार निगम के तीन दलों ने अमरीका, यूरोप तथा जापान का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये दल जापान से भी जो की भारत से परम्परागत किस्मों के अयस्कों का खरीददार है, क्रयादेश प्राप्त नहीं कर सके ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और

(घ) विदेशी मंडियों में मैंगनीज अयस्क की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मैंगनीज अयस्क का निर्यात सन् 1967 में 10.83 लाख मे० टन हुआ था जो सन् 1968 में बढ़कर 11.77 लाख मे० टन हो गया है 1969 के प्रथम चार महीनों में लगभग 11.6

लाख मे० टन के निर्यात के लिए क्रयादेश प्राप्त हो गये हैं तथा इसकी और मात्राओं की बिक्री के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। किन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस मद के बारे में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का अधिक कारगर ढंग से सामना करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम मैंगनीज अयस्क निर्यात के लागत ढांचे का पुनरीक्षण कर रहा है। हमारे निर्यातों की प्रतियोगिता शक्ति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने रेल, सड़क, तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये समुचित प्रायोजनाओं को हाथ में लिया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख उपभोक्ताओं से सम्पर्क करने हेतु मुख्य उपभोक्ता देशों का दौरा करते रहे हैं। निगम ने प० यूरोप में भी अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की है और बिक्री तथा मैंगनीज अयस्क के निर्माताओं को बढ़ाने के लिए अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिए जापान में सम्पर्क व्यवस्थाएं की हैं।

रंगीन साड़ियां बनाने पर प्रतिबन्ध

9658. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जून, 1966 के संकल्प संख्या 9 (42)-टैक्स (सी)/64 के अनुसार तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय में मालेगांव, बुरहानपुर और जबलपुर के विद्युत चालित करघों के मालिकों को तीन वर्ष के अन्दर रंगीन साड़ियों को हथकरघों के लिए छोड़कर अन्य किस्में तैयार करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तीन वर्ष की अवधि 2 जून, 1969 को समाप्त हो जायेगी तथा क्या विद्युत चालित करघों ने अन्य किस्म का कपड़ा तैयार करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शक्ति-चालित करघों के स्वामियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि रंगीन साड़ियों का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था को सख्ती से लागू करना इन राज्यों के शक्ति-चालित करघा बुनकरों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। मामले की जांच की जा रही है।

सिक्कम में सड़क मरम्मत कार्यों के बारे में स्थानीय लोगों में असन्तोष

9659. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल 1969 को गंगतौक से प्रकाशित हुई एक पत्रिका सिक्किम में "ए क्राई इन दि विल्डरनेस" (नकारखाने में तूती की आवाज) सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह आरोप सही है कि सिक्किम में सड़कों और पुलों के निर्माण तथा मरम्मत के कार्य स्थानीय सिक्किम ठेकेदारों से ले लिये हैं और बाहर के ठेकेदारों को दे दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिक्किम लोक निर्माण विभाग का सड़क निर्माण शुल्क प्रति 80,000 रुपये है, जबकि जी० आर० ई० एफ० संगठन द्वारा प्रति मील 7 लाख रुपये खर्च किये हैं ; और

(घ) क्या इन मामलों में स्थानीय लोगों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सम्पादकीय में साथ ही निम्नलिखित विवरण है —

"दि स्वास्तिक ने ऐसे व्यक्तियों को ठेके देना शुरू कर दिया है जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव नहीं था और जो देशज भी नहीं हैं और इसलिए बहुत से सिक्किमी ठेकेदार अपनी दैनिक रोटी से वंचित रह जाते हैं।"

सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार हैं :—

सिक्किम में, अक्तूबर, 1968 में बाढ़ आने के कारण रेंगपो सिक्किम का एक शहर (जो भारत और सिक्किम की सीमा पर है) और गंगतोक को मिलाने वाली सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। सिक्किम सरकार के एक अनुरोध के उत्तर में यह कहा गया कि सड़क की मरम्मत तेजी से होनी चाहिये और इसका सामरिक महत्व स्वीकार करते हुए इसे लोक निर्माण कार्य विभाग भारत सरकार से सीमा सड़क संगठन (स्वास्तिक परियोजना) को स्थानान्तरित कर दिया गया था जिसके निर्वहण की जिम्मेदारी अब तक उसी के ऊपर थी। यह सच है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया निर्माण कार्य लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा किये गये कार्यों से मंहगा पड़ता है, किन्तु सीमा सड़क संगठन का निर्माण कार्य अधिक तेजी से चलता है। उस संगठन द्वारा किया गया अधिकांश कार्य विभागीय तौर पर समाप्त हो गया है। कार्य का शेष हिस्सा ठेकेदारों को खुली टेंडर पद्धति द्वारा दिया जाता है। उक्त सड़क पर ठेकेदारी का जो कार्य होता है सिक्किमी ठेकेदार भी उसी शर्त पर ले सकते हैं जिन पर भारतीय ठेकेदारों को दिया जाता है।

गोआ, दमन और दीव तथा काश्मीर को भारत के अंग के रूप में मान्यता न दिया जाना

9660. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 23 अप्रैल 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अमरीका की सरकारों द्वारा गोआ, दमन और दीव को भारत के अंग के रूप में मान्यता न दिये जाने के विरुद्ध सरकार ने कोई विरोध पत्र भेजा है या भेजने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या ये विदेशी सरकारें काश्मीर को भारत के अंग के रूप में स्वीकार नहीं करती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव 1807 (XVII) में, गोआ, दमन और दीव को भारत का अंग मान लिया गया है। हमारी यह आशा है कि यूनाइटेड किंगडम और सयुक्त राज्य अमरीका भी, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकृत तथ्य को स्वीकार कर लेंगे।

(ग) दोनों सरकारों का वही पुराना मत है कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति अभी निर्धारित होनी है, हालांकि उन्होंने इस बात को मान लिया हैं कि इस प्रश्न को द्विपक्षीय रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से ही सुलझाया जा सकता है।

(घ) दोनों सरकार, भारत सरकार के इस विचार से अच्छी तरह अवगत हैं कि जम्मू और काश्मीर राज्य, भारत का एक अभिन्न अंग है। वे हमारे इस मत से भी अवगत है कि इस राज्य के एक भाग पर पाकिस्तान के गैर-कानूनी अधिकार से उत्पन्न समस्या का समाधान, द्विपक्षीय रूप से तथा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

इन्जीनियरी माल का निर्यात

9661. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च में औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशो को इन्जीनियरी माल के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में एक संगोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस संगोष्ठी में इस वार्ता के फलस्वरूप इंजीनियरी माल के निर्यात की (देश-वार) क्या नई सम्भावनाओं का पता लगाया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) गोष्ठी का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को समान्यत: औद्योगिक देशों और विशेषत: पश्चिम जर्मनी की बाजारगत विशेषताओं के बारे में जागरूक बनाना था। इसने सुरुचिपूर्ण बाजारों की मांग के अनुरूप भारतीय उत्पाद तैयार करने की जरूरत पर भी बल दिया।

गोष्ठी में विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित मदों के विपणन की गुंजाइश पर विचार किया गया :—

1. साइकिल तथा साइकिल पुर्जे
2. छोटे औजार तथा कटिंग औजार
3. दस्ती औजार
4. इलैक्ट्रोनिक संघटक
5. मशीनी औजार
6. माल डिब्बा तथा सवारी डिब्बा निर्माता उद्योग के लिए फोर्जिंग्स।

7. शल्य-यंत्र

8. विद्युत चिकित्सकीय यंत्र

9. पानी के मीटर

10. तरल गैस के लिए वाल्व

11. फलैंजिस, काबले तथा ढिबरी-

12. मोटर-गाड़ियों के लिए सहसाधन तथा फ़ालतू पुर्जे

13. वेल्डिंग इलैक्ट्रोड

14. वैज्ञानिक उपकरण

15. यूरोपीय सामान्य संविदाकारों द्वारा अन्य देशों में हाथ में ली गयी आद्योपांत प्रायोजनाओं के लिए उपसंभरण ।

गोष्ठी के लिए तैयार की गई आधार-सामग्री में विभिन्न इंजीनियरी माल के बाजार के आकार को दर्शाने वाले ब्यौरे वार आंकड़े दिये गये थे । भारत-जर्मन इंजीनियरी निर्यात संवर्धन प्रायोजना के अधीन आये हुए कतिपय जर्मन विशेषज्ञों, जो नई दिल्ली में हुई गोष्ठी में आये थे, के विचारों से गोष्ठी में भाग लेने वालों ने लाभ उठाया और उपभोक्ताओं को रुचने वाले डिजाइन अपनाने, गुण तथा संवेष्टन में सुधार, विपणन माध्यमों से सम्पर्क स्थापन आदि विभिन्न उपायों के फलस्वरूप निर्यात की जो नवीन सम्भाव्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं उन पर विचार विमर्श किया ।

औषधि उद्योग

9662. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औषधि उद्योग में अनुसंधान कार्य रुक गया है क्योंकि अनुसंधान उपकरण के लिए आयात लाइसेंस आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के लिए आयात लाइसेंसों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं । औषधि उद्योग में गवेषणा तथा विकास के लिए सरकार आवश्यक सहायता दे रही है ।

खोपरा का आयात

9663. **श्री० ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966 से 1969 के दौरान वर्षवार, श्रीलंका से खोपरा का कितनी यात्रा में आयात किया गया और उसके लिये प्रति टन कितना मूल्य दिया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मात्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण

श्री लंका से भारत में खोपरे का आयात

कालम 2 तथा 3
परिणाम हजार में. टन में
मूल्य लाख रुपये में
(अवमूल्यन पश्चात)

वर्ष	परिमाण	मूल्य	औसत मूल्य प्रति में टन
1.	2.	3.	4.
*1966	11.2	186.8	1667.85 रुपये
1967	10.2	181.1	1775.49 रुपये
1968	9.4	188.7	2000.74 रुपये
1969 (जनवरी)%	1.0	20	2000.00 रुपये

Study Team to Conduct Research in Regard to Agricultural Labourers

9664. **Shri Deorao Patil** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has appointed a Study Team for conducting research in regard to agricultural labourers ; and

(b) if so, the progress so far made by the said team ?

The Prime Minister Minister, of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली छावनी में सर्वेक्षण संख्या 66 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि

9665. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व सैनिकों को, जिनको दिसम्बर, 1968 में सर्वेक्षण संख्या 66, दिल्ली छावनी के अन्तर्गत पांच वर्षों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु सैनिक संपदा अधिकारी द्वारा भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े, आवंटित किये गये थे, यह भूमि खाली करने के लिए कहा जा रहा है ;

* तुलना के प्रयोजनार्थ 57.5% बढ़ाने के पश्चात जनवरी-मई, 1666 के आंकड़े शामिल हैं।

'जनवरी, 1969 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) क्या इतनी छोटी अवधि के लिए कृषि हेतु भूमि आवंटित करना सरकार के लिए उचित था ;

(ग) क्या निर्माण में अकस्मात परिवर्तन के कारण गरीब भूमि आवंटियों को होने वाली वित्तीय हानि तथा विस्थापनजनक कठिनाइयों की जानकारी सरकार को है ;

(घ) क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भूमि के पुनः आवंटन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार आवंटियों को होने वाली हानि के बारे में पुनर्विचार करेगी और अपनी योजना संशोधन करके अन्य खाली भूमि पर इसकी व्यवस्था करने का विचार करेगी अथवा पट्टे की अवधि समाप्त होने तक अपने निर्णय को स्थगित रखेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (च). सर्वेक्षण संख्या 66 के अन्तर्गत लगभग 200 एकड़ भूमि, जो प्रतिरक्षा आवश्यकताओं अस्थायी रूप से फालतू थी। जून, 1968 से पांच वर्ष के लिए भूतपूर्व सैनिकों को अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर पट्टे पर दी गई थी कि इस भूमि को इसकी सैनिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित होने पर 7 दिन की सूचना देकर वापस लिया जा सकेगा। इस पट्टे में इस भूमि को वापस लिये जाने की अवस्था में खड़ी फसलों के लिए प्रतिकर का भुगतान करने तथा पट्टे की अधूरी अवधि के लिए पट्टे की राशि की पुनः पूर्ति करने का उपबन्ध है। इसमें से 11 एकड़ भूमि को पुनः ग्रहण करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए इसकी तुरन्त आवश्यकता पड़ने पर उक्त भूमि को वापस ले लिया जायगा। दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किये गये पट्टे में भूमि वापस लेने का जो उपबन्ध है उसे उचित ही समझा जाता है। उसे पुनः अलाट करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

भारत में बागान उद्योगों का आधुनिकीकरण

9666. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बागान उद्योग पूरी तरह आधुनिकृत नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य विकसित देशों की तुलना में उनमें उत्पादन के लिए क्या-क्या आधुनिकतम तरीके अपनाये जाते हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारत में चाय के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी आधुनिक मशीनरी स्थापित की जानी है। आधुनिक मशीनरी की स्थापना के लिये भारी पूंजी-निवेश की आवश्यकता होती है और प्रत्येक

क्षेत्र के लिये अपने ही साधनों से ऐसा करना सदा सम्भव नहीं है। इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है और किराया खरीद आधार पर आधुनिक मशीनरी देने के लिए वह एक योजना चला रही है और चाय वाले क्षेत्र इस योजना से लाभ उटा रहे हैं। मोटे तोर पर भारत में चाय की खेती तथा चाय तैयार करने का कार्य आधुनिक पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। किन्तु, कतिपय अन्य देशों ने काफी सीमा तक यान्त्रिक ढंग से कटाई करने, खेती करने तथा कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करने जैसे कतिपय तरीकों में आधुनिकीकरण किया है लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र भी होते हैं क्योंकि इससे किस्म पर प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है।

चीते की खाल का निर्यात

9667. **श्री शशि भूषण :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबन्ध से पूर्व दिये गये वचनों को पूरा करने के लिये चीते की खाल के निर्यात की जो अनुमति दी गई थी वह निर्यात व्यापार नियंत्रण निर्देशिका में उल्लिखित नियमों के अनुसार साख-पत्र के बिल्कुल विरुद्ध थी अथवा निर्यातकों के पास रखे हुए माल का ध्यान रख कर वह अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्यातकों के अनुरोध को स्वीकार किये जाने से पूर्व निर्धारित अपील प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सतर्कता विभाग अथवा किसी अन्य एजेंसी से इस सारे मामले की जांच कराने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशी खरीदारों के साथ की गई निर्यात की अटल वचनबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करने पर निर्यातकों के पास रख हुए माल के विषय में गुंजाइश दी गई थी।

(ख) प्रतिबन्ध-पूर्व की वचनबद्धताओं के आधार पर निर्यातों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों में से दो मामलो, अर्थात मे० इंडो-फारेन कामर्शियल एजेन्सी, दिल्ली तथा मे० गोधवानी ब्रदर्स, दिल्ली के मामलों को प्रतिबन्ध लगाने से पहले की गई दृढ़ वचनबद्धताएं माना गया और इस प्रकार समुचित विचार करने के बाद ही अनुमति दी गई।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का लातीनी अमरीकी देशों का दौरा

9668. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातीनी अमरीकी देशों के साथ भारत का व्यापार तथा वाणिज्य बढ़ाने की

सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय उस महाद्वीप का दौरा कर रहा है ;

(ख) क्या यह प्रतिनिधिमंडल सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया गया है ;

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक सदस्य को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) जी हाँ ।

(ख) यह प्रतिनिधिमंडल सरकार के परामर्श से भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडलों के संघ द्वारा प्रायोजित किया गया है । विदेशी व्यापार मन्त्रालय के एक-एक अधिकारी को प्रतिनिधि-मडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की एक सूची संलग्न है ।[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** सख्या एल० टी० 1160/69]

(घ) रिजर्व बैंक को सलाह दी गई थी कि वह प्रत्येक सदस्य को उचित दर पर विदेशी मुद्रा दे और टैक्सी किराया, केवल आदि जैसे प्रासंगिक व्ययों के लिये भी विदेशी भुद्रा दे । प्रत्येक सदस्य को विदेशी मुद्रा देने के अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल के नेता को आतिथ्य के लिये 25,000 रुपये की राशि दी गई ।

स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना

9669. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 में सूती कपड़े के अत्यधिक दामों के गिरने के उद्देश्य से भारतीय सूती कपड़ा मिल महासंघ द्वारा अपनाई गई स्वैच्छिक मूल्य विनियमन की एक योजना सरकार के अनुमोदन से घोषित की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत, सामान्य किस्मों के कपड़े पर मिल द्वारा अधिकतम मूल्य की मोहर लगाने का विशिष्ट विवरण अगस्त, 1959 के मिलों के अपने दामों पर आधारित था, और नई किस्मों के कपड़े का उत्पादन करने के लिए 12 अक्तूबर, 1960 के संविहित परिपत्र संख्या पोल 2/2(21)/60 के अन्तर्गत मूल्यों के लिए पृथक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 12 अक्तूबर, 1960 के उपरोक्त परिपत्र जारी हो जाने के पश्चात कपड़ा आयुक्त द्वारा अपने प्रादेशिक निदेशकों को जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन जिलों से अपेक्षा की गई कि वे अपने उत्पादित प्रत्येक किस्म के कपड़े पर अगस्त, 1959 के मूल्यों की अपेक्षा एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि करने के अतिरिक्त और अधिक मूल्य न बढ़ायें। 1, जनवरी 1961 से यह व्यवस्था की गई कि आंतरिक खपत के लिए प्रत्येक मिल के उत्पादन 25% कपड़े को पोपुलर वेरायटीज (जनता वस्त्र) की संज्ञा दी जाये और इस सम्बद्ध में पंसद मिलों की होगी। यदि कोई भी घटक मिल इस योजना का उल्लंघन करे तो उद्योग अपनी ऐसोशिएशन द्वारा दोषी मिलों के विरुद्ध उपचारात्मक उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है। मिलों की 'स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना' के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर सरकार उनके विरुद्ध कोई कानूनी कायवाही नहीं कर सकती। नई किस्मों के उत्पादन तथा उनके मूल्यों को निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया वस्त्र आयुक्त के परिपत्र संख्या पोल 2/2 (21)/60 दिनांक 12.10.60 में दी गई थी, पर वह कानूनी परिपत्र नहीं था ;

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

9670. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी अपने नाम के अधीन एक और एकक के रूप में मिश्रित इस्पात संयंत्र को शामिल करना चाहती है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या पटसन उद्योग की कथित वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए पटसन मिलों के संसाधनों को पटसन से भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाना कब तक वांछनीय है;

(घ) बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के कितने तथा कौन-कौन से पट से भिन्न एकक हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

Statues of Indian Leaders and Patriots in Foreign Countries

9671. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Statues of Indian leaders and patriots have been installed in foriegn countries ;

(b) if so, the names of the leaders along with the countries where their statues have been installed ;

(c) whether some roads have also been named after the Indian leaders ; and

(d) if so, the names of the countries and the names of the leaders after whom the roads have been so named ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सहकारी कताई तथा बुनाई मिलों को ऋण

9672. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1967-68 और 1968-69 में विभिन्न सहकारी कताई तथा बुनाई मिलों से ऋणों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) मिलों के नाम क्या हैं और उन्होंने कुल कितनी राशि सहायतार्थ माँगी है; और

(ग) सरकार ने उनकी वित्तीय कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए कितनी सहायता दी थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०, बम्बई

9673. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

श्री जुगल मण्डल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड. बम्बई के निदेशकों तथा सर्वाधिक अंशों वाले प्रथम 50 अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल० टी० 1151/69]

कनिष्ठ सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में पदोन्नति

9674. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1966 में 105 इन्फैन्टरी बटालियन (टी० ए०) दिल्ली छावनी में कमांडिंग आफिसर के कार्यालय में जे० सी० ओ० के पद पर पदोन्नति के लिए इंटरव्यू लिया गया था;

(ख) इन्टरव्यू के लिए कितने तथा किन-किन व्यक्तियों को बुलाया गया था और एन० सी० ओ० में से जे० सी० ओ० के पद पर पदोन्नति के लिये कितने व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी; और

(ग) जे० सी० ओ० के पद नियुक्ति के लिए कमांडिंग आफिसर द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी क्या उन को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न पांच व्यक्ति इन्टर्व्यू के लिए बुलाये गए थे :—

(1) 12093579 हवलदार (स्टो०) टेकचन्द ।

(2) 2837281 हवलदार अर्जुन राम ।

(3) श्री के० आर० सन्त लाल सिंह ।

(4) श्री शारदा शरण शर्मा ।

(5) श्री रणजीत कुमार शर्मा :

इनमें से दो की कमांडिंग अफसर ने पदोन्नति की सिफारिश की थी ।

(ग) कमांडिंग अफसर द्वारा सिफारिश किये व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि वह उच्चत्तर विरचना द्वारा उपयुक्त नहीं विचारे गए थे ।

रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत को चिन्ता

9675. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 मई 1969 या उसके आस-पास फिर रूस सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत की चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में किन-किन बातों तथा मामलों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) क्या इस बीच रूस सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). पाकिस्तान को सोवियत रूस द्वारा हथियार देने के प्रश्न पर, सोवियत अधिकारियों के साथ कई बार विचार विमर्श हुए हैं ।

हमारा यह विचार है कि पाकिस्तान को रूस द्वारा हथियार देना तथा रक्षा संबंधी सामान्य आवश्यकताओं से अधिक सैन्य निर्माण करना, हमारी सुरक्षा के लिये खतरे हैं और इनसे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है ।

दूसरी ओर सोवियत रूस का विचार है कि कुछ अन्य देश भी पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, अतः रूस द्वारा हथियार देने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिये ।

हम सोवियत रूस के विचार को नहीं मानते ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

9676. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचार की ओर दिलाया गया है कि जापान का विचार भारत से लौह अयस्क आयात करने की बजाय रूस से लौह अयस्क का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क के आयात में जापान के रवैये में परिवर्तन हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के लौह अयस्क के निर्यात के लिये वैकल्पिक बाजार ढूंढने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). यह ज्ञात नहीं कि सदस्य महोदय का आशय किस विशेष समाचार से है । परन्तु यह एक तथ्य है कि अपनी लौह-अयस्क की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयत्न में जापान ने संभरण के अपेक्षाकृत नये साधनों, जैसे कि आस्ट्रेलिया तथा सोवियत संघ से माल लेना प्रारम्भ कर दिया है । इस विविधीकरण के संभवतः ये उद्देश्य हैं कि इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के इतनी भारी मात्रा में आयात के लिये कुछ ही साधनों पर निर्भर करने की बजाय अधिक संख्या में संभरणकर्ताओं से संपर्क रखना अच्छा है और बहुत से संभरणकर्ताओं में प्रतियोगिता से सौदेबाजी का लाभ भी प्राप्त हो सकता है ।

(ग) स्वेज़ नहर के बंद होने पर हुई कठिनाइयों के बावजूद हमारे लौह अयस्क के आयातों का 20% अंश यूरोप को भेजा जाता है । यूरोपीय देशों में हमारे निर्यातों में सुधार लाने तथा जापान के बाजार से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सरकार ने समेकित प्रयोजनाओं को प्रारंभ कर दिया है जिनमें खान विकास, सड़क तथा रेल परिवहन तथा गहरे स्थल वाले पूर्णतया यंत्रीकृत पत्तनों की व्यवस्था शामिल है ।

चलचित्रों का निर्यात

9677. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1969 तक गत तीन वर्षों में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड ने पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों को कितनी फिल्मों का निर्यात किया; और

(ख) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने उक्त देशों को जिन निर्माताओं को फिल्मों का निर्यात किया है उनके नाम तथा पते क्या हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1162/69]

फिल्मों का निर्यात

9678. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अब तक इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने रूस तथा कनाडा को कुल कितनी फिल्में भेजी हैं, उन फिल्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फिल्म का कितना मूल्य प्राप्त हुआ है;

(ख) उन निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी फिल्में इस कारपोरेशन द्वारा उपर्युक्त देशों को भेजी गई हैं;

(ग) वर्षवार तथा देशवार सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(घ) इस कारपोरेशन ने विदेशों को फिल्में निर्यात करने के लिए क्या शर्तें रखी थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). गत तीन वर्षों में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम नें कनाडा को किसी फिल्म का निर्यात नहीं किया । सोवियत संघ को फिल्मों के निर्यात के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है । [**पुस्तकालय में** रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 1163/69]

ब्रिटेन, सिंगापुर और ईरान को फिल्मों का निर्यात

9679. **श्री पर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1969 तक गत तीन व र्षों में ब्रिटेन, सिंगापुर और ईरान को कुल कितनी फिल्मों का निर्यात किया गया है तथा उन फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ख) उन निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी फिल्में उपर्युक्त देशों को भेजी गई हैं और सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा ब्रिटेन और सिंगापुर को भेजी गई फिल्में इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से भेजी गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिल्मों के निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा मीटर तथा मूल्य में रख जाते हैं । 1965,66, 1966-67, 1967-68 1968-69 (जनवरी '69 तक) में ब्रिटेन, सिंगापुर तथा ईरान को किये गये निर्यातों के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मात्रा लाख मीटर में

देश	1965-66		1966-67		1967-68		1968-69 (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
		मूल्य लाख रुपये में (अवमूल्यन उपरान्त)						
ब्रिटेन	7.4	28.3	4.9	13.3	12.3	74.2	6.9	48.
सिंगापुर	8.7	*47.1	*5.1	23.4	6.1	30.1	6.2	30.
ईरान	2.4	8.2	0.6	2.3	5.6	18.7	2.7	11.

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्मों का निर्यात

9680. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में कितनी फिल्में बनाई और विदेशों को भेजी :

(1) मैसर्स बसन्त पिक्चर्स, (2) मैसर्स गीतान्जली पिक्चर्स, (3) मैसर्स गुरुदत्त फिल्म्स, (4) मैसर्स ईगल फिल्मस, (5) मैसर्स शक्ति फिल्म्स, (6) मैसर्स फिल्मालय प्रा० लिमिटेड, (7) मैसर्स जैमिनी पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, (8) मैसर्स गोयल साइन कारपोरेशन, (9) मैसर्स श्री प्रकाश पिक्चर्स, (10) मैसर्स सिटीजन फिल्म्स, (11) मैसर्स विमल राय प्रोडक्शंस, (12) मैसर्स प्रसाद प्रोडक्शन्स (प्रा०) लिमिटेड, (13) मैसर्स राजकमल कला मंदिर (प्रा०) लिमिटेड, (14) मैसर्स महबूब प्रोडक्शन्स, (प्रा०) लिमिटेड, (15) सैसर्स सुबोध मुकर्जी प्रोडक्शंस, (16) मैसर्स ए० जी० फिल्म्स, (17) मैसर्स वाडिया मोवीटोन;

(ख) अब तक इनका किन-किन देशों में प्रदर्शन किया गया है और इन फिल्म कम्पनियों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) क्या इन फिल्म कम्पनियों द्वारा निर्मित फिल्में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड के द्वारा भेजी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

*मलाया संघ के आंकड़े भी शामिल हैं । सिंगापुर के लिए इस वर्ष के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नही हैं ।

(ख) वाडिया मोवीटोन, 136, चारन बांग रोड, बम्बई द्वारा निर्मित फिल्म 'तसवीर' (रंगीन) का भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा निर्यात किया गया।

(घ) भारतीय फिल्मों का निर्यात भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से ही करना अनिवार्य नहीं है।

फिल्मों का निर्यात

9681. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फिल्मों की कुल संख्या कितनी है जो अप्रैल, 1969 तक गत तीन वर्षों में निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा बनायी गई और विदेशों को भेजी गई हैं :—

(एक) राहुल थियेटर्स इण्डिया, बम्बई (दो) सागर आर्ट कार्पोरेशन (तीन) नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (चार) मैसर्स बी० नागा रेड्डी (पांच) रत्हन प्रोडक्शन्स (छः) मैसर्स फिल्म युग, बम्बई (सात) मैसर्स राजश्री प्रोडक्शन्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (आठ) सिप्सी फिल्म्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (नौ) मैसर्स बी० आर० फिल्म्स (दस) मैसर्स आर० के० फिल्म्स (ग्यारह) मैसर्स विशाल पिक्चर्स, बम्बई (बारह) मैसर्स डीलक्स फिल्म्स, बम्बई ; और

(ख) इन कम्पनियों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की और ये फिल्में किन-किन देशों में दिखाई गई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जानकारी नहीं रखी जा रही है।

कच्ची फिल्मों के कोटे का प्रयोग

9682. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1969 तक गत तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों को कच्ची फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया और प्रत्येक कम्पनी ने सरकार को कितनी राशि अदा कि :—(1) मैसर्स कबातड़ा आर्ट प्रोडक्शन, बम्बई (2) किशोर फिल्मस (3) किरन प्रोडक्शन्स (4) के० आसिफ प्रोडक्शन्स (5) के० प्रोडक्शन्स (6) के० पी के० मूवीज, बम्बई (7) कल्पना-लोक, बम्बई (8) कुन्दन फिल्मस, बम्बई (9) किशोर साहू प्रोडक्शन्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (10) मैसर्स लाईट एण्ड शेड, बम्बई (11) न्यू ओरियन्टल पिक्चर्स बम्बई (12) नारंग फिल्मस, बम्बई ;

(ख) किन शर्तों पर इनको फिल्मों का कोटा दिया गया ;

(ग) क्या उक्त फिल्म कम्पनियों ने इस कोटे का पूरा उपयोग किया ;

(घ) यदि नहीं, तो उनमें प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

कच्ची फिल्मों के कोटे का उपयोग

9683. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1969 तक गत तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों को कच्ची फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया और प्रत्येक कम्पनी ने सरकार को कितनी राशि अदा की : —

(1) मैसर्स गोल्डन फिल्मस, बम्बई (2) मैसर्स जी० आर० पिक्चर्स, बम्बई (3) मैसस गंगा चित्र, बम्बई (4) मैसर्स भप्पी सोनी प्रोडक्शन्स (5) मैसर्स होना फिल्मस, बम्बई (6) हिमालय फिल्मस, बम्बई (7) मैसर्स हितेन चौधरी प्रोडक्शन्स (8) इंटरनेशनल एन्टरप्राइजेज, बम्बई (9) मैसर्स हमेज मेकर्स बम्बई (10) मैसर्स जे० बी० प्रोडक्शन्स (11) मैसर्स जनता चित्र (12) मैसर्स जाय मुकर्जी प्रोडक्शन्स, बम्बई ;

(ख) किन शर्तों पर इनको फिल्मों के कोटे दिये गये और क्या उक्त फिल्म कम्पनियों ने इस कोटे का पूरा उपयोग किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

सिंगापुर में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

9684. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ समय से सिंगापुर को भारतीय निर्यात के लिये एक केन्द्र बनाने पर विचार कर रही है ताकि वहां पर एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या रुख है ; और

(ग) उस देश में प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम का स्वरुप क्या होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). संयुक्त उद्यमों की स्थापना के द्वारा भारतीय निर्यातों को विकसित करने के लिये सिंगापुर को एक केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु, सिंगापुर में विदेशी विनियोक्ताओं को प्राप्य प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं को भारतीय उद्यमकर्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है। भारत सरकार को सिंगापुर में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से दो को अनुमोदित कर दिया गया है और जा रहा है। ऐसे प्रस्तावों पर भारत सरकार की सामान्य नीति के अनु-

सार विचार किया जाता है जिसके अन्तर्गत भारतीय मशीनरी, उपकरण और तकनीकी जानकारी आदि के संभरण के बदले उनकी पूंजी के अंश प्राप्त करके भारतीयों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। किन्तु, सरकार ने संयुक्त उद्यमों के लिए उपयुक्त किसी विशेष उद्योग अथवा उद्योगों को नियत नहीं किया है। यह भारतीय उद्यमकर्ताओं के लिये है कि वे सभी संगत तत्वों और विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के मामले में भारत सरकार की समान्य नीति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उद्योगों को चुनें।

कजाकिस्तान और केरल के बीच सीधे सांस्कृतिक सम्बन्ध

9685. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ का कजाकिस्तान राज्य केरल सरकार के साथ सीधे सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। केरल सरकार और कजाकिस्तान गणराज्य सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान सीधा नहीं होता। बहर-हाल, कजाकिस्तान मे भारत-सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी और केरल की भारत-सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी के बीच इस तरह का आदान-प्रदान होता है।

(ख) और (ग). सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों ने भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है। ये सम्पर्क गैर-सरकारी मंत्री सोसाइटियों के माध्यम से हुए हैं।

भारत की क्षेत्रीय अखण्डता

9687. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हांगकांग में प्रकाशित 'गोल्डन गाइड टु साउथ ईस्ट इण्डिया' नाम की पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत की क्षेत्रीय अखण्डता के बारे में जिस पर नई दिल्ली से प्रकाशित 'स्टेटसमैन' के 2 मई, 1969 के अंक में सम्पादकीय टिप्पणी छपी है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकाशन का प्रवेश बन्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें ऐसे मानचित्र और लिखित टिप्पणियों हैं, जिनमें भारत की क्षेत्रीय अखण्डता पर उंगली उठाई गई है। ये प्रकाशक हमेशा भारतीय सीमाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, हालाँकि हमने उन्हें सही सूचना दे दी है।

कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही की असफलता

9688. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान किंशासा में ब्रिटेन के प्रथम राजदूत श्री आइन स्कॉट द्वारा लिखित ।। 'टम्बल हाउस—दि कांगो एट इण्डिपेंडेंस' नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है, जिसमें 1960-6 में काँगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही की असफलता के लिये स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया गया हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अखबार की खबरों के अनुसार यह बताया जाता है कि 'टम्बल हाउस' : दि कांगो ऐट इन्डेपेन्डेन्स' नाम की किताब के लेखक ने यह आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों ने श्री नेहरू और डा० एन्क्रूमा को प्रसन्न करने के लिए और इसकी असफलता को दोष ब्रिटेन पर मढ़ने के लिए कांगो में 1960-61 की संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई की रिपोर्ट को झूठा रूप दिया ।

(ख) अगर कोई लेखक अपनी निजी हैसियत से कोई विचार व्यक्त करता है तो उस पर सरकार अपनी कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करती ।

प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों को लाभ

'689. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना से सेना में शामिल किये गये व्यक्तियों को युद्ध में अथवा कर्त्तव्य पालन के दौरान मरने पर भी उपदान, पेंशन, अक्षमता पेंशन, इत्यादि लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उक्त लाभ न देने का क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । प्रादेशिक सेना के उन सेविवर्गक के आश्रित, कि जो युद्ध में या सक्रिय ड्यूटी पर रहते मारे जाएं, उन्हीं दरों पर और उन्हीं शर्तों के अन्तर्गत विशेष कुटुम्ब पेन्शनी अवार्डों की अदायगी के अधिकारी हैं, जो नियमित सेना के समतुल्य पदों के लिए लागू हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक सेना अधिनियम में प्रशिक्षण अवधि के सम्बन्ध में संशोधन

9690. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना में काम में लाये जाने वाले प्रतिरक्षा उपकरणों में विकास की प्रगति को ध्यान में रखते प्रादेशिक सेना की यूनिटों के प्रशिक्षण के लिए निश्चित दिन बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रादेशिक सेना अधिनियम में संशोधन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). प्रादेशिक सेना की यूनिटों के सेविवर्ग को दिये प्रशिक्षण की उपयुक्तता का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण दिनों की संख्या के अन्दर-अन्दर प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

चिकित्सा के लिये विदेशों में जाने वाले व्यक्ति

9691. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 16 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6587 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रम संख्या 41, 42, 43, 45 और 50 पर लिखे व्यक्तियों के पत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पार पत्र और पूर्व वृत्त के प्रयोजन के लिये उन व्यक्तियों द्वारा पारपत्र दिये गये हैं, अपेक्षित फार्म में पूरे पते भरना आवश्यक नहीं है ;

(ग) चिकित्सा के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों को पार-पत्र तथा "पी" फार्म जारी करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ;

(घ) क्या ऐसे मामलों में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं समझा जाता कि भारत में चिकित्सा की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इनके पते हैं :

41 श्री भारत सिंह चनुभाई छुदासमा, धोल, जामनगर, गुजरात।

42 श्री राम सहाय, पवेता, सवाई माधोपुर, राजस्थान।

43 श्री राम रतन कात्यायन, कम्यूनिस्ट पार्टी का कार्यालय, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश।

45 श्री चन्द्र शेखर सिंह, विधायक पटना, बिहार।

50 श्री वी० वी० भुल्लड़, गांव और डाकघर भुल्लड़, जिला अमृतसर, पंजाब।

(ख) आवेदक को पासपोर्ट के लिए आवेदन-पत्र पर पूरा पता देना होता है जिससे कि सत्यापन में सुविधा रहे।

(ग) और (घ). डाक्टरी चिकित्सा के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने से सम्बद्ध कोई विशेष नियम नहीं है। जो लोग डाक्टरी जाँच के लिये विदेश जाना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ से राजकीय चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा यथोचित रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र के साथ रिजर्व बैंक में आवेदन करना पड़ता है। रिजर्व बैंक इन आवेदन-पत्रों पर तभी विचार करता है जब उनके साथ इस तरह के चिकित्सा प्रमाण-पत्र हों। अगर प्रस्तावित

यात्रा का खर्च कोई विदेशी सरकार या संस्था उठा रही हो और ऐसा अतिथ्य सक्षम सधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो चाहे वह चिकित्सा के आधार पर ही हो, उसे इस तरह का चिकित्सा प्रमाण-पत्र छोड़ना आवश्यक नहीं है ।

(ङ) अगर यात्रायें विदेश यात्रा के लिये निर्धारित नियमों के अनुकूल हों तो इसे आवश्यक नहीं समझा जाता ।

मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस में सहायक कार्यकारी इन्जीनियर के पद के लिए विभागीय पदोन्नतियां तथा सीधी भर्ती

9692. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में अप्रैल, 963 से लेकर सुपरिन्टेंडेंट बिल्डिग-रोड एण्ड इलैक्ट्रिकल-मेकेनिकल ग्रेड प्रथम से सहायक कार्यकारी इंजीनियर बिल्डिग-रोड एंण्ड इलैक्ट्रिकल-मेकेनिकल के पद के लिये विभागीय पदोन्नतियां और सीधी भर्ती के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) यदि गत वर्षों में विभागीय कोटा नहीं भरा गया है, तो क्या उसे आगामी वर्षों में ले जाया जायेगा और क्या अब सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के उपर्युक्त पदों को विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नत करके भरा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं : —

वर्ष	विभागीय पदोन्नतिएं		सीधी भर्ती	
	बी०-आर०	ई०-एम०	बी०-आर०	ई०-एम०
अप्रैल 1963	72	12	19	42
1964	—	—	47	36
1965	—	—	13	5
1966	—	—	5	20
1967	16	6	33	9
1968	—	—	31	13
1969 (9-5-1969 तक)	—	—	17	5

(ख) सभी अपूर्ण स्थान, चाहे वह विभागीय कोटा में हो या सीधे भर्ती के कोटा में आगे ले जाये जाएंगे, और भर्ती के नियमों के अनुसार सीधे रंगरूटों और विभागीय उम्मीदवारो के बीच 75 : 25 की निष्पत्ति में पूर्ण किये जायेंगे ।

मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस में सहायक कार्यकारी इन्जीनियरिंग के पद पर पदोन्नति

9693. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बिल्डिग-रोड, इलैक्ट्रिकल-मेकेनिकल ग्रेड प्रथम के सुपरिन्टेंडेंट के पद से सहायक कार्यकारी इंजी-

नियर (बिल्डिंग एण्ड रोड्स, इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल) के पद पर विभागीय पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने के बाद भी अभी 434 स्नातक इंजीनियरों को, जिन्होंने बिल्डिंग एण्ड रोड, इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल के सुपरिन्टेंडेंट के रूप में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में 5 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कर ली है, सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर कब तक पदोन्नत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (भवनों, सड़कों के और इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल) सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड 1, ग्रेड 1 चार्ज होल्डर को पदोन्नत किये जाने के पश्चात ही केवल असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद को पदोन्नत किये जाने के लिये विचारे जा सकते हैं। इस समय 61 स्नातक इंजीनियर ग्रेड 1 चार्ज होल्डर का पद धारण किये हैं। असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद में प्रतिवर्ष प्रत्याशित 25 रिक्त स्थानों की औसत के विरुद्ध अन्य सुपरिन्टेंडेंटों, ग्रेड 1 चार्ज होल्डरों के साथ कि जो स्नातक न हों, 6 रिक्त स्थानों के विरुद्ध, मेरिट, तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये ग्रेड 1 चार्ज होल्डरों का विचारा जाना प्रत्याशित है।

मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस में सहायक इन्जीनियर का पद बनाया जाना

9494. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1968 में सेवा मुख्यालय के मुख्य इंजीनियर ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जी० आर० ई० एफ० आदि जैसे अन्य केन्द्रीय इंजीनियरी विभागों के बराबर लाने के लिये मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में दूसरी श्रेणी का सहायक इंजीनियर का राजपत्रित पद बनाने की प्रतिरक्षा मंत्रालय में सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). फरवरी 1968 में एम० ई० एस० में सहायक इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) की पुर: स्थापना के लिये एक प्रस्ताव रखा गया था। तदनु चार्ज होल्डर के स्थान की श्रेणी को द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) की उच्च श्रेणी में लाने का एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा गया है, और मामला सरकार के विचाराधीन हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४२ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4442

लन्दन में भारत के उच्चायुक्त ने मेल्स शाखा में हुए 5240 पौण्ड के गोलमाल की सूचना लंदन के लेखा-परीक्षा निदेशक को नवम्बर 1966 में दी थी। आवश्यक जांच के पश्चात दो कर्मचारियों, सर्वश्री जुगर सिंह तथा एन० सी० बोस, को बिना पेंशन तथा ग्रेच्युटि दिये पदच्युत कर दिया गया।

2. इसके इलावा कोंसलर विभाग की पासपोर्ट शाखा ने एक जालसाजी का मामला लेखा निदेशक लन्दन को सूचित किया गया। उस मामले की जांच की जा रही है।

3. यह सच नहीं है कि कांसनर विभाग के हिसाब-किताब की पिछले तीन वर्ष से जाँच-पड़ताल नहीं की गयी।

— —

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आय-कर की वसूली तथा राज्यों में वितरण करने के बारे में महान्यायवादी की राय

श्री मगलाथुमा डोम : (मवेलिक्करा) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के **पास** अग्रिम कर के रूप में 400 करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। क्या इस राशि को राज्यों में बटवारे के लिए दी जाने वाली राशि में जोड़ा जाएगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहा तक कुल राशि का सम्बन्ध है, वह 387 करोड़ रुपये तक पहुंची है जिसमें से 127.13 करोड रुपये वर्ष 1966-67 के है क्योंकि कानूनन इस वर्ष के करों का निर्धारण 1-4-67 तक पूरा होना था। इसलिए 259.87 करोड़ रुपये शेष बचे।

इस धन के बटवारे का मामला वित्त-आयोग को सौंपा गया है।

श्री गाडिलिंगन गौड (कुरतूल) : क्या यह सत्य है कि वित्त-आयोग ने, अग्रिम कर को बटवारे से पृथक रखने की पद्धति का विरोध किया है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने सूचना दी है, कि सरकार द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र ठीक नहीं थे क्योंकि इनसे राज्यों के विकास में बाधा पड़ी। क्या सरकार 387 करोड़ रुपये को बटवारे की निधि में जोड़ देगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : इन दो वर्षों की बांटने योग्य निधि, पुरानी पद्धति के अनुसार, 80 करोड़ तथा 90 करोड़ रुपये बैठती है। परन्तु यह मामला वित्त-आयोग को सोंप दिया गया है। वित्त-आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कण्डिका 39 में कहा है कि इससे राज्यों के आय के साधनों एवं स्रोतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री जी० विश्वम्भरन : केन्द्रीय सरकार की यह नीति रही है कि राज्यों को विकास से होने वाली आय के स्रोतों से वंचित रखा जाये। अग्रिम करों को पृथक रखना उसी नीति का एक भाग है। राज्यों ने, जिनमें कांग्रेसी राज्य भी सम्मिलित हैं, केन्द्र के इस व्यवहार की निन्दा की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बारे में निर्णय 1948 में लिया गया था, जिससे प्रान्तीय सरकारें सहमत थीं। उस समय सभी प्रान्तों में कांग्रेसी शासन होने के कारण स्थिति भिन्न थी। क्या मंत्री महोदय केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे में संवैधानिक उपबन्धों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल को नियुक्त करेंगी, जो इस बारे में संशोधन प्रस्तुत कर सके।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : किसी निकाय की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता। विषय पर प्रशासन सुधार केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों पर विचार कर रहा है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : आप राज्य के मुख्य मन्त्री रहे हैं। अतएव आप मेरे साथ सहमत होंगे कि राज्यों पर बड़ी-बड़ी जिम्मेवारियां लादी गई हैं परन्तु उनकी वित्तीय स्थिति सीमित है। केन्द्र की गलत नीतियों के कारण राज्यों के भार और भी बढ़ जाते हैं। मेरे राज्य को 5 वर्ष में 90 करोड़ रुपया महंगाई भत्ते पर व्यय करना पड़ा है जबकि उसकी चौथी योजना केवल 200 करोंड़ रुपये की है।

राज्यों को, विशेषतः गैर-काँग्रेसी राज्यों को वित्तीय दृष्टि से गिराने की प्रवृति चली आ रही है, जैसे, परादीप पत्तन के केन्द्र द्वारा लिए जाने के पश्चात भी, 15.1 करोड़ रुपए की रकम के बदले में उड़ीसा सरकार को न दिया जाना उसी प्रकार राज्य सरकार को खनिज लोहे पर स्वत्व शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या सरकार राज्यों को उनके भाग का धन ब्याज सहित चुकाने की सोच रही है, क्योंकि 16 वर्ष से उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा गया है।

श्री मोरारजी देसाई : खनिज लोहे का मामला केवल उड़ीसा से सम्बन्धित नहीं अपितु सभी राज्यो से सम्बन्ध रखता है। कितना स्वत्व शुल्क दिया जाये यह नीति का प्रश्न है और इसमें समय-समय पर वृद्धि होती रही है और ऐसी नीति गैर-कांग्रेसी सरकारों के बारे में अपनाई जाती हो, सो बात नहीं।

परादीप-पत्तन केन्द्र द्वारा इसी शर्त पर लिया गया था कि कोई धन उसके बदले में नहीं दिया जाएगा।

यदि अग्रिम-कर पहले दे दिया जाता, तो कुछ अन्य समाजोयन कर दिये जाते। वित्त आयोग की इस बारे में सिफारिशे प्राप्त होने के पश्चात ही निर्णय लिया जाना चाहिए। इस बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सभी राज्यों का 1968 तक यही मत था। इस बारे में गैर-काँग्रेसी एवं कांग्रेसी सरकारों ने लिखा है।

श्री दिनकर देसाई : महान्यायवादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार का अग्रिम कर को बटवारे योग्य निधि में न जोड़ना सर्वथा असंवैधानिक है। इस प्रकार बीस वर्षों तक केन्द्र ने राज्यों को उनके अधिकार से वंचित रखा है। इसके होते हुए केन्द्र-राज्य सम्बन्ध भला कैसे सुधर सकते हैं ?

जब राज्यों ने केन्द्र से शिकायत की तब इस सामले की जांच क्यों नहीं करवाई गई। राज्यों के साथ नगर पालिकाओं जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें स्वायत्त राज्य नहीं समझा जाता। किन राज्यों ने शिकायत की थी और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कानूनी परामर्श क्यों नहीं लिया। अन्तिम मूल्यांकन में 15 वर्ष लग जाते हैं उसे घटाने की दशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सरकार ने अग्रिम कर को बटवारे की निधि में जोड़ना स्वीकार कर लिया है। इससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे खेद है की सदस्य महोदय ने अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। 1968 में बिहार महाराष्ट्र एवं केरल ने वित्त-आयोग को, अग्रिम करों में अपने भाग के

लिए लिखा था। उस समय इस मामले को लिया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मत है कि उसमें संदेह की गुंजाइश है। महान्यायवादी को मामला सौंपा गया और उसका मत है कि राष्ट्रपति के आदेश से कार्यवाही की जा सकती है। अग्रिम करों को हिसाब में नहीं लिया गया, ऐसी बात नहीं। वास्तव में कर-मूल्यांकनों को अंतिम रूप मिलने पर उसे हिसाब में ले लिया जाता है। हमने इस मामले को वित्त आयोग को सौंपा है कि अग्रिम कर का कितना भाग राज्यों में बांटा जाये।

भारत सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछा गया है। भारत सरकार के पास जो भी धन उपलब्ध है उसमें से ही राशि राज्यों को दी जायेगी, और उस दशा में राज्यों को दी जाने वाली राशि कम होगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

"पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन" तथा "पिछड़े क्षेत्रों की पहचान" सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुपों के प्रतिवेदन

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :-

(1) "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों" सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप का प्रतिवेदन।

(2) "पिछड़े क्षेत्रों की पहचान" सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप का प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 1138/69]

चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) दूसरा संशोधन नियम

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से चलचित्र अधिनियम, 1958 की धारा 8 उप-धारा (3) के अधीन चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) दूसरा संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1011 (अंग्रेजी संस्करण) और जी०एस०आर० 1012 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 1139/69]

दक्षिण में संसद् सत्र के बारे में संसद सदस्यों की समिति का प्रतिवेदन

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं दक्षिण में संसद सत्र के बारे में संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1140/69]**

Certified Accounts of Coffee Board and Audit Report thereon Notification under Essential Commodities Act

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : Sir, I beg to lay following papers on the Table of the House :—

(1) Acopy of the Certified Accounts of the Coffee Board for the 1967-68 and the Audit Report thereon. [*Placed in Library See.* No. 1141/69]

(2) (i) A copy of the Cotton Textiles (control) Third Amendment Order, 1968, (Hindi and Hindi Versions) published in Notification No. S. O. 2694 in Gazettee of India dated the 24th July, 1968, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act 1955.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification [*Placed in Library. See* LT—1142/69]

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही-सारांश

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई नवीं और दसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखती हूँ ।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 7 मई, 1969 को पास किये गये सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 12 मई, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य-सभा ने अपनी 6 मई, 1969 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली कार्याविधि के लिए लोक-सभा की लोक लेखा समिति सहयोजित करने के लिये वह राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्देशित करे और उक्त समिति के लिए निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम सूचित भी किये है : —

(1) डा० जेड० ए० अहमद

(2) श्री ए० पी० चटर्जी

(3) प्रोफेसर शान्तिलाल कोठारी

(4) श्री एस० एस० मरिस्वामी

(5) श्री जी० एच० वी० मोमिन

(6) श्री एन० आर० मुनिस्वामी

(7) श्री तारकेश्वर पांडे

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी 6 मई, 1969 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली कार्याविधि के लिये लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सहयोजित करने के लिए वह राज्य सभा से पांच सदस्यों को नाम निर्देशित करे और उक्त समिति के लिए निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम सूचित भी किये हैं :—

(1) श्री नन्द किशोर भट्ट

(2) श्री गोडे मुराहरि

(3) श्री भभानी चरण पटनायक

(4) श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

(5) श्री दत्तोपन्त थेंगड़ी ।

———

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उनके नाम के सामने लिखे समय के लिए सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये : —

(1) श्री कमल नयन बजाज

(2) श्री महादेवप्पा रामपुरे

(3) श्री वीरेन्द्र शाह

(4) श्री वी० वाई० तामस्कर

(5) श्री चपल कान्त भट्टाचार्य

(6) श्रीमती सुचेता कृपलानी

(') श्री नारायण दाण्डेकर

(8) श्री आर० के० बिड़ला

(9) हिज हाइनेस महाराज! बृजेन्द्र सिंह भरतपुर

(10) श्री एस० आर० राणे ।

मैं यह समझता हूँ कि सभा उक्त समिति की शिफारिशों से सहमत है ।

कुछ सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जायेगी ।

———

गत सामान्य निर्वाचनों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्त सूचना विभाग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REPORT OF INTELLIGENCE BUREAU ON USE OF FOREIGN MONEY IN THE LAST GENERAL ELECTIONS AND FOR OTHER PURPOSES

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह एक लम्बा वक्तव्य है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गत सामान्य निर्वाचनों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्तचर विभाग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी० 1143/69]

———

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के बारे में आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिये गये उत्तरों को स्पष्ट करने के लिये

STATEMENT CLARIFYING REPLIES TO HALF AN HOUR DISCUSSION FERTILIZERS AND CHEMICALS, TRAVANCORE LTD.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के बारे में 23 अप्रैल 1969 को आधे घण्टे की चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि मैं उनकी यह माँग मानने को तैयार नहीं हूँ कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया जाये विशेषकर जबकि मामला संसदीय समिति के सामने हो । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह मामला सरकार ने नहीं सौंपा है बल्कि कम्पनी के मैनेजिंग डारेक्टर के खिलाफ कुछ शिकायतें मिल जाने पर उसने स्वयं ही जांच शुरू की है

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक

ENLARGEMENT OF APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT BILL

सदस्य की प्रवर समिति के लिये निर्वाचन

श्री आनन्द नारायण मुल्ला (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा आपराधिक मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री के० हनुमन्तैया के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, श्री तुलसीदास दासप्पा को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा आपराधिक मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिये विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री के० हनुमन्तैया के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, श्री तुलसीदास दासप्पा को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

— — — —

राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक

PRESIDENT (DISCHARGE OF FUNCTIONS) BILL CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री चव्हाण द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे । कल मैंने राष्ट्रपति की सिफारिशों के बारे में अपना निर्णय दिया था । मुझे जो माननीय मंत्री से पत्र मिला है उसके अनुसार उक्त विधेयक पर लोक सभा में विचार किये जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to raise a point of order on the basis of some new points.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने कल अपना निर्णय दिया था । अब इस बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं । अब मैं इस प्रस्ताव पर मतदान लेना चाहता हूं ।

प्रश्न यह है : —

"कि कुछ आकस्मिक परिस्थतियों में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैंने आपके पास चार बातें विरोध करने के लिए लिख कर भेजी थी। आपने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं बताना भूल गया था। जो आपत्तियां श्री नाथपाई ने उठाई है वे वास्तव में बड़ी मजेदार है। सभा में उन पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार श्री मधु लिमये ने जो बातें उठाई हैं, उन पर भी सभा विचार करेगी और निर्णय करेगी।

श्री नाथपाई : आपकी यह बात तो मुझे स्वीकार्य है कि उन पर सभा निर्णय करे। परन्तु मैंने यह सुझाव दिया था कि अन्य मामले वैधानिक पक्ष पर महान्यायवादी को भाषण देने के लिए सभा में बुलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इस बात पर चर्चा के दौरान ध्यान दिया जायेगा।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई के विधेयक के बारे में मुझे यह कहना है कि यह प्रस्ताव आया है कि उस पर चर्चा अगले सत्र तक के लिए स्थगित की जाये। यदि सभा इसे स्वीकार करती है तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : किन कारणों से यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the existing circumstances the Adjournment Motion can not be brought. I strongly oppose it.

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुरामैया।

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्री नाथपाई का प्रस्ताव एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। अतः उसके लए केवल चार घंटे पर्याप्त नहीं हैं। इसको नयी संयुक्त समिति को सौंपा जाना है। संयुक्त समिति में उस पर नयी दृष्टि से विचार किया जायेगा। इन्हीं कारणों से मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है। मैंने कुछ प्रतिपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की है।

श्री नाथपाई : अभी तो मैंने अपना प्रस्ताव पेश भी नहीं किया है। अभी स्थगन प्रस्ताव की बात करना ही व्यर्थ है। मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

> "कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद 'कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, विचार किया जाये', जो 21 फरवरी, 1969 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दिये बिना ही, यह स्थगित किया जा सकता है। अतः सभा का समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री रघुरामैया : मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि श्री नाथपाई द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव पर "कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद 'कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये' जो 21 फरवरी, 1969 को स्थगित किया गया था अब पुनः आरम्भ किया जाये" चर्चा को अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाये ।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम तो यह समझ रहे थे कि दो प्रस्ताव साथ-साथ प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनमें एक चर्चा के स्थगन के लिए होगा और दूसरा इस विधेयक को दुबारा संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिये होगा । परन्तु मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया था कि उनके मन में क्या है । क्या सरकार की राय यही है कि यह विधेयक पुनः संयुक्त समिति को सौंपा जाये । हमने यह बात स्वीकार की थी कि विधेयक को समिति को पुनः सौंपा जाये ? क्या सरकार का इस विधेयक का समर्थन करने का विचार है । यदि सरकार इसका समर्थन नहीं करना चाहती और केवल हमें स्थगन के लिए सहमत करना चाहती है तो हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं । इस बार यह सोचकर संयुक्त समिति में सम्मिलित हुए थे कि सरकार और अन्य सभी दल इस विधेयक का समर्थन करेंगे । इस सभा के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना मैं अच्छा नहीं समझता । मेरी राय में सरकार हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है । इसलिए हमारे सामने इस प्रस्ताव का विरोध करने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Parliamentary Affairs Minister's motion to adjourn the motion moved by Shri Nath Pai is incomplete contravention of the rules. Dates were fixed for discussion on this Bill on three occasions but they were changed without consultating us. The Business Advisory Committee fixed this new date and allotted four hour-for discussion on it. I want to know as to what is the justification for making this adjourf ment motion. After the election of Shri Patil, we are seeing this change in the stand o this Government on this Bill. Shri Patil had said in a speech before a rotary club in Bombay that he was totally opposed to the principle underlying this Bill. The Government should make a confession that they have changed from the position that they have taken earlier.

What is this that they change their position every now and then ? We want a clarification from them about this Bill and the principle underlying it.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे श्री रंगा द्वारा दिये गये वक्तव्यों से आश्चर्य हुआ है । यदि कोई षड़यन्त्र रचा गया है तो वह हमारे परामर्श से नहीं अपितु स्वतन्त्र दल के परामर्श से रचा गया है । हम तो चाहते थे कि इस विधेयक पर इस सभा में बहस हो और इसे पारित कर दिया जाये । अब उनका प्रस्ताव है कि इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । यह एक सुविदित परम्परा है कि जो व्यक्ति विधेयक के सिद्धान्त के विरुद्ध हों उन्हें प्रवर समिति में मनोनीत नहीं किया जाना चाहिये । परन्तु एक प्रस्ताव में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी हैं जो इस विधेयक के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । अब सरकार का प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक के लिये चार घण्टे की चर्चा काफी नहीं होगी । वे चाहते हैं कि इसे अगले सत्र के लिये स्थगित

कर दिया जाये ताकि इस पर पूरी तरह से विचार हो सके। यदि इसे इस उद्देश्य से स्थगित किया जा रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi—Sadar): When the Business Advisory Committee fixed 4 hours for this Bill, Government could have argued that 4 hours would not be enough for discussion on such an important Bill. But this seems to be only an excuse. After the election of Shri Patil balance of power has changed and the Congress Party wants to have a rethinking on this issue. If it is so they should make it clear that they want postponement for this purpose.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर इस सभा में विस्तार से वाद-विवाद होना चाहिये। इसलिये मेरा विरोधी सदस्यों से निवेदन है कि वे इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं तो समझता था कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके इस विधेयक को पास कर दिया जायेगा परन्तु सरकार के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने इस विधेयक को पुन. प्रवर समिति को सौंपने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें प्रवर समिति के सदस्यों में ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल किये गये हैं जो इस विधेयक के सिद्धान्त के विरुद्ध है। शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। यदि इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव है तो उसे मैं मान सकता हूं और यह नियमों के अनुकूल भी होगा। परन्तु इसे पुनः प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है और उचित समय पर इस बारे में हम अपनी आपत्ति व्यक्त करेंगे।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो सरकार से केवल यह आश्वासन चाहता हूँ कि अगले सत्र में जब इस पर चर्चा होगी, कोई मंत्री महोदय इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव नहीं लाएगे।

श्री हुमायूं कबिर (बसिरहाट) : मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी से सहमत हूं कि संसद् कार्य मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये। जब इस सभा, तथा प्रवर समिति में भी, कड़ा मतभेद रहा है तो कोई कारण नहीं है कि इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को न सौंपा जाये। मैं तो सरकार को ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए बधाई देता हूँ।

श्री मुकर्जी ने कहा है कि इसे पुनः प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव असंवैधानिक है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है पहले भी अनेक बार विधेयकों को दूसरी बार प्रवर समिति को सौंपा गया है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि इस समिति में ऐसे सदस्यों के नाम रखे गये हैं जो विधेयक से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। उनकी यह आपत्ति भी पूर्णतया वैध नहीं है क्योंकि जब विधेयक का पूरा तथा संक्षिप्त नाम उन्हें स्वीकार्य है तो यह नियमों के अनुकूल ही है।

Shrf A. S. Saigal (Bilaspur): I can understand the motion for adjournment of of discussion till the next session to allow more time for discussion on the Bill. But the proposal of sending the Bill again to the Select Committee is against our conventions and is not in order.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय सभा के समक्ष दो प्रस्ताव है : एक श्री नाथपाई का प्रस्ताव (मूल प्रस्ताव) और दूसरा इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव है । मेरा कहना यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव नकारात्मक स्वरूप का है । मैं इससे सम्बन्धित नियम पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ—अर्थात नियम 44 चूंकि यह मूल प्रस्ताव पर एक संशोधन है ।

"संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्थापित किया जाये ।"

वह संशोधन पेश नहीं किया जायेगा जिसका नकारात्मक प्रभाव होता है । अतएव मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश करता हूँ । नियम 340 में यह उल्लिखित है कि :

"किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये ।"

मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं मंत्री महोदय का प्रस्ताव नकारात्मक स्वरूप का है ।

श्री गु० सिं० ढिल्लो (तरनतारन) : मैं श्री नाथ पाई के विधेयक का विरोधी नहीं हूँ । परन्तु किसी सदस्य पर, जिसने विधेयक को संयुक्त समिति को पुनः सौंपने का प्रस्ताव किया है, आक्षेप लगाना गलत और अनुचित है । साथ ही उस सदस्य पर भी आक्षेप लगाना अनुचित है जो कि नई संयुक्त समिति का सदस्य हो सकता है । हमारे लिये विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करना ठीक रहेगा इसमें मतभेद नहीं होने चाहिये ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : अगर चार घंटे इसके लिये पर्याप्त नहीं है तो हमें इस पर वाद-विवाद आरम्भ कर देना चाहिये और चार घंटे के पश्चात इसको अगले सत्र के लिये स्थगित कर देना चाहिये । तब यह संशोधन पेश किया जा सकता है ।

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैंने सभा को बता दिया था कि किन परिस्थितियों में सरकार यह कदम उठाने को मजबूर हुई थी । यह मैंने पहले ही बता दिया था कि इस विषय के लिये चार घटे पर्याप्त नहीं है । यह केवल एक कारण है । दूसरी बात, यह विषय संवैधानिक महत्व का है अतएव इसको अधिक समय देने में कोई हानि नहीं है क्योंकि तब अधिक लोग इस पर विचार कर सकते हैं । वास्तव में जब भी संविधान में संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

यह सच है कि साधारणतया हमें सब दलों को इसके बारे में बताना चाहिये । विभिन्न दल जानते हैं कि मैं इसके लिये दोषी नहीं हूँ । मैंने उनका हमेशा ध्यान रखा है । आज राज्य सभा में मेरा पहला प्रश्न था अतएव मैंने उप सचेतक से कहा कि वे विभिन्न विपक्षी नेताओं से मिलें । उन्होंने उन सभी नेताओं से सम्बन्ध स्थापित किये जिनसे वे कर सकते थे । वैसे मेरा ध्येय किसी विपक्षी नेता को इस बात से अलग रखना नहीं था । यह एक महत्वपूर्ण मामला है और हम सब को इस पर विचार करना चाहिये । इन सब बातों को देखते हुये मेरा कहना है कि श्री नाथ पाई के प्रस्ताव को अगले सत्र के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने जो कारण बताये हैं वे नितांत अपर्याप्त हैं, एक ओर तो वे कहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है, परन्तु दूसरी ओर वे इस पर वाद-विवाद नहीं करना चाहते। हम इस पर वाद-विवाद करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है परन्तु 18 महीनों से वे कुछ नहीं कर पाये हैं तो अब क्या करेंगे, अतएव मेरा निवेदन है कि आप उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दीजिये और श्री नाथ पाई के प्रस्ताव पर वाद-विवाद आरम्भ कर दीजिये।

श्री रघु रामैया : वे पूछ रहे हैं कि अगर अधिक समय की आवश्यकता हैं तो इसको अभी क्यों न आरम्भ किया जाये। परन्तु वे इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। हमें इस पर अधिक वाद-विवाद करने व सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि यह थोड़ें समझ का काम है। मैं नहीं जानता था कि इस पर कुछ मतभेद हैं, मैं अभी सभा के मतदान के लिए इसे नहीं रखूंगा। वे इस पर सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व वाद-विवाद कर सकते हैं। मैं इसको मध्याह्न भोजन के पश्चात ही मतदान के लिये रखूंगा।

श्री मी० रु० मसानी : आप इसे सभा में मतदान के लिये रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब रघु रामैया का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह हैं कि :-

> "कि श्री नाथ पाई द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद 'कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, विचार किया जाये' जो 21 फरवरी, 1969 को स्थगित किया गया था अब पुनः आरम्भ किया जाये" चर्चा को अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
184	39
Ayes.	Noes.
184	39

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज कर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty minutes past fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 33 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।

The Lak Sabha reassembled after lunch at thirty-three past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The office of the President is vacant and the Vice-President is acting in the capacity of the President. Then will you issue a directive to the All India Radio not to mention Shri V. V. Giri as President is higher broadcasts. It goes against the decision of the Speaker. You please ask the Minister for Parliament Affairs to direct the All India Radio that in future. The reference of Shri Giri should be given as Vice-President Acting as President and not mere President. There is no President and there is vacancy. You please do the needful other wise it will amount to contempt of this August House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या यह ठीक है या गलत आज सबेरे अध्यक्ष महोदय ने जो संदेश भेजा था उसमें उनका वर्णन "राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने वाला उपराष्ट्रपति" बताया गया था। जहां तक आकाशवाणी के कथन का संबंध है, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री रघु रामैया : परम्परा यह रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य बात उठाना चाहता है तो वह आपको लिखकर सूचित करे और तब हमें इसके लिये पूर्वसूचना मिलती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये कोई पूर्वसूचना नहीं थी और न उचित प्रक्रिया ही अपनाई गई, मंत्री महोदय ने इस बात को ध्यान में रख लिया है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

— ——

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—जारी

COMPANIES (AMENDMENT) BILL —*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कंपनी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : हम यह देख रहे हैं कि जब भी सभा मध्यान्ह भोजन के बाद पुनः समवेत होती है तो बिना पूर्वसूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं है और इसको रोकना बहुत ही कठिन है क्योंकि अधिकांश माननीय सदस्य, जिसमें वे भी शामिल हैं, अपने पर संयम नहीं रख पाते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री नाथ पाई के विधेयक को सभा में नहीं लाया गया है। हममें से कुछ कंपनी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करना चाहते थे। चूंकि हमने सोचा था कि

श्री नाथ पाई का विधेयक पहले लाया जायेगा अतएव: हममें से अनेक, जो उस विधेयक पर बोलना चाहते थे, यहां नहीं है। अतएव मेरा अनुरोध है कि इस पर खपडवार विचार करने के लिए समय नियत किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही इस विधेयक के लिये समय बढ़ा दिया है मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। जिन्होंने सामान्य वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है, उनको खण्डवार विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी संसद और चण्डीगढ़ के सचिवालय के समक्ष धरना दे रहे हैं यह 8,500 कर्मचारियों का मामला है जिन्हें कि वेतन नहीं मिला है। इसी कारण वे ऐसा करने को मजबूर हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इस मामलों को निबटा लिया है। अतएव: मैं पुन: इस पर चर्चा नहीं करना चाहता।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): Every member try to take much time after the lunch hour. I want to know what are the Procedure or rules under which you allot time to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी सदस्य को पूर्व सूचना दिये बिना मध्याह्न भोजन के पश्चात असंगत प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, परन्तु हर समय तो मना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कभी 2 कुछ मामले सदस्यों के ध्यान में आते हैं और कभी 2 हमें अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है।

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : विपक्षी दल कांग्रेस का मजाक करना चाहते हैं तथा वे कुछ नेताओं के चरित्र के प्रति आक्षेप उठाना चाहते हैं। यह एक बहुत गलत बात है। अगर ऐसा चलता रहा तो इस दिशा में विपक्षी दल उन्नति नहीं कर सकेंगे और कोई भी संसदीय प्रजातंत्र कार्य नहीं कर सकती है।

हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह राजनीतिक दलों द्वारा कम्पनियों से चन्दा न लेने के संबंध में है। अगर खुले आम चन्दा देने को रोकना है तो अन्य तरह के चन्दा जमा करने के तरीकों को भी रोकना चाहिये। अगर हम चुनावों में काफी धन व्यय करेंगे तो गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। ऐसा देखा गया है कि इस पर केवल अमीरों का ही एक धिकार है। जिनके पास धन हैं, वह चुनाव लड़ता है और गरीब ऐसा नहीं कर सकता है.

दूसरा, अधिकाश राजनीतिक दल विदेशों से चंदा प्राप्त कर रहे हैं। अगर देश में प्रजातंत्र को जीवित रहना है तो इस प्रथा पर पाबंदी लगानी चाहिए। इस धन का प्रयोग राजनीतिक दल चुनाव लड़ने तथा अपने संगठन को दृढ़ बनाने के लिये प्रयुक्त करते हैं।

कई दल जीप व अन्य वाहन भी प्राप्त करते हैं। एक गरीब उम्मीदवार उनसे तब किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों तो यह सब बन्द होनी चाहिए।

यह बहुत अच्छी बात है कि इस विधेयक के द्वारा मैनेजिंग ऐजेंसी की प्रथा को समाप्त किया जा रहा है एकाधिकारी जांच आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि मैनेजिंग ऐजेंसी की प्रथा से धन कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाता है। वस्तुतया तो यह है कि यह प्रथा इसी ध्येय से बनाई गई थी। अतएव इस बात का स्वागत है कि इस विधेयक के द्वारा मैनेजिंग एजेंसी की प्रथा को समाप्त किया जा रहा है।

मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। पहला, हमारे देश की राजनीति में जो धन सम्बन्धी बुराई आ गई है, उसे मिटाना है। दूसरा, कुछ व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक शक्ति अथवा धन के केन्द्रीकरण की जो प्रक्रिया चल पड़ी हैं, उसे रोकना है, इसके पीछे इतिहास है। हम जानते ही हैं कि सन् 1960 में जब कम्पनी अधिनियम में संशोधन, जिसके द्वारा कम्पनी के चन्दा की राशि को सीमित करना था, लाया गया था तो इसका विरोध किया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि "मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जो यह कहेगी कि हमें चुनाव के लिए धन नहीं चाहिए।" उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होगी और उन्हें यह धन व्यापार गृहों से ही प्राप्त हो सकता है।

आचार्य कृपलानी ने इसका प्रतिरोध किया था। यह विधेयक जनता के दबाव के कारण लाया जा रहा है। राजनीतिक दलों को यह चन्दे लोकहित में नहीं दिया जाते। परन्तु इससे उद्योगपति सरकार से एवं वित्तीय संस्थाओं से करोड़ों रुपए का लाभ उठाते हैं। यदि सरकारी संस्थाओं द्वारा बड़े उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों को भी सम्मिलित कर लिया जाये तो राजनीतिक दलों को दिए गये चन्दे उसके अनुपात में तुच्छ ठहरते हैं। वे सदा शासक दल को चन्दे देते हैं परन्तु अब कांग्रेस को ज्ञात है कि शासक दल के रूप में उनका एकाधिकार नहीं रहा। अब धीरे-धीरे कांग्रेस का भाग कम होता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

जैसा कि श्री भण्डारे ने कहा है कि चन्दों पर रोक लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसके लिए न्यास तथा अन्य संस्थाएं विद्यमान हैं जोकि इस विधेयक के सीमा क्षेत्र में नहीं आते। अमरीका तथा इंगलैंड में भी ऐसी प्रथाएं हैं परन्तु इससे वहां की राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। चन्दे केवल चुनावों के लिए ही नहीं दिये जाते अपितु कुछ राजनीतिक दलों के संगठनों के संचालन के लिए भी दिए जाते हैं। उद्योगपति इससे राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं।

गृह-मन्त्री ने सभा पटल पर एक विवरण रखा जिसमें बताया गया है कि विदेशी धन का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों का मत है कि विदेशी वित्तीय सहायता इतनी कम नहीं कि उसकी उपेक्षा की जा सके। परन्तु सरकार ने हम पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं समझी। ब्यूरों के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि राजनीतिक संस्थाओं द्वारा ली गई विदेशी सहायता का पिछले आम चुनावों में उपयोग किया गया था। शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भी विदेशी संस्थाएं वित्त प्रदान करती रही हैं। निर्वाचन एवं योजना पर

भी विदेशी प्रभाव पड़ा है। हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधान सेनापति के चयन में भी प्रभाव डालने की चेष्टा की जाती है। सुना गया है कि हमारे भावी राष्ट्रपति के बारे में भी किसी महान विदेशी नेता ने संकेत दिया था। इन तथ्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इस बुराई का सर्वथा उन्मूलन करना अब आवश्यक हो गया है।

प्रबन्ध एजेंसी पद्धति को समाप्त करने के बारे में गठित समिति एवं कम्पनी बिल पर स्थापित संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों पर समुचित निर्णय नहीं लिया गया। वे एक-एक करके उसे समाप्त करने की बात कहते हैं परन्तु इससे तो उन्हें स्वेच्छाचारिता का अवसर मिल जाता है। इस बारे में हमारा उद्देश्य धन को एकत्र होने से रोकना ही है। हमारे संविधान में धन के कुछ व्यक्तियों के हाथ में संचित होने के विरुद्ध स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं प्रबन्ध ऐजेंसी पद्धित से धन का कुछ व्यक्तियों के पास संग्रह बढ़ता गया है।

श्री म० रु० मसानी : धन संग्रह लाइसेंस परमिट राज से बढ़ा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रबन्धक ऐजेंसी के कारण ही लाइसेंस परमट राज की बुराई बड़ी है। आशा है कि सरकार इस विधेयक पर ध्यान देगी तथा पास होने के पश्चात् उसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ कदम उठाएगी।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : कम्पनियां दलों को धन देने को उत्सक नहीं होती जब तक कि उन्हें इसकी आवश्यकता अनुभव न हो। आवश्यकता होने पर वे कांग्रेस को तथा श्रमिक संघों को भी धन देती हैं। परन्तु जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें सम-समय पर राजनीतिज्ञों अधिकारियों से सम्पर्क बना रखना पड़ता है तथा उन्हें अपने व्यापारिक हितों में संतुष्ट रखन पड़ता है।

प्रबन्ध ऐजेंसी पद्धति से धन का कुछ व्यक्तियो के हाथ में संचय नहीं होता।

एकाधिपत्य जाँच आयोग के प्रतिवेदन में, "संचय के परिणाम" अध्याय में अनेक बड़े व्यापारियों के बारे में अच्छी सम्मति व्यक्त की गई है। 75 अथवा 125 उद्योगपतियों को दोष देना उचित नहीं है।

वस्तुत: देश में जो भी उद्योग विकसित हुए हैं वे इन उद्योगपतियों के आरम्भिक प्रयत्नों के कारण ही सम्भव हो सके। उसी के कारण हमारा देश सभी वस्तुओं में आत्म-निर्भर होता जा रहा है।

संविधान की धारा 39 (ख) तथा (ग) में विदित है कि समाज के भौतिक स्रोतों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार वितरित किया जाये कि उससे जन-साधारण को लाभ हो। आर्थिक तंत्र इस प्रकार चलाया जाये कि उससे उत्पादन के साधनों एवं धन का कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संग्रह न हो जिससे जन-साधारण का अनहित न हो।

हमें देखना है कि धन संचय से देश का औद्योगिक विकास होता है तथा जन-साधारण को लाभ पहुंचता है।

मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति तीनों योजनाओं

की विभिन्न परियोजनाओं में सहायक रहे हैं। यदि जनता पद्धति बदलना चाहती है तो वे ऐसा कर सकती है परन्तु उन्हें उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी कुछ परिवारों की निन्दा नहीं करनी चाहिए।

इस विधेयक कम्पनिओं द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को, अथवा किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय को, राजनीतिक उद्देश्यों से चन्दा देने पर रोक लगाने के उद्देश्य से रखा गया है। राजनीतिक उद्देश्य की कोई परिभाषा नहीं दी गई अतएव किसी जनहितकारी व्यक्ति को यदि उसका संबंध किसी राजनीतिक दल से भी है, इस विधेयक द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उन धर्मार्थ संस्थानों को चन्दे दिए जा सके जिनका संचालन राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा हो रहा है।

कहा जाता है कि टाटा की सम्पत्ति 75% तथा बिड़ला की 100 % बढ़ी है। परन्तु यह सब धन किसी व्यक्ति विशेष का न होकर हिस्सेदारों का ही होता है। जबतक उन हिस्सेदारों का विशेष प्रबन्धकों में विश्वास होता है वे उन्हें निदेशक आदि के रूप में चलने देते हैं। जिस प्रकार किसी मंत्री का अपने मंत्रीत्व के समय में अपने विभागस्थ अनेक संस्थानों पर अधिकार होता है और मंत्री पद त्यागते ही उसका नियंत्रण स्वत: समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार उद्योगों के संस्थापकों संचालकों की स्थिति है। उनके अधिकार हिस्सेदारों के विश्वास पर निर्भर है।

मैं समझता हूँ कि सरकार को विधेयक के प्रारूप को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए जिससे कि उससे अनावश्यक परेशानी न हो।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : 1956 से पूर्व कांग्रेस को चन्दे उद्योगपतियों के निजी खर्चों में से मिलते थे। सन् 57 के निर्वाचन से पूर्व यह निश्चय किया गया कि चन्दे कम्पनिओं के खातों से दिये जायें। हर उत्पादक के लिए उत्पादन के दर से चन्दें निर्धारित किए गये। कम्पनी अधिनियम सलाहकार आयोग सभापति को जब इसका पता चला तो उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी को इस बारे में लिखा कि उनके शासन में ऐसी कार्य-वाही नहीं की जानी चाहिए। इससे कांग्रेस सरकार उद्योग पतियों के हाथ में जा रही है। प्रधान-मंत्री ने उत्तर में लिखा कि वे ध्यान रखेगें कि इस विशेष रूप से व्यवहार में न लाया जाए और यह भी लिखा कि कुछ उद्योगपतियों ने विरोधी दलों को भी चन्दा दिया है। तत्पश्चात भारी धन संग्रह किया और बदले में प्रबन्ध ऐजेंसी पद्धति का नवीनीकरण की माँग होती रही। बड़े-बड़े उद्योगपतिओं ने बड़ी-बड़ी रकमें नियत की। कुछ मामले उच्च न्यायालयों में पहुंचे परन्तु जजों ने बिना किसी कानून के इन चन्दों को रोकने में असमर्थता व्यक्त की। इन चन्दों को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। जब संशोधनार्थ विधेयक प्रस्तुत किया गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि चन्दों से उनकी नीति प्रभावित न की जा सकेगी।

हमें चन्दों से यही डर था कि उद्योगपति इसके कारण सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालेगें। यही आज सर्वत्र यही सुनने में आ रहा है तथा इस बारे में शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस स्वयं ही आज इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही है। उन्हें इसकी पृष्ठभूमि में क्या अभिप्रेत है इस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जब चन्दे दिए जाते थे तब भी सीधे रूप नहीं दिखाए जाते थे, अपितु भिन्न भिन्न मदों में दिखाए जाते थे। अब भी यह

रुकेंगे नहीं। प्रमुख व्यवसायीयों का मत है कि मंत्रीगण उनके कार्यों में कोई न कोई बाधा उपस्थित करते रहेंगे। न्यायालयों से कार्यसिद्धि की अपेक्षा सरकार को प्रभावित करना सरल है। कम्पनी अधिनियम में परिवर्तन होते रहे। हर उपबन्ध के दो भाग होते हैं, एक विरोधी दलों को दिखाने के लिए और दूसरा उद्योगपतियों को मार्गदर्शन देने के लिए। कहा नहीं जा सकता कि अब क्या होगा।

प्रबन्ध ऐजेंसी पद्धति को-समाप्त करने के लिए पहले दस वर्ष की और फिर पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। इस पद्धति को कुछ गुणों की मैं उपेक्षा नहीं कर रहा। इससे धन के कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संचित होने का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। धन के संग्रह को देश की भलाई के साथ संबधित किया जा रहा है।

अब सारा देश समझ गया है कि संग्रह की प्रवृत्ति दोषपूर्ण है। इसीलिए निर्देशक सिद्धान्तों में इसकी निन्दा की गई और उन्हीं उद्देश्यों से प्रबन्ध ऐजेंसी पद्धति को समाप्त करने की दशा में पग उठाए गये। कम्पनी अधिनियम में उपबन्धित है कि वे बहुत अधिक कम्पनियों के निदेशक नहीं बन सकते परन्तु इन अधिनियमों के उल्लंघन होते आ रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंहका : उन का उल्लंघन कैसे होता है ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : हमारे देश में किसी भी नियम का उल्लंघन करना अति सरल है क्योंकि सरकार प्रायः उल्लंघन करने वालों का साथ देती है।

प्रबन्धक, एजेंसियों तथा उद्योगपतियों ने जो अच्छी बातें की हैं उनको मैं अस्वीकार नहीं करता। परन्तु उन्हें इस बात के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। कि उन्होंने अपने हाथों में शक्ति एकत्रित की, सम्पत्ति का केन्द्रीकरण किया, राजनीति के अखाड़े बनाकर उसे अपने प्रभाव में लिया तथा प्रजातंत्र के धारा प्रवाह को पक्षपात पूर्णता से प्रभावित किया। निस्संदेह वे लोग अच्छे हैं उन्होंने न्यासों की स्थापना की तथा उन्हें आर्थिक सहायता दी। एक उद्योगपति ने तो प्रधान मंत्री के निजी सचिव की माता के नाम में न्यास की स्थापना करके उसे 10 लाख रुपये का दान दिया तथा अगले वर्ष उसे पद्मविभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। पं० नेहरु जी को भी कानपुर के उद्योगपति के सम्बन्ध में वह बात माननी पड़ी थी जिसे वे मना कर चुके थे। और एक लाख रुपये के लोभ में आकर उन्हें कांग्रेस पार्टी की बात माननी पड़ी थी। रुपये का लालच इतना अधिक होता है।

अतः सरकार का इस ओर विशेष प्रकार का अनुशासन होना चाहिए इस अधिनियम को शाब्दिक स्वीकृति देकर केवल मौखिक सहानुभूति नहीं देनी चाहिये परन्तु इस अधिनियम को लागू करने के लिये गहन मानसिक आगमन होना चाहिये। और किसी भी व्यक्ति को इसका उल्लंघन नहीं करने देना चाहिये। "राजनीतिक प्रयोजन" इन शब्दों की परिभाषा को खोल कर नहीं बताया है। अतः इसे बताने की कृपा की जायेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस विधेयक का अधिकांश रूप में सर्वसम्मति से समर्थन हुआ है फिर भी मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यक बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं।

'राजनीतिक-प्रयोजन' शब्द इस विधेयक में पहली बार ही प्रयोग नहीं किये गये हैं। ये शब्द तो अधिनियम के मूल अनुभाग 293 ए में पहले से ही हैं। और अनेक वर्षों से इन शब्दों का प्रयोग होता आ रहा है। इन शब्दों को समझने एवं व्याख्या करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। अंग्रेजी न्यायालयों में भी इस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। इसकी परिभाषा के न होने से न्यायालयों के सम्मुख इसकी व्याख्या करने में कठिनाई नहीं आयेगी। जब एक अधिनियम में किसी विशेष शब्द की परिभाषा नहीं होती है तो उस शब्द की सामान्य परिभाषा को परिभाषा मान लिया जाता है। इसीलिए इस अधिनियम में इस शब्द की व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

दूसरा प्रश्न उठया गया था प्रबन्धक ऐजन्सी पद्धति की उपयोगिता के विषय में। मैं नहीं जानता कि प्रवर समिति प्रबन्धक एजेंसी पद्धति की उपयोगिता के बने रहने अथवा देश में उद्योगों के विकास में इसकी आवश्यकता होने के प्रश्न का निर्णय करने के लिए कहां तक सफल रह सकेगी। यह मामला पहले भी अनेक समितियों के समक्ष जा चुका है तथा वे समितियां विशेषकर पटेल समिति इसी निर्णय पर पहुंची है कि यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। इससे कंपनियों को न तो उपयोगिता में वृद्धि होती है और न ही उन उद्योगों में विकास ही होता है।

अतः पटेल समिति के प्रतिवेदन को देखते हुए, क्या फिर भी इस मामले को पुनः प्रवर समिति के समक्ष भेजना और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करना आवश्यक हो जाता है जबकि इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है एवं निष्कर्ष निकाल लिया गया है जिसके आधार पर हम इस पद्धति की उपयोगिता पर अपना निर्णय कर सकें ?

केवल यही नहीं, कल सेझियान ने कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई तीन आपत्तियों का बड़ी दक्षता से निराकरण किया है। जिन में से पहली बात वह थी कि प्रबन्धक एजेंसी पद्धति में कंपनियों को बनाने अथवा उनकी स्थापना करने में बहुत सहायता की है। परन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि यदि हम पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखे तो इस प्रणाली ने इस दिशा में विशेषक समाविष्ट कंपनियों के मामले में बहुत उपेक्षनीय कार्य किया है।

इनका दूसरा तर्क यह है कि यह प्रणाली कंपनियों को पूंजी देने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। यदि हम पूंजी के ढांचे को देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रबन्धक एजेंसी पद्धति का इस दिशा में जो योगदान है वह 6 प्रतिशत से अधिक नहीं है। और इतने दत्तांश से कंपनियाँ चल नहीं सकती। ये कंपनियां वित्तीय संस्थानों की सहायता से चलती है और उन्हीं पर निर्भर रहती है। जब हमने बैंकिंग संस्थानों का सामाजिक नियंत्रण कर लिया है और हमने उनको निर्देश दिया है कि उद्योगों में धन लगाएं तो मैं नहीं समझता कि इस प्रणाली की अब कोई उपयोगिता है।

इसी प्रकार एक अन्य मामला यह उठाया है कि इस पद्धति से उद्योगों के प्रबन्ध को निपुणता एवं योग्यता मिलने में सहायता होती है। 800 से अधिक कंपनियों में से 600 से अधिक कंपनियों का केवल एक या दो व्यक्ति प्रबन्ध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निपुणता आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन कंपनियों में किसी प्रकार की निपुणता नहीं आती है और ना ही उद्योगों का विकास होता है। अतः हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इस पद्धति से देश में उद्योगों का

बिल्कुल विकास नहीं होता है । इस पद्धति की स्थापना तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हेतु किया था, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि देश में यह व्यवस्था अभी तक चल रही है ।

यह विधेयक एक वर्ष से अधिक समय से सदन के समक्ष पड़ा हुआ है और लोगों को यह अच्छी तरह पता चल गया है कि इस पद्धति को समाप्त किया जा रहा है । इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस पद्धति को अप्रैल 1970 से समाप्त कर दिया जायेगा । अतः सम्बद्ध लोगों को उन चीजों को जो उनके पास हैं, उचित अधिकारियों को सौपने का यथेष्ट समय मिल गया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है कि केवल कंपनियों के द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने तक ही सीमित क्यों रखा गया है ? यह विधेयक साझेदारी की कंपनी, समितियों एवं न्यासों आदि के प्रश्न का विचार नहीं करता । कंपनी-विधान में यह कुछ नहीं करता है । कुछ बातों में हमें राज्य सरकारों का परामर्श लेना होगा । हम कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत साझेदारी की फर्मों न्यासों आदि को दिये जाने वाले दान पर रोक नहीं लगा सकते ।

कंपनियों द्वारा जीपों आदि की सेवाओं को दिये जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूँ कि व्यापार के मामलों और उसके बुनियादि अधिकारों के अनुच्छेद 19 को देखते हुए इस प्रकार की रोक को कार्यान्वित करना कठिन हो जायेगा । इन मामलों पर ठंडे दिल से तथा बहुत ध्यान पूवर्क विचार करना चाहिए कि क्या इस अधिनियम का और आगे विस्तार किया जा सकता है ।

जहां इस विधेयक का समर्थन किया गया है वहां कांग्रेस पार्टी एवं सरकार पर आरोप लगाया है कि इन्होंने बड़े-बड़े व्यापारियों से चन्दा लिया है । इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इतनी मूर्ख नहीं है कि वह सदन में इस विधेयक को लाकर अपनी विजय पर स्वयं ही कुठाराघात करे । कांग्रेस पार्टी चन्दें को बहुत महत्व नहीं देती । वह तो अपनी आधार भूत नीतियों पर अडिग रह कर लोगों का सामना करने के लिए पूरे साहस एवं पूर्ण निष्ठा से खड़ी रहती है । यही कारण रहा है कि हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है । यह भी गलत है कि चुनाव लड़ने के उद्देश्य से धन व्यय किया जाता है ।

कांग्रेस द्वारा चुनावों में अधिक धन व्यय किया भी नहीं । अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस के विरुद्ध निकृष्ट प्रचार करने में लगे हुए थे और कांग्रेस को इस प्रचार का सामना करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ा था । जो कुछ दान या चन्दा कांग्रेस ने बड़े-बड़े व्यापारियों से लिया है उसके लिए लोगों का सामना करने में कांग्रेस डरती नहीं है ।

आज हम सब यह चाहते हैं कि चुनावों पर खर्चा जितना सम्भव हो सके कम किया जाए । अतः इस विधेयक के समर्थन में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार हाथ बढ़ाया है उसे यही नहीं रोकना चाहिये । हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखें परन्तु हमारा राजनीतिक जीवन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए । हमें इधर उधर से पैसा जमा करने की नीयत से लोगों के पास नहीं जाना चाहिए ।

मैं अपना प्रस्ताव सदन के संमुख प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने बताया है कि बिड़लाओं के मामले में सरकार द्वारा जांच कमेटी बैठाने के बावजूद भी बिड़लाओं से धन एकत्रित किया गया, उन्होंने राशि भी बताई और बाद में उस पर विरोध भी किया ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इसे पूर्णरूप से अस्वीकार करता हूँ कि किसी भी दल का पक्ष लेते हुए किसी दल से धन एकत्रित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या 5 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा

Amendment was put to vote

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में—26 **विपक्ष में—182**

The Lok Sabha divided

Ayes.—26 ; Noes.—182

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अब एक घण्टे तक इस पर खण्ड वार विचार किया जायेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : इस विधेयक के खण्ड 'दो' में 'नियत दिन' का उल्लेख है, जब कि शब्द 'प्रबन्धक एजेंट', कोषाध्यक्ष अथवा 'सैक्रेटरी' समाप्त हो जायेंगे। इस खण्ड से हमें पता चलता है कि यह पद्धति एक वर्ष की अवधि के भीतर ही समाप्त हो जायेगी तथा खण्ड 4, 5 तथा 6 भी एक वर्ष से कम में ही लागू हो जायेंगी। अतः मैं इन सब खण्डों पर एक साथ ही बोलना चाहूँगा।

[श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुए]

[Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

प्रबन्धक एजेंसी पद्धति और देश में उसके कार्य संचालन के संबंध में इस सदन में पिछले कई वर्षों से बड़े विस्तार से चर्चा होती आ रही है। मुझे आशा थी कि इस संबंध में सरकार के मन में जो भ्रांति थी सदन उसका निराकरण कर देगा परन्तु अब मुझे अनुभव हो रहा हैं कि संभ्रांति का निराकरण होने के बजाय और अधिक विकट हो गई हैं। प्रबन्धक एजेंसी पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को आपके सम्मुख रखते हुए सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह अपना

निर्णय बदल दे। मंत्री महोदय ने बताया कि इस पद्धति को अंग्रेजी सरकार ने बनाया है तो मैं समझता हूँ कि मंत्री जी, यदि अनभिज्ञ नहीं तो सम्भ्रांत अवश्य है प्रत्येक विकासशील देश में उसका अर्थ व्यवस्था के आरम्भिक विकास के लिये इसी प्रकार के प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व रहा है। आप इसे किसी भी नाम की संज्ञा दे सकते हैं इस देश में यही हुआ है।

इसी प्रकार के प्रबन्धक संघ ने स्वतंत्रता से पूर्व देश में अनेक उद्योगों जैसे चाय, पटसन, सूती कपड़ा, इंजीनियरिंग इस्पात आदि के उद्योगों में कितना अधिक योगदान दिया है, और इसी के कारण देश के उद्योगों का विकास हुआ है।

रेलवे देश का सबसे भारी उद्योग है तथा इस पर 3000 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। प्रबंधक एजेन्टों ने बड़े परिश्रम से इस उद्योग का विकास किया था तथा जिस समय इस उद्योग में भारी हानि की आशंका थी उस समय भी इन लोगों ने बड़े उत्साह से भारी हानि भी सहते हुए इस उद्योग की स्थापना तथा इसका विकास किया।

दूसरी तथा तीसरी योजना अवधि में भी रेलों का औद्योगीकरण मुख्य रूप से इन्ही प्रबंधक एजेंसियों के द्वारा किया गया। मंत्री महोदय ने जो प्रबंधक एजेन्टों के अंश पूंजी में से 6 प्रतिशत के योगदान की बात कही है उससे बात पूरी बात स्पष्ट नहीं होती। आज भी ये एजेंट जनता में सरकार से ज्यादा शेयर बेचने में समर्थ हैं। सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के शेयरों को बेचने के सम्बन्ध में इन ऐजेन्सियों से मुकाबला कर के देखें तो उसे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। अतः मेरा कहना है कि हमें इन एजेंसियों के योगदान को कम नहीं समझना चाहिए।

हमारी वर्तमान समस्या यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार का धक्का न पहुंचे अपितु उसकी उन्नति हो। क्या मंत्री महोदय का आशय यह है कि अब देश में कुशल प्रबंधकों की कमी नहीं है और हमारे पूंजी बाजार की उचित उन्नति हो चुकी है जिससे हमें अब किसी भी प्रकार की प्रबंधक एजेंसियों की आवश्यकता नहीं रही ? किन्तु यदि आप यह अनुभव करते हैं कि अभी हमारे यहाँ कुशल प्रबंधकों की कमी है तथा अभी हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त करना है तो आज की सामूहिक व्यवस्था तथा प्रबन्धक एजेंसियों का विघटन करने की बात नहीं सोचनी चाहिए।

इस विधान को लाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि प्रबंधक एजेंसियों के कारण सम्पत्ति का केन्द्रीकरण हुआ है तथा दूसरा यह कि इन पद्धति से हमारी अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग हुआ है। मेरा निवेदन है कि ये दोनों ही आरोप नितांत निराधार हैं।

जहां तक एकाधिकार तथा सम्पत्ति को केन्द्रीकरण का सम्बन्ध है इन बुराइयों को बिना इस विधान के लाये भी समाप्त किया जा सकता है तथा प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली को बनाए रखते हुए भी किया जा सकता है।

इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने के लिये वर्तमान कानून ही पर्याप्त हैं। यदि किसी एक सेक्सन के दुरुपयोग किया है तो उसके कारण समस्त पद्धति को समाप्त करना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान कानून के अनुसार यह सीमा निर्धारित है कि किसी भी प्रबंधक एजेंसी को 15

वर्ष की अवधि से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता । साथ ही 10 वर्ष की अवधि से अधिक के लिये उसको नवीकृत नहीं किया जा सकता । 21 अक्तूबर 1966 को सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसके अनुसार चाय, जूट सिमेंट आदि से सम्बन्धित प्रबन्धक एजेंसियों को 2 अप्रैल, 1969 में समाप्त किया जाना था । इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा 324 के अन्तर्गत सरकार को इस बात की शक्ति भी प्राप्त है कि वह जब भी किसी उद्योग की किसी प्रबंधक एजेंसी को आगे बनाए रखना अनुपयुक्त समझे तो उसे समाप्त कर सकती है । अतः जब सरकार को पहले ही इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है तो इस विधान के लाने की क्या आवश्यकता है ।

विधान के अनुसार प्रबंध एजेंट कुल लाभ में से केवल 10 प्रतिशत पारिश्रमिक ले सकते हैं । प्रारम्भिक वर्षों में उन्हें 10 प्रतिशत पारिश्रमिक से भी कम मिलता था तथा दो तीन वर्ष तो कोई लाभ न होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं मिला । क्या आप समझते हैं कि प्रबन्ध निदेशक आदि इस प्रबन्ध एजेंटों से कम पारिश्रमिक लेकर कार्य कर सकते हैं ? इसी बात को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व विधि मंत्री महोदय ने कहा था कि प्रबन्ध एजेंसी पद्धति को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ।

यदि किसी पद्धति में कहीं त्रुटि है तो उससे समस्त पद्धति या विधान को समाप्त कर देना न्याय संगत नहीं हैं । यदि प्रजातन्त्र प्रणाली में कहीं कोई दोष हो तो क्या उसके आधार पर इस प्रणाली को ही छोड़ देना चाहिए ? हां यदि किसी विधान की आवश्यकता है तो मंत्री महोदय को वह विधान लाना चाहिए ।

महोदय ! अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं श्री पालाकीपाला ने जो इस सम्बन्ध में कहा है उसको उद्धृत करना चाहता हूँ । उन्होंने कहा है :

"यदि आप सभी अपूर्ण तथा सदोष चीजों को समाप्त करना चाहेंगे तो आपके पास कोई भी पद्धति, नीति या संस्थान दोष नहीं रहेगा । इस व्यापक संसार में आपके पास केवल स्वर्ग के सनातन नियमों के सिवाय अन्य कोई नियम भी शेष नहीं रहेगा ।"

इस विधान का यही परिणाम निकलेगा । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रबबंधक पद्धति का उचित रूप से निर्वाह करे तथा 10 या 5 वर्ष देखने के बाद ही कोई इस प्रकार का विधान लायें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं केवल खण्ड 2 तक ही सीमित रहना चाहता हूँ । फिर भी यदि कोई विशेष बात हमें ज्ञात हो तो उसका भी उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि इस पर खण्ड बार विचार विमर्श हो रहा है । श्री मसानी ने भी इस बात का समर्थन किया था कि विधान पर खंड वार विचार हो और उसके लिये अधिक समय दिया जाय ।

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय से अधिक समय मांगा जा सकता है मुझ से नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम चाहते थे कि यह विधेयक मध्यावधि चुनावों से पहले पारित हो जाता किन्तु ऐसा न हो सका । इस विधान में ऐसा कोई खंड नहीं है जिसके अनुसार यह

व्यवस्था हो कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई धन लिया है तो वह वापस करे। चूंकि इस विधान का मूतलक्षी प्रभाव नहीं है अतः नियमों का उल्लंघन करने तथा काले पैसे को सफेद पैसा बनाने के बारे में बहुत सी चालाकियां हो सकती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस तिथि को 1970 से बदलकर 1969 कर दें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, the appointed date of 2 April 1970 as mentioned in the clause 2 is quite remote.

Now, managing agency system has become practical one in our country. Initially it was an economic instrument to obtain industrialisation in the country and at that time there was a vital utility of this system. But with the gradual growth of capitalism in the country this system has been distorted.

Sir, if you go through the writings of late Shri Jawahar Lal Nehru you will find that at several places he used derogatory terms towards this system. He wanted to abolish this system but it is quite strange that it is not being dissolved after the expiry of 22 years of our independence.

I submit that no extension of period should be granted to this system. As I have mentioned this system has been exploiting the economy and the people of our country. Therefore it should be done expeditiolusly.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं माननीय मन्त्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं इतनी दूर की तिथि निश्चित करने के क्या कारण हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की निहित स्वार्थों के साथ विशेष सहानुभूति दिखाई दे रही हो। बंगाल में जमीदारी उन्मूलन विधेयक पारित करते समय जमीनदारों को छः मास का समय दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम लगा दी गई और खेतिहरों की स्थिति पहले जैसी ही रहीं है। वास्तव में उनकी स्थिति खराब हुई है।

अप्रैल, 1970 में 'नियुक्त तिथि' निश्चित करके सरकार स्वार्थी तथा बड़े-बड़े पूंजीपतियों को अपनी इच्छा पर चलने का अवसर देना चाहती है। इन परिस्थितियों में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक के अधिनियम बनते ही उसे लागू कर दिया जाना चाहिये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने मेरा यह वक्तव्य गलत बताया है कि विश्व के अन्य भागों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली विद्यमान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल भारत में तथा ब्रिटिश लोग के प्रभाव में रहने वाले देशों में ही प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली है। ब्रिटेन तथा अमरीका में भी यह प्रणाली नहीं है।

प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली सम्बन्धी समिति के अनुसार जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, बैंकों तथा निवेश न्यासों द्वारा प्राथमिक ऋण देने तथा जिम्मेवारी लेने के कामों में बहुत अधिक भाग लेने के बावजूद भी, दलालों तथा अन्य व्यक्तियों ने नये शेयरों की खरीद की जिम्मेवारी लेने के सम्बन्ध में जो काम किया, वह काफी अधिक रहा परन्तु प्रबन्धात्मक अभिकरणों ने जो सीधा ऋण दिया, वह नगण्य था। 1964-65 में जीवन बीमा निगम ने जिस राशि का जिम्मा लिया उसकी प्रतिशतता 22.9 थी, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की प्रतिशतता 10.1

थी, औद्योगिक वित्त निगम की प्रतिशतता 10.1 थी, आई० सी० आई० पी० आई० की प्रतिशतता 12 थी जबकि प्रबन्धात्मक अभिकरणों सहित अन्य संस्थाओं तथा विदेशी सहयोगकर्ताओं ने 0.7 प्रतिशत का जिम्मा लिया ।

प्रबन्धात्मक अभिकरण जिस प्रकार प्रबन्ध करते हैं, उसे देखते हुए जनता यह नहीं चाहती कि केवल कुछ ही अभिकरण इतने अधिक समवायों का प्रबंध करें । यदि उन्होंने वास्तव में औद्योगिक विकास में सहायता की होती तो प्रायः सभी निगमित समवायों का प्रबंधक उन अभिकरणों द्वारा किया जाता ।

कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि निर्धारित तिथि 3 अप्रैल, 1970 न हो । इसका कारण यह है कि प्रबन्धात्मक अभिकरणों के समापन के लिए समय दिया जाये । हमें उन्हें उचित समय देना चाहिये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खन्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 (धारा 293 क का स्थानापन्न)

श्री फखरुद्दीन अली अहमद मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 2, पंक्ति 9,

"Con tained in" ["में समाविष्ट"] के बाद "any other provision of" ["का कोई अन्य उपबन्ध"] जोड़िये । (3)

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 8 से 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

The Government had to bring this legislation under pressure from opposition parties but its sympathy with the private sector is apparent from its drafting. The fine of Rupees five thousand to be imposed upon a company if it contravenes the provisions of sub-section (1) of clause 3, is very small in view of the huge resources of the Companies. I have moved an amendment to increase the amount of fine to Rupees ten thousand. The term of imprisonment should be extended from three to five years. The punishment for misuse of funds should provide also for a fine which should not be less than Rupees ten thousand.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"1968" के स्थान पर "1969" रखा जाये ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं संशोधन संख्या 13 तथा 14 प्रस्तुत करता हूँ ।

इस खंड की भावना तो ठीक है परन्तु इसमें कहा गया है कि समवायों को किसी राजनैतिक दल अथवा उस व्यक्ति को, जो राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करता है, धन देने से रोका जा रहा है। परन्तु केवल ऐसा करने से ही सभी शरारतें समाप्त नहीं हो जायेंगी सहायता दूसरे रूप में भी दी जा सकती है। यदि विधेयक को प्रभावी बनाना है तो उन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। वित्तीय सहायता देने की बजाये दलों को जीपें दी जा सकती हैं। यह इस खंड के अन्तर्गत नहीं आयेगा। समवायों पर कोई उपहार देने, कोई सेवा करने अथवा अपने अधिकारियों की या कर्मचारियों सेवायें उपलब्ध कराने अथवा किसी सम्पत्ति को उनकी सेवा में प्रस्तुत करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। खंड 3 में ऐसा उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए। मेरे संशोधन संख्या 14 से समवायों पर राजनैतिक दलों को सभी प्रकार से सहायता देने पर प्रतिबन्ध लगेगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यह बात महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक मध्यकालीन चुनाव के बाद लाया गया है। मध्यकालीन चुनाव में सत्तारूढ़ दल को समवायों में काफी धन मिला है। यदि सरकार इस विधेयक को प्रभावी बनाना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काले धन में राजनैतिक दलों को राशि न दी जाये। यदि समवाय अपने हिसाब-किताब में गड़बड़ करके काला धन बना लेते हैं और उसे दान दे देते हैं तो अच्छी राजनैतिक परम्परा बनने की बजाय हमारा राजनैतिक वातावरण दूषित हो जायेगा और उसमें कई बुराइयां आ जायेंगी। इसे रोका जाना चाहिए। सरकार को सत्तारूढ़ दल तथा अन्य दलों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उन्हें काला धन न मिले। चुनाव में दान का मुख्य कारण चुनाव में व्यय बहुत अधिक होता है। इसलिए, प्रयत्न किया जाना चाहिए कि चुनाव व्यय कम हो।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री को श्री सेझियान का संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वह कह चुके हैं कि समवायों से दान स्वीकार करना अनैतिक है।

समवाय राजनैतिक दलों को दान देने के अतिरिक्त कुछ सेवायें भी देती हैं। जिन उम्मीदवारों को यह सेवायें दी गई हैं, उन्हें चाहिये कि वे उसके लिए प्रतिफल दें। समवायों को प्रतिफल लिये बिना यह सेवायें नहीं करने देना चाहिए। अतः माननीय मंत्री को इस संबंध में संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री शिवचन्द्र झा ने अपने संशोधनों में सुझाव दिया है कि जुर्माना 5,000 रुपये की बजाये 10,000 रुपये होना चाहिए। समवाय के जो अधिकारी चूक के जिम्मेवार हों, उन्हें तीन वर्ष की बजाय 5 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जाना चाहिये तथा जुर्माना 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। जब आवश्यक सेवा में बनाये रखना विधेयक इस सदन में लाया गया था तो 2500 रुपये जुर्माना तथा दो वर्ष कारावास का दंड रखा गया था और उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना था। समवायों के सम्बन्ध में सरकार यह सभी बातें भूल गई हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह श्री सेझियान का संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि दान अधिकांशतया काले धन और अन्य वस्तुओं के रूप में दिया जाता है। श्री पी० सी० सेन

को दो महीने के लिए 10 मोटर गाड़ियां दी गई, 200 कार्यकर्त्ता दिये गये और 30 कार्यकर्त्ताओं से नौकरी के वचन दिये गये। श्री अतुल्य घोष को जाली मत डालने के लिए 400 बुकें एक समवाय द्वारा दिये गये। अतः विधेयक का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब किसी भी प्रकार की सहायता अथवा दान बन्द किया जाये।

मेरे विचार में 10,000 रुपये दण्ड भी पर्याप्त नहीं है। दंड पहली बार दान दी गई राशि का दस गुना और बाद में दान दी गई राशि का बीस गुना होना चाहिए।

श्री क० नारायण राव : दण्ड अयोत्पादक होना चाहिए। 5,000 अथवा 10,000 रुपये के जुर्माने से भय उत्पन्न नहीं हो सकता। आशा है कि माननीय मंत्री इस समस्या पर ठीक दृष्टि-कोण से विचार करेंगे और बाद में आवश्यक संशोधन लायेंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : दान लेने वाले दल को भी दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं श्री रेड्डी का संशोधन स्वीकार करता हूँ, जिसमें "1968" के स्थान पर "1969" रखा गया है।

कुछ आम व्यक्ति भी समवायों के अंशधारी होते हैं। समवाय के पदधारी द्वारा की गई अनियमितता अथवा गैर-कानूनी बात के लिए अंशधारियों को दण्ड देना उचित नहीं है। इसी कारण हमने पाँच हजार रुपया जुर्माना उचित समझा है। इसके अतिरिक्त पदधारियों को तीन वर्ष तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है जिसकी सीमा नहीं रखी गई है। इस लिये हमनें जानबूझकर 5,000 रुपये जुर्माने की व्यवस्था की है। यदि जुर्माने की राशि बढ़ा भी दी जाये, तो बड़ी कम्पनियों के लिए कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष तक दण्ड की व्यवस्था भी की जा रही है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य संशोधनों पर बल न दें। हां यदि कोई त्रुटि सरकार के ध्यान में आती है तो उसे दूर किया जायेगा। अतः श्री सेझियान अपने संशोधन को वापिस ले लें।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 9,—

"में दिये हुए" [contained in] के बाद "का कोई अन्य प्रावधान" [any other provision] रख दिया जाये (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं सरकार का संशोधन संख्या 12 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"1968" के स्थान पर "1969" रख दिया जाये। (12)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सेझियान : मंत्री महोदय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन संख्या 14 वापिस लेता हूँ ।

संशोधन संख्या 14 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment No. 14 was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिव चन्द्र झा का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

'पांच हजार' के स्थान पर 'दस हजार' रख दिया जाये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sasha divided

पक्ष में 31 : विपक्ष में 155

Ayes 31 ; Noes 155

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 10 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजित हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 29 विपक्ष में 146

Ayes 29 Noes 146

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment No. 10 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motiom was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 as amended, was added to the Bill

खण्ड 4

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

(1) पंक्ति 10,—

'contained in [में दिये हुए'] के बाद 'any other provision of [का अन्य कोई प्रावधान' रख दिया जा जाये ।

(2) पंक्तियाँ 12 और 13,—

"appointed day' [नियत दिन के स्थान पर '3rd day of April 1970' [3 अप्रैल, 1970] रख दिया जाये ।

(3) पंक्ति 16,—

'the appointed day' [नियत दिन] के स्थान पर 'that date' [वह तिथि] रख दिया जाये ।

(4) पंक्तियां 18 और 19,—

'appointed day' [नियत दिन] के स्थान पर '3rd day of April 1970' [3 अप्रैल, 1970] रख दिया जाये । (4)

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गाँव) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रा० की० अमीन (ढूडंका) : मैं खंड 4 का विरोध करता हूँ । इसके द्वारा प्रबन्ध एजेन्सी व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है । साथ ही सचिवों और कोषाध्यक्षों के पदों को भी समाप्त किया जा रहा है । इन पदों को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है । हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि उसमें व्यापारिक गतिविधियों को कारगर ढंग से चालू रखने के लिए ऐसी प्रणाली बहुत आवश्यक है । इसके लिए दो प्रणालियां हैं । एक है प्रबन्ध एजेन्सी की और दूसरी है प्रबन्ध निदेशों वाली । इनमें से प्रबन्ध एजेन्सी की प्रणाली को समाप्त करके प्रबन्ध निदेशक प्रणाली को बनाये रखा जा रहा है । दोनों प्रणालियों में कुछ खराबियां हैं । परन्तु प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली में हमें सुधार करना चाहिए और इसे बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहिए । इस प्रणाली की अपनी साख तथा इतिहास है । देश गत कुछ वर्षों में मन्दी के दौरान इस प्रणाली वाली कम्पनियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है । जापान वालों ने वहां एक इस प्रकार की प्रणाली जैबस्तु को समाप्त किया था परन्तु बाद में उन्हें उसे पुनः चालू करना चाहिए । अतः हमें भी अच्छी तरह विचार करना चाहिए । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार करे ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : My amendment seeks to lay down that managing agency system would be dissolved within 15 days of the passing of this Bill. There is no use in continuing with system till April, 1970. This system is based on exploitation.

The Zamindari system was abolished very efficiently. Similary this system should be done away with. It is an impedement in the way of our development.

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी (मन्दसौर) : प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने के साथ साथ हमें इस देश में व्यवसायिक प्रबन्धक प्रणाली का विकास करना चाहिए। पश्चिम के विकसित देशों में ऐसा ही है। प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली की समाप्ति के साथ प्रबन्धक व्यवस्था में एक प्रकार की रिक्तता आ जायेगी। उसे पूरा करने के लिए हमें सोचना चाहिए। इस बारे में प्रबन्धकों का एक संवर्ग बनाना होगा जो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की आवश्यकता पूरी कर सके।

हमारा देश तकनीकी तौर पर प्रगति कर रहा है। अतः व्यवसायिक प्रबन्ध व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I congratulate Government for bringing forward this price of legislation. It was in August that I brought to the notice of the Prime Minister cases of donations to political parties. I was impormed that Government was very much concerned over this and was bring legislation in Parliament in this regard. Now Shri F. A. Ahmed has piloted this Bill. I do not know as to why its implementation is being delayed upto April, 1970.

It shows that they want to take donations even after the passage of this Bill. I would like to know the reasons for this.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : श्री शिव चन्द्र झा चाहते हैं कि इस विधेयक को दो सप्ताहों तक लागू कर दिया जाये। एजेन्सी प्रबन्ध प्रणाली को समाप्त करने में कुछ समय लगेगा। इसी कारण इसे अप्रैल, 1970 से लागू किया जायेगा। यदि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो बड़ी संख्या में कम्पनियों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यह ठीक नहीं होगा। अतः मैं इस संयोधन को स्वीकार नहीं करता। जहां तक सचिवों और कोषाध्यक्षों के पदों को समाप्त करने का प्रश्न है, यह इसलिए किया जा रहा है इससे शक्तियाँ केन्द्रित हो जाती हैं और यह जनहित में नहीं है। इसलिए इन पदों को समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 2, —

(1) पंक्ति 10,—

"Contained in" [में दिए हुए] के बाद 'any other provision of'[का अन्य कोई प्रावधान] रख दिया जाये।

(2) पंक्ति 12 और 13,—

'appointed day' [नियत दिन] के स्थान पर '3rd day of April, 1970' [3 अप्रैल, 1970] रख दिया जाये।

(3) पंक्ति 16,—

'the appointed day' [नियत दिन] के स्थान पर 'that day' [वह तिथि] रख दिया जाये।

(4) 18 और 19,—

'appointed day' [नियत दिन] के स्थान पर '3rd day of April, 1970' [3 अप्रैल, 1970] रख दिया जाये। (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 11 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

'कि खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने'

That Clause 4, as amended, stand part of the Bill

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 155 : विपक्ष में 20

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4, as amended, was added to the Bill

खण्ड 5 तथा 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 5 and 6 were added to the Bill

खण्ड 1

संशोधित किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

'1968' के स्थान पर '1969' रख दिया जाये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद

संशोधन संख्या 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ, पंक्ति 1—

"Nineteenth" [उन्नीसवां] के स्थान पर "Twenti" [बीसवां] रख दिया जाये। (1)

श्री फखरुद्दीन अली अहमद

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधत रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

---

*रेल दुर्घटनाएं

RAIL ACCIDENTS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) रेलवे विभाग ने 28 अप्रैल को दावा किया था कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या में बहुत कमी हुई है। परन्तु हाल ही की तीन बड़ी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वह दावा ठीक नहीं जान पड़ता।

हमारी सरकार पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं

*आधे घंटे की चर्चा।

पड़ता। रेलवे मन्त्रालय अपने कार्य में बिल्कुल असफल रहा है। दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने सम्पादकीय में रेलवे विभाग के कार्यकरण की कड़ी आलोचना की है। यह समाचार पत्र सरकार का समर्थक है।

भारतीय रेलों में प्रतिदिन 62 लाख व्यक्ति सफर करते हैं। और वे प्रतिदिन लगभग 10,000 मील की यात्रा करते हैं।

वर्ष 1966-67 में रेल दुर्घटनाओं में 48,235 व्यक्ति हताहत हुए। 41,270 व्यक्ति रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हताहत हुए। इसमें से 1572 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3471 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए।

75 प्रतिशत दुर्घटनाएं जो मानवीय दोष के कारण हुई, को रोका जा सकता था। रेलवे में काम करने वाला साधारण व्यक्ति बहुत परेशान है। न्यायाधीश राजाध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि ड्राइवर के काम करने के घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिये। श्री कुंजरू ने सुझाव दिया था कि ड्राइवर के काम के घंटे 14 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन ड्राइवरों से 24 घंटे तक काम लिया जाता है।

वांचू आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि दक्षिण मध्य रेलवे को छोड़कर, जिसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर ड्राइवर अधिकतर 12 घंटे अधिक काम करते हैं।

रेलवे अपने ड्राइवरों और अन्य कर्यचारियों से अधिक काम लेती है। जिसके कारण वे थक जाते हैं और इसके परिणाम दुर्घटनाएं होती हैं। सियालदाह डिवीजन के कर्मचारियों ने सरकार के सामने काम के घंटों के बारे में मांगें रखी थी जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप बहुत से आन्दोलन हुए और उन्हें परेशान किया गया।

भारतीय रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों पर आर्थिक भार है। उनका ध्यान बढ़ते हुए जीवन स्तर पर लगा रहता है। रेलवे का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि इसके कर्मचारी हर तरह से संतुष्ट रहें। एक गम्भीर दुर्घटना में जब एक कर्मचारी से गलत लाइन पलटने का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि जब वह घर से निकला तो उसके बच्चे को तेज बुखार था। मेरे पास बच्चे की चिकित्सा करने के लिए धन नहीं था। मैं बहुत दुखी था। अत: यह दुर्घटना हुई।

कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित नहीं है। रेलवे में शायद ही कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके विरुद्ध दोषारोप न किया गया हो।

एक व्यक्ति जिसको लगातार धमकियों में काम करना पड़ेगा वह अपना ध्यान काम की ओर नहीं लगा सकेगा।

कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों में काम करना पड़ रहा है। अनियत मजदूरों को अपनी नौकरी के छूटने का लगातार ख्याल बना रहता है। रेलवे में प्रबन्ध अच्छा नहीं है और उससे कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। हाल ही में मन्त्री महोदय ने क्लर्कों के प्रतिनिधिमंडल से मिलना अस्वीकार कर दिया था।

रेलवे में संचालक कर्मचारियों की भारी कमी है। उनके स्थान लगातार रिक्त हैं और उनके लिये छुट्टी रिजर्व कर्मचारी की कोई व्यवस्था नहीं है। जांच के बारे में वांचू आयोग ने यह कहा था कि दुर्घटना से दण्ड देने तक 3½ महीने का समय लगता है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवरों ने मन्त्री महोदय को ठोस सुझाव दिये थे। कुंजारू समिति ने भी इस बारे में 6 वर्ष पूर्व सिफारिशें दी थी। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और किन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

कर्मचारियों को सजा नहीं देनी चाहिए। उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनकी यूनियनों को मान्यता दी जानी चाहिए।

श्री वांचू ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि रेलवे में प्रशिक्षण और उसके संचालक कर्मचारियों की क्षमता को बनाये रखने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सुरक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इंजनों के आयात करने के बारे में यह उल्लेख किया है कि ये इंजन भारतीय रेलवे के उपयुक्त नहीं हैं। फिर भी उनका आयात किया गया है और उन्हें चलाया गया है। 11,000 रेलवे फाटकों पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है जो देश के व्यक्तियों के लिये खतरनाक है। इस सम्बन्ध में रेलवे मन्त्री को कुछ कार्य करना चाहिए।

लोगों को पायदानों और गाड़ी की छतों पर यात्रा करनी पड़ती है। उपरि पुलों की व्यवस्था नहीं है और रेलवे लाइन को पार करते समय अक्सर दुर्घटनाएं हो जातीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों में खतरे की जंजीरें नहीं हैं। सुरक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

रेलवे में दुर्घटनाओं को तब ही रोका जा सकता है जबकि उसमें काम करने वाले कर्मचारी वफादार और ईमानदार हों।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : हम कर्मचारियों से सीधे वार्ता करना चाहते है। आपको रेलवे कर्मचारियों के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए हम उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान दे रहे हैं।

रेलवें कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप सच नहीं हैं।

वांचू समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि 1967-68 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में वर्ष 1962-63 को समाप्त होने वाले 6 वर्षों की तुलना में दुर्घटनाओं में भारी कमी हुई है। वर्ष 1951-52 में दुर्घटना के आँकड़े 16,142 थे जबकि 1962-63 में ये आँकड़े 9132 रह गये और 1967-68 में ये आंकड़े 5,502 रह गये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मन्त्री अपनी सीमा से आगे निकल रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दुर्चटनाओं की संख्या मे बहुत कमी हुई है। जहां तक हाल की दुर्घटना का सम्बन्ध है बस और गाड़ी लगभग तीन मील साथ-साथ चल रहीं थी।

यदि कोई आगे बढ़ना चाहे तो मैं नहीं जानता कि रेलवे पर अनावश्यक रूप से क्यों आरोप लगाया जाना चाहिए...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) फाटक पर हरे रंग का इशारा था।

डा० राम सुभग सिंह : उसे बन्द किया जा रहा था। दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई और आनुषंगिक दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं। कुंजरू समिति प्रतिवेदन में से 354 सिफारिशें स्वीकार की गई थी और हमने 324 सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं। इसी कारण दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है। 1964-65 में बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों पर 113 दुर्घटनाएं हुई थी जिनकी संख्या 1968-69 में 89 रह गई है। यह कहना उचित नहीं कि भारतीय रेलवे गाड़ियों में यात्रा करने से खतरा है। अन्तर्राष्ट्रीय आँकड़ों से पता चलता है कि कनाडा, जापान आदि अन्य देशों में भी रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है।

वांचू समिति ने इस बात को महसूस किया है कि कुंजरू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप मानवीय गलती के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी हुई है। 1966-67 में ऐसी 719 दुर्घटनाएं थीं जबकि 1968-69 में वे घटकर केवल 478 रह गई। निश्चय ही इस दिशा में सुधार हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गाड़ी के चालक कर्मचारियों द्वारा नियत काल से अधिक समय तक काम करने के बारे में भी मन्त्री महोदय कुछ कहेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : हमने कुंजरू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : लगातार 20 घण्टे। श्री वांचू ने बताया है।

डा० राम सुभग सिंह : समयोपरि कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या अब 50 प्रतिशत रह गई है ? यदि इस बात को भी स्वीकार कर लिया जाये कि सभी की सभी 138 दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थीं, तो भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

जहां तक परेशान करने की बात है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

हमने सुरक्षा के सभी उपाय किए हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, कुशल निगरानी और इंजीनियरी सहायता की कारण दुर्घटनाओं की संख्या में कमी होती जा रही है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता है कि हम अपने कर्मचारियों के प्रति यथा-सम्भव उदार रवैया अपनाते हैं।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो कुछ सम्भव होगा किया जायेगा। कुंजरू समिति की 354 सिफारिशों में से केवल 28 बाकी जो क्रियान्वित नहीं की गई है। वांचू समिति की सिफारिशों पर भी हमने ध्यानपूर्वक विचार किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सुरक्षा आयोग के स्थान पर अर्धन्यायिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य इस सुझाव का न्यायोचित सिद्ध कर दें। हमें आशा है कि उपयुक्त समिति की सिफारिशों और सभा में दिये गये सुझावों से स्थिति सुधर जायेगी। हम सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत करेंगे।

Shri Randhir Singh : The unmder of Railway accidents is minimum in our country as compared to the figures of accidents occured in other countrries. Will the hon'ble Minister be pleased to state whether the reason of accidents occurring in Eastern India is espionage or activitics of chastic elements in these areas ? I would also like to know the percentage of accidents occurred due to human failures and steps taken to present them ? Railways is the biggest undertaking and it is but natural that motion expects that it should make improvement in all directions. Railway journey should be safe and comfortable so that people may have full faith in Railways.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : There are three main reasons of accidents. One of them is frustration among the staff. The Government should therefore, remove genuine difficulties experienced by the staff. The other reason of accidenrs seems to be indiscipline among the staff. Recently railway employees of Calcutta had gheraoed General Manager. It is very difficult to inculcate the feelings of discipline among the staff keeping in view the attitude of communists. The third reason of accidents is out-dated and out-moded machinery of Railways. I would like to know whether any steps have been taken to replaced this old machinery with modern machinery ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : May I know the number of accidents occurred due to human failure in 1968 and number of those which occurred due to sabotage, remove of fish plates, etc. ? I would also like to know the number of persons died in these accidents and amount of compensation paid to them by Railway Ministry ?

Some Gumtis have been removed in the name of economy and possibilities of accidents have been increased as a result thereof. I want to know whether Government would reconsider this matter and try to reopen them ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : दुर्घनाओं का मुख्य कारण मानवीय गलतियां हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाओं में तोड़-फोड़ का कितना अंश है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

समय-समय पर नियुक्त आयोगों की सिफारिशों में बताया गया है कि निगरानी करने वाले कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण चलाने में उपयुक्त प्रशिशण नहीं दिया गया है और कुछ कर्मचारियों को नवीनतम नियमों तथा पुस्तकों की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पास पुरानी पुस्तकें हैं। सरकार द्वारा उन्हें आधुनिक उपकरण चलाने में प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

रेलगाड़ी की तेज रफ्तार के कारण भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये रफ्तार पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

Dr. Ram Subhag Singh : I agree that the number of accidents due to human failure should not be introduced. I have already stated the number of accidents due to said reason was 719 in 1966-67 whereas it was 478 in 1968.69.

The number of accident occurred in Eastern India due to sabotage was 12 in 1966-67 which has been reduced to two in 1968-69.

The situation has already been much improved in so far as question of providing facilities to staff to concerned. So far question of seniority of employees is concerned, Mianbhai Commission will go into the the complaints and cover all these points.

In so far as question of accidents due to failure of equipment is concerned I can say that situation has much been improved. In 1966-67, 102 accidents had occurred due to mechanical reasons but the murder of such accidents was reduced to 77 in 1968-69. But we should not be complacent with this state of affairs. We will try to improve the situation.

The number of persons died as a result of accidents was 306 in 1966-67 which was reduced to 233 in 1967-68.

The latest technical devices introduced would be further modernised. The staff have proved their skil in operating the modern equipment and afforts will be made to make further improvement.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 15 मई, 1969/25 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 15, 1969/ Vaisakha 25, 1891 (Saka)

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।